खण्ड-218, अंक-3
बुधवार, 19 माघ, शक संवत् 1882
(8 फरवरी, 1961 ई0)

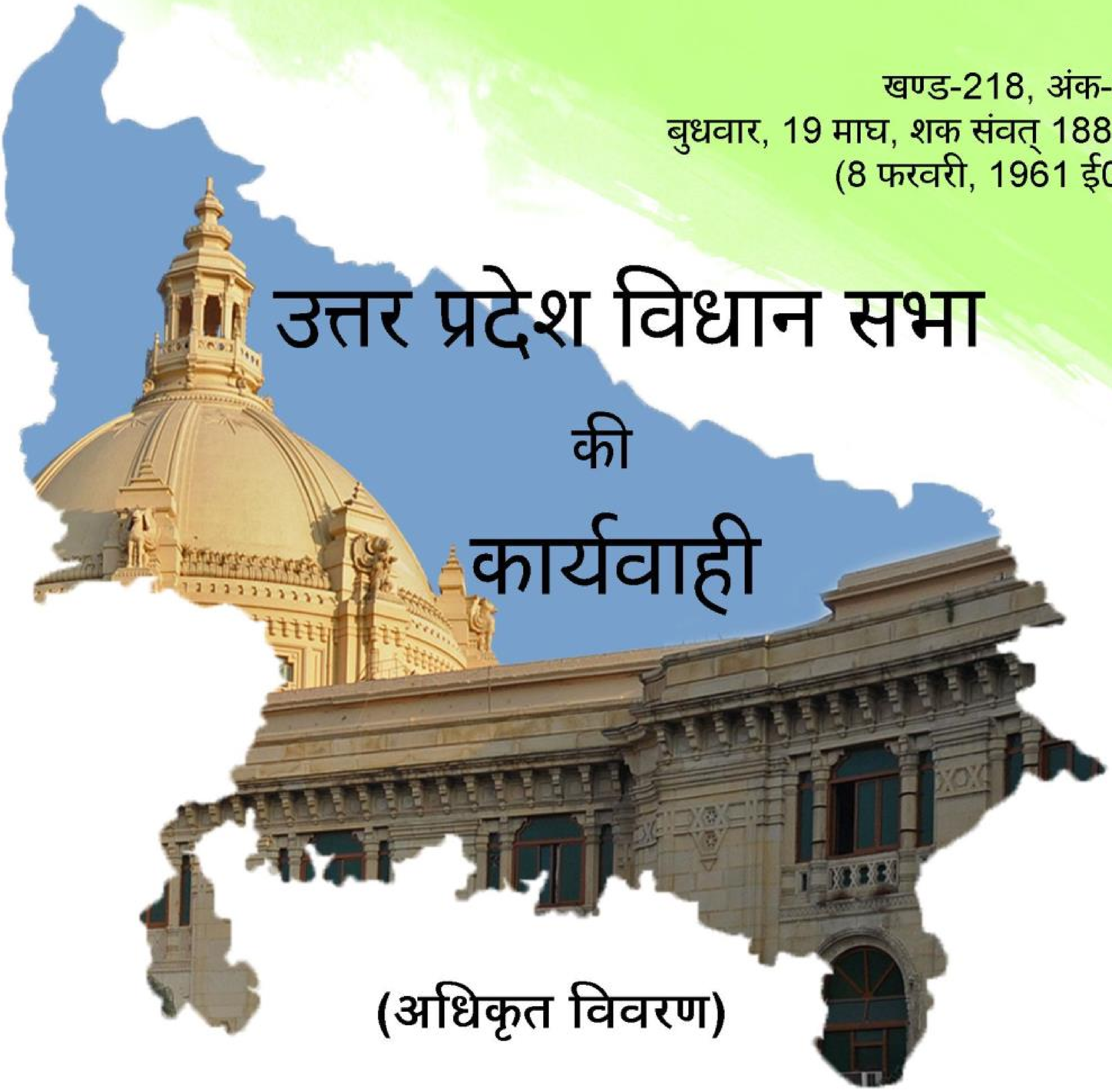

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 218 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

MAY 1961

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ८ फरवरी, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--३६९

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पाण्डेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूरअलीखां, श्री

गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखण्डेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयाल शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्रसिंह भण्डारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री

प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बर सिंह, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे , श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपाण्डेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, (सहारनपुर)
महमूद हुसैन, खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती

राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन , श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रवर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री

श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीताचौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्दद्रत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द्र रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त, वित्त मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा वन मंत्री श्री अलगूराय शास्त्री, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ८ फरवरी, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

**१–३—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झाँसी)—[७ फरवरी, १९६१ को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १–३ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

**४—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—[७ फरवरी, १९६१ को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

**५–६—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—[७ फरवरी, १९६१ को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ५–६ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

**७–८—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न संख्या १२–१३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

**९—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

**१०–११—श्री मदन पांडेय—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १५–१६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

**१२–१३—श्री मदन पांडेय—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १७–१८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

**१४—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

**१५—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न २० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मालौनी बांध के टूटने की जांच

**१६—श्री गौरीशंकर राय (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मालौनी बांध के टूटने के संबंध में १९५५ में जो Preliminary enquiry की गई थी उसका क्या परिणाम निकला और इस संबंध में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—प्रथम भाग—जांच समिति इस निश्चय पर पहुंची कि मालौनी बांध का टूटना नहीं रोका जा सकता था तथा बांध के नियमित रख-रखाव और देख-रेख में कोई कमी नहीं की कई।

द्वितीय भाग—बांध के टूटने के संबंध में समिति ने किसी कर्मचारी को पूर्णतया दोषी नहीं पाया परन्तु कुछ अन्य त्रुटियों के लिये सर्वश्री पी० के० बनर्जी एवं कंवल सिंह अधिशासी अभियन्ताओं तथा सर्वश्री ओ० पी० गुप्ता एवं आई० पी० गर्ग, सहायक अभियन्ताओं को दोषी ठहराया।

**१७—श्री गौरीशंकर राय (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नियमानुसार जांच के बाद श्री पी० के० बनर्जी अधिशासी अभियन्ता को आरोपों से मुक्त कर दिया गया। श्री कंवल सिंह, अधिशासी अभियन्ता को सेन्सर (Censure) किया गया। श्री ओ० पी० गुप्ता, सहायक अभियन्ता की एक वेतन वृद्धि स्थायी तौर पर रोकी गई तथा श्री आई० पी० गर्ग, सहायक अभियन्ता के अन्य असन्तोष-जनक कार्यों के लिये इनकी सेवायें समाप्त कर दी गईं।

लखनऊ में बिजली की कमी

**१८—श्री मदन पांडेय—क्या यह सत्य है कि लखनऊ में बिजली की कमी के कारण लगभग ४०० छोटे-बड़े उद्योग प्रतिष्ठानों को नवम्बर, १९६० में बन्द रहना पड़ा ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त कमी किस कारण है तथा उसे दूर करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—यह सत्य है कि लखनऊ में बिजली की कमी है, किन्तु यह सत्य नहीं है कि उसके कारण चालू उद्योग प्रतिष्ठानों को नवम्बर, १९६० में बिलकुल बन्द रहना पड़ा।

लखनऊ में बिजली की कमी को दूर करने के लिये बिजली कम्पनी १०,००० किलोवाट का नया बिजली उत्पादन यंत्र (plant) लगाने वाली है। इस यंत्र को विदेश से मंगाना पड़ेगा। इस विषय में बिजली कम्पनी भारत सरकार से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये पत्र-व्यवहार कर रही है। विदेशी मुद्रा (Foreign Exchange) उपलब्ध करने के लिये प्रादेशिक सरकार ने भारत सरकार से सिफारिश की है।

श्री मदन पांडेय—अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर जरा स्पष्ट नहीं हुआ। इसमें लिखा हुआ है कि बिलकुल बन्द नहीं रहे, तो मालूम पड़ता है कि कुछ बन्द रहे। कितने बन्द रहे, यह बता दें ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—बिलकुल बन्द न रहने का मेरा तात्पर्य यह था कि तमाम दिन भर बन्द नहीं रहे। कुछ समय के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ा। वह लगा हुआ है।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि लखनऊ का कोई सिनेमा घर भी उस वक्त बन्द रहा है जिस पीरियड में अन्य उद्योगों को बन्द करना पड़ा ?

श्री अध्यक्ष—उसमें आपको बड़ी दिलचस्पी है ?

श्री मदन पांडेय—दिलचस्पी तो है, श्रीमन्।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अध्यक्ष महोदय, एक अर्ज मैं करना चाहता हूं। जो शार्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं उसमें मिनिस्टर के लिये लाजिमी है कि हाजिर रहे उस वक्त तक, तो क्या प्रश्नकर्त्ता के लिये लाजिमी नहीं है कि वह हाजिर रहे ? जो गौरी-शंकर राय जी का क्वेश्चन है, वह गैरहाजिर हो गये, लिहाजा वह आंसर नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष—वह नहीं हाजिर हैं तो उसका उत्तर नहीं दिया जायगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—लेकिन हम तो हाजिर है। मिनिस्टर कंसर्न्ड तो हाजिर रहते हैं। सारे प्रोग्राम स्थगित करके हमको हाजिर रहना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष—मिनिस्टर तो यह कर सकता है कि अपनी जगह अपने उप-मंत्री को खड़ा कर दे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह भी दूसरे को डेलीगेट कर सकते हैं। (हंसी)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अगर माननीय मंत्री तुरन्त डेलीगेशन के पक्ष में हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, उनके सुझाव पर।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि अगर कोई सदस्य किसी कारण से नहीं आ सकता तो उसका यहां सदन में पहले से कोई एपाइंटेड आदमी नहीं रहता जैसे कि सरकार के पास रहते हैं। अगर अचानक कोई सदस्य बीमार पड़ गया या कहीं बाहर चला गया और उसकी वजह से नहीं आ सका तो ऐसी हालत में उसके लिये हाजिर रहना इतना लाजिमी नहीं है हालांकि उसे कोशिश जरूर करनी चाहिए।

श्री मदन पांडेय—मैं अपना प्रश्न फिर दोहरा दूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि केवल औद्योगिक प्रतिष्ठान ही बन्द रहे बिजली के अभाव के कारण या और जो मनोरंजन आदि में बिजली खर्च होती है वे मनोरंजन आदि क स्थान भी बन्द रह ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—मैंने कह दिया, श्रीमन्, बन्द कुछ नहीं रहे। कुछ रेस्ट्रिक्शन कुछ समय के लिये लगाये गये थे। जहां तक सिनेमा घर हैं, उनमें बहुत थोड़ी बिजली जाती है, तो वह चलते रहे।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि जिस कम्पनी को लखनऊ में बिजली सप्लाई का ठेका दिया हुआ है उस कम्पनी के साथ कितने दिनों का और ठेका बाकी है और क्यों नहीं बिजली की कमी को देखते हुए सारदा ग्रिड वगैरह और जरियों से सप्लाई करने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—दो प्रश्न आपने एक साथ किये। एक कम्पनी के ठेके का पूछ लिया वह तो पैदा नहीं होता। दूसरा प्रश्न आप फिर से करें।

श्री मदन पांडेय—चूंकि बार-बर लखनऊ में कमी हो रही है पावर की इसको देखते हुए क्या सरकार विचार कर रही है कि कम्पनी का ठेका रद्द करके किसी दूसरे जरिये से, शारदा ग्रिड से, पावर सप्लाई करायी जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—रद्द करने का सवाल उठता नहीं। शारदा ग्रिड में पावर काफी नहीं है। यह कम्पनी भी पावर बढ़ाने के लिये प्लान्ट लगाने की सोच रही है जिससे १०,००० किलोवाट सप्लाई बढ़ जायेगी। इसके लिये कम्पनी ने फारेन एक्स-चेंज मांगा है और ज्यों ही मिल जायगा उसी वक्त वह अपनी क्षमता बढ़ा लेगी।

श्री अध्यक्ष—अब मैं यह करूंगा कि जिन्होंने प्रश्न किये हैं उनको एक प्रश्न पर २, ३ अनुपूरक प्रश्न करने की इजाजत दूंगा और १, २ और सदस्यों को दूंगा तब तो इतने अधिक प्रश्नों के जवाब दिये जा सकते हैं नहीं तो बहुत से प्रश्न रह जायेंगे। आइन्दा से यह करूंगा। आज की बात दूसरी है, आज तो बहुत से सवाल दूसरे विभागों में हस्तान्तरित हो गये हैं तो शायद आज थोड़ा-सा मौका पूरक प्रश्नों के लिये ज्यादा मिले। कल एक शिकायत आयी थी कि बहुत से सवालात रह जाते हैं, तो जो सवाल देते हैं उनको अनुपूरक प्रश्न २,३ पूछने की इजाजत दूंगा। बाकी लोगों के लिये अगर इम्पारटेंट सवाल हुआ तो १, २ को और इजाजत दे दूंगा। मैं समझता हूं आवश्यकता उनको नहीं होनी चाहिये।

हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाइज़ यूनियन की मांगें

****१९—**श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य के फैजाबाद, आजमगढ़, लखनऊ आदि स्थानों पर जल विद्युत कर्मचारियों ने नवम्बर, १९६० में कुछ मांगों को लेकर अनशन किया था तथा वे गिरफ्तार किये गये थे? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उनकी क्या मांगें थीं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जी हां, फैजाबाद और लखनऊ में कुछ कर्मचारियों ने अनशन किया था और वे गिरफ्तार भी किये गये थे।

आजमगढ़ में किसी कर्मचारी ने अनशन नहीं किया।

उनकी मांगों तथा उन पर राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा की गई कार्यवाही का ब्योरा संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४७–२४९ पर)

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन अनशनकारियों को अनशनकाल और जेल यात्रा काल का पैसा दिया गया है इस समझौते के अनुसार अथवा नहीं? अगर नहीं दिया गया, तो क्या सरकार देने का विचार करेगी?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जेल का सवाल उठता नहीं। दो रोज़ की जो छुट्टी थी वह जोड़ दी गई है।

श्री मदन पांडेय—मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट था जिसका उत्तर स्पष्ट नहीं आया। मैंने पूछा है कि अनशनकाल और जेल यात्रा काल में, जब तक वह काम से बाहर रहे हैं, उस समय का पैसा उन्हें दिया गया है अथवा नहीं? अगर नहीं दिया गया, तो सरकार देने का विचार कर रही है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। अगर सदस्य महोदय चाहेंगे तो दे दी जायगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मंत्री जी बतायेंगे कि यह जानते हुए कि उन्होंने यह भी मांग की थी कि जो निम्न स्तर के अस्थायी कर्मचारी हैं उनको जल्द से जल्द स्थायित्व प्रदान किया जाय, सरकार ने इस बारे में क्या फैसला किया है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जितनी मांगें थीं उनका ब्योरेवार विवरण आपके पास दिया हुआ है।

कानपुर का विद्युत संकट

**२०—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि पानी के बहाव में परिवर्तित होने के परिणाम स्वरूप कैसा बिजली घर का उत्पादन बहुत कम हो जाने के कारण कानपुर के बहुत से कारखाने बन्द हो गये और लगभग अस्सी हजार आदमी बेकार हो गये? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—कानपुर में १७ ऐसी मिलें हैं जिनमें ५०० से अधिक मजदूर काम करते हैं। २२ नवम्बर और २ दिसम्बर के बीच में बिजली की कमी के कारण इन मिलों में ४८,१२७ मजदूरों को काम नहीं दिया जा सका। इन सब मजदूरों को यू० पी० इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अनुसार वाजिब मुआवजा दिया जा चुका है। कुछ छोटी मिलें अवश्य बन्द हुईं परन्तु इनकी सही संख्या एकत्र करना सम्भव नहीं है। यह अनुमान है कि छोटी बड़ी मिलों को मिला कर ५०,००० से ६०,००० तक मजदूर प्रभावित हुए होंगे।

श्री लक्ष्मणराव कदम—मंत्री जी को पता है कि गंगा जी के बहाव में ४, ५ साल से निरन्तर परिवर्तन हो रहा है? यदि हां, तो उसको रोकने के लिये जिस अधिकारी ने कार्यवाही नहीं की उसके खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—४, ५ साल की तो बात नहीं है। यह तो इसी साल प्रवाह बदल गया और उसकी रोकथाम के लिये उपाय किये जा रहे हैं तथा सिंचाई विभाग को यह काम सुपुर्द कर दिया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात को देखते हुए कि यह प्रश्न मूलतः श्रम विभाग से सम्बन्धित है इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले श्रम विभाग से पूछताछ की कि कितने मजदूर बेकार हुए और उन्हें बेकारी का भत्ता देने की क्या व्यवस्था की गयी?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—ये फीगर्स श्रम विभाग से ही आये हैं और जो भत्ता दिया गया है वह मैंने आपको बतला दिया।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि अगली पंचवर्षीय योजना में गंगा के बहाव को कानपुर के घाटों की तरफ कराने के लिये कोई योजना बनायी जाय?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—ऐसा करेंगे तो कानपुर का बचना मुश्किल हो जायगा। जिस तरफ घाट हैं उस तरफ बहाव कर देंगे तो बड़ी मुश्किल हो जायगी। फिर भी सिंचाई विभाग अनुसन्धान कर रहा है। रुड़की में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है वह कोई तरकीब बतलायेगा तो वैसा किया जायगा।

श्री उग्रसेन—क्या यह सही है कि इस विभाग को पहले से यह मालूम था कि धारा परिवर्तित हो रही है और उस पर कई बार लिखा-पढ़ी की कानपुर की जनता तथा मजदूर यूनियन ने, लेकिन फिर भी इसका प्रबन्ध नहीं किया गया जिसके कारण ८० हजार मजदूर बेकार हो गये?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने जवाब दे दिया कि यह इसी साल हुआ। इसलिये यह पूरक प्रश्न नहीं उठता।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—जिस समस्या को बिजली के सम्बन्ध में कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन को स्वीकार करना पड़ रहा है इसकी जानकारी अधिकारियों को पहले से करा दी गयी थी, उसके सम्बन्ध में अधिकारियों ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की और अब सरकार की ओर से उसकी रोकथाम के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--यह बात ठीक नहीं है कि इसकी कोई सूचना सरकारी कर्मचारियों को दी गयी थी और आगे के लिये उसका प्रबन्ध हो रहा है।

कानपुर का विद्युत संकट

****२१--श्री रामदुलारे मिश्र, श्री कल्याणचन्द मोहिले तथा श्री मदन पांडेय**--क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि गत नवम्बर महीने में केसा (कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन) ने कितनी मात्रा में बिजली देना बन्द कर दिया था और उससे मिलों का कितना उत्पादन बन्द रहा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--घरों में और सड़कों पर रोशनी के लिये तथा अन्य अत्यावश्यक कार्यों के लिये तो पूरी मात्रा में बिजली मिलती रही परन्तु मिलों पर तथा अन्य पावर से मशीनें चलाने वालों पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ा जो इस प्रकार था :

संध्या समय ४ बजे से रात के १० बजे तक इनको बिजली नहीं दी गई क्योंकि उस समय रोशनी इत्यादि के लिये बिजली की जरूरत होती है। बाकी घंटों में रोज की स्थिति के अनुसार जितनी भी बिजली दी जा सकती थी वह दी गई परन्तु २८ और २९ नवम्बर को विद्युत शक्ति के अभाव के कारण कुछ भी बिजली इनको न दी जा सकी। इसके बाद ३० नवम्बर से फिर इनको बिजली मिलनी शुरू हुई और २ दिसम्बर की रात से सब प्रतिबन्ध हटा लिया गया और पहले की तरह पूरी मात्रा में सबको बिजली मिलने लगी। इन दिनों मिलों का कितना उत्पादन बन्द रहा इसके कोई आंकड़े शासन के पास नहीं हैं।

****२२--श्री रामदुलारे मिश्र, श्री कल्याणचन्द मोहिले तथा श्री मदन पांडेय**--क्या यह सही है कि कानपुर में उपर्युक्त समय में सिनेमा घरों को बिजली दी गई परन्तु आटा चक्कियों को बिजली न मिलने के कारण कई दिन तक बन्द रहना पड़ा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--यह सही है कि उपरोक्त समय में सिनेमा घरों को बिजली मिलती रही। आटा चक्कियों को भी, केवल २७, २८ और २९ नवम्बर को छोड़ कर, और सब दिन रात १० बजे से अगले दिन संध्या के ४ बजे तक चलने के लिये बिजली दी गई। इन तीन दिनों में भी जिलाधीश की सिफारिश पर जगह-जगह पर कुछ आटा चक्कियों को बिजली दी गई।

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि २८ और २९ नवम्बर को विद्युत शक्ति के अचानक अभाव का क्या कारण है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--मैं जैसा पहले कह चुका हूं गंगा का पानी इस पावर हाउस को ठंडा करने के लिये लिया जाता है। अचानक ऐसा हुआ कि २२ तारीख से पानी आना कम हो गया इसलिये हमारा प्लान्ट ठंडा नहीं हो सकता था जिससे पूरी बिजली नहीं बनी और इतनी थोड़ी बिजली बन सकी कि रोशनी इत्यादि के लिये ही वह दी गयी।

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि सम्बन्धित अधिकारियों को इससे पहले भी पता था कि यह अचानक विपत्ति आ सकती है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--यह बात सही नहीं है। यह तो एक भूकम्प जैसा था कि एक दम से पानी गिर गया। २१ तारीख को वहां काफी पानी था और २२ तारीख को एक दम से पानी कम हो गया और उसका पता न तो अधिकारियों को था और न उसकी कोई पूर्व सूचना थी।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि संकट काल में विद्युत वितरण का कार्य किस के जिम्मे था और किस आधार पर प्राथमिकता देने का निश्चय किया जाता था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--जो सप्लाई एम्प्लायर्स एसोसियेशन को की जाती थी उसके लिये उनसे रिक्वेस्ट की गयी थी कि आप कम बिजली लें और उन्होंने आपस में वितरण किया और जो छोटे-छोटे काम हैं उनके लिये बिजली का वितरण जिलाधीश और सब ने मिल कर किया।

श्री मदन पांडेय--इस बात को देखते हुये कि लखनऊ में भी पावर के अभाव में उद्योग बन्द रहे और कानपुर में भी इसी कारण बन्द रहे, लेकिन सिनेमा-गृहों को प्राथमिकता दी गयी क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करेगी कि कौन लोग इसके लिये जिम्मेदार हैं और भविष्य में ऐसा न हो और जो इसके लिये जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अध्यक्ष महोदय, सिनेमा के विषय में कि सिनेमा-गृहों को बिजली दी गयी कई माननीय सदस्यों ने प्रश्न किये हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कानपुर में यह घटना हुई जिसमें कई दिन तक कुछ संस्थाओं को बिजली नहीं मिल सकी और सिनेमा-गृहों को मिली इसका मुख्य कारण यह था कि उद्योग-धन्धों को अधिक मात्रा में बिजली की आवश्यकता थी और सिनेमाओं में कम लोड की आवश्यकता थी। तो पब्लिक को असुविधा न हो इसलिये उनकी बिजली काटी नहीं गयी। जहां अधिक डिमांड थी और पूरी नहीं की जा सकती थी वहां एम्प्लायर्स एसोसियेशन की सलाह से काट दी गयी।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह ऐसे सप्लीमेंटरी प्लांट्स लगाने की स्कीम पर विचार कर रहे हैं कि कानपुर जैसे बड़े शहरों में यदि आकस्मिक रूप से बिजली का आना बन्द हो जाय तो ऐसी संकटकालीन स्थिति में बिजली सप्लाई कर सकें ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--प्लान्ट्स तो हम बढ़ा रहे हैं। यह जो घटना हुई यह पिछले ४० वर्षों में पहली घटना थी। ऐसे स्टैंड-बाई प्लांट्स वहां रहते हैं।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि दरिया की स्ट्रीम एक शिफ्टिंग चीज होती है, तो इसको जानते हुये क्या कभी भी सरकार ने इस बात का प्रयत्न किया था कि धारा की शिफ्टिंग के हिसाब से पानी की कमी को पूरा किया जा सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--इसके लिये हमारे पास ड्रेंजर नाम की मशीन है जो धारा को ले आती है और ४० वर्ष से वह निरन्तर काम कर रही थी, कभी ऐसा नहीं हुआ। यह तो अचानक धारा बदल गयी, उसका कोई उपाय नहीं था।

कानपुर का विद्युत् संकट

श्री अध्यक्ष--अब ये २३ से २९ तक बिजली के सम्बन्ध में एक ही विषय से संबंधित प्रश्न हैं और सब प्रश्नकर्त्ता लोग यहां मौजूद भी हैं। इसलिये २३ से २९ तक के प्रश्नों का आप एक साथ ही उत्तर दे दें ताकि एक साथ ही पूरक प्रश्न हो सकें।

**२३—श्री कल्याणचन्द मोहिले तथा श्री मदन पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि कानपुर में कुल कितनी किलोवाट बिजली की क्षमता पावर हाउस में है और उसमें से कितनी बिजली प्राइवेट कार्य के लिये दी जाती है और कितनी कारखानों को चलाने के लिये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—केसा के रिवर साइड पावर हाउस में इन्सटाल्ड कैपेसिटी (Installed Capicity) ८९,५०० किलोवाट है तथा फर्म जेनेरेटिंग कैपेसिटी (Firm Generating Capacity) ६१,६०० किलोवाट है। उत्पादित विद्युत शक्ति की ८० प्रतिशत औद्योगिक कार्यों में तथा शेष २० प्रतिशत अन्य कार्यों में प्रयुक्त होती है।

**२४—श्री मदन पांडेय—क्या यह सत्य है कि केसा के कर्मचारियों तथा अन्य संस्थानों न कानपुर में बिजली के वर्तमान संकट की पूर्व सूचना अधिकारियों को दी थी परन्तु समय रहते हुये ड्रेजरों का प्रयोग नहीं किया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जी नहीं।

**२५—श्री मदन पांडेय—क्या वर्तमान संकट के समय कानपुर की सूती मिल मजदूर सभा ने सहायता प्रदान करने का आफर दिया था परन्तु अधिकारियों ने उसे अस्वीकृत कर दिया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जी नहीं।

**२६—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर के वर्तमान विद्युत् संकट निवारण में सरकार को कितना धन अस्थायी तौर पर व्यय करना पड़ा तथा स्थायी रूप से इस समस्या के समाधान में कितना व्यय होगा ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—अस्थायी कार्य अब भी चल रहे हैं इसलिये समस्त परिव्यय क्या होगा यह बताना अभी सम्भव नहीं है।

**२७—श्री ऊदल (जिला वाराणसी), श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया), श्री मदन पांडेय, श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ) तथा श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर नगर में जो गंगा नदी के किनारे विद्युत-गृह बना है उसमें गंगा नदी का बहाव बदल जाने से बिजली के उत्पादन में कमी हो गई है ? यदि हां, तो कितने किलोवाट की कमी हुई है और कब से हुई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—गंगा नदी के बहाव तथा पानी के स्तर (level) में एकाएक परिवर्तन होने के कारण मशीनों को ठंडा रखने के लिये आवश्यक पानी न मिल सका। अतः खतरे से बचाने के लिये कुछ मशीनों को २२ नवम्बर, १९६० से २ दिसम्बर, १९६० मध्य रात्रि तक बन्द रक्खा गया। इसमें नवम्बर, १९६० महीने की उत्पादन में लगभग ८ प्रतिशत कमी हुई।

**२८—श्री ऊदल, श्री गेंदासिंह, श्री मदन पांडेय, श्री त्रिलोकीसिंह, तथा श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या विद्युत-गृह के किनारे गंगा नदी को गहरा किया जा रहा है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जायगा और इस कार्य में कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—गंगा को विद्युत-गृह के पम्प हाउस तक लाने के लिये एक चैनेल को गहरा किया जा रहा है। यह कार्य तब तक होता रहेगा जब तक कि गंगा का स्तर (water level) काफी ऊंचा न हो जाय। इस पर होने वाली व्यय के विषय में ठीक से कहना कठिन है क्योंकि इस काम का होना गंगा नदी के पानी के स्तर (level) के गिरने पर निर्भर है और इसका अनुमान सही तरीके पर लगाया नहीं जा सकता। फिर भी एस्टिमेट (Estimate) बनाया जा रहा है।

**२९--श्री ऊदल, श्री गेंदासिंह, श्री मदन पांडेय, श्री त्रिलोकीसिंह तथा श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विद्युत्-गृह को पानी की पूरी सप्लाई करने के लिये भैरोंघाट के पंम्पिग स्टेशन को बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो कानपुर नगर में पानी जनता को इस्तेमाल करने के लिये कहां से दिया जा रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--जी हां। इस बीच में नहर से पानी लेकर नगर की जरूरत पूरी की गयी थी। अब पुनः भैरोंघाट पंम्पिग स्टेशन में पानी लेना आरम्भ हो गया है।

श्री मदन पांडेय--श्रीमन्, मैं मंत्री जी का ध्यान उस पत्र की ओर दिलाऊंगा जो कानपुर के श्रमिक बाबूसिंह, ठाकुरप्रसाद वगैरह ने मंत्री जी की सेवा में २८ नवम्बर, ६० को भेजा था। उसमें यह लिखा हुआ था कि क्या यह सही नहीं है कि श्री गुप्ता जी, जो वहां के जनरल मैनेजर हैं, १२ तारीख को कानपुर में आ गये थे और तीन दिन तक पावर हाउस देखने नहीं गये जब कि उनको इस संकट की सूचना दिल्ली में ही दे दी गई थी ? दूसरा अंश यह है कि क्या यह बात सही नहीं है कि फावड़ा खरीदने के लिये रुपये की स्वीकृति का चेक तीन दिन तक उनके हस्ताक्षर के लिये उनकी मेज पर पड़ा रहा और फावड़े नहीं खरीदे जा सके जब कि शायद किसी अधिकारी के लिये उन्हीं दिनों में या आगे-पीछे चाय का ८५ रुपये का टी सेट उसी समय आ गया ? क्या मंत्री जी को उक्त पत्र प्राप्त हुआ था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--कोई ऐसा पत्र हमारे पास नहीं आया। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। यहां हमारे पास नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या यह सही है कि जो रेशियो इसमें दिया गया है उसमें सरकार का कुछ परिवर्तन करने का विचार है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--अभी तो कोई विचार है नहीं।

श्री सुरथबहादुरशाह--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह किस फेज की इलैक्ट्रिसिटी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--श्रीमन्, यह नहीं पूछा गया था।

श्री सुरथबहादुरशाह--श्रीमन्, ८९,५०० किलोवाट की बिजली बताई तो यह किस फेज की बिजली है, यह मालूम होने पर पता चल सकेगा कि कितनी इंडस्ट्रियल परपजेज के लिये हो सकती है और कितनी प्राइवेट कंजम्पशन के लिये हो सकती है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--श्रीमन्, यह नहीं पूछा गया था। अलग-अलग फेज की है।

श्री सुरथबहादुरशाह--श्रीमन्, यह तो मालम होना चाहिये कि किस फेज की बिजली है ?

श्री अध्यक्ष--इसके लिये वह नोटिस चाहते हैं।

श्री मदन पांडेय--श्रीमन्, जिस पत्र का मैंने जिक्र किया और जिसके लिये उन्होंने कहा है कि नोटिस की आवश्यकता है तो वह पत्र मेरे पास मौजूद है, मैं उसको उनके पास भेज रहा हूं, क्या वह उसकी जांच कराकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--जरूर भेज दीजिये। मैं उसको दिखवा लूंगा।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो गंगा को गहरा किया जा रहा है विद्युत् गृह तक लाने के लिए उस कार्य पर अब तक कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—यह कार्य तो चल रहा है। इसका कोई एस्टीमेट अभी तक नहीं आया। जब काम पूरा हो जायगा तो उसके फीगर्स मंगा लिये जायंगे ।

श्री उग्रसेन—प्रश्न २४ का माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, जी नहीं। तो मैं 'जी नहीं' का कारण जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं ड्रेजर का प्रयोग किया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मैंने इसका उत्तर दिया कि पूर्व सूचना थी या नहीं। ड्रेजर का इस्तेमाल तो हो ही रहा था।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पानी की करेंट शिफ्ट हो रही है इसकी प्रथम सूचना अधिकारियों को कब दी गयी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जैसा कि मैंने बताया २१ तक वहां ९—१० इंच पानी था। २२ को एक दम ३ इंच हो गया और जब तक पानी चलता रहा तब तक सोचते रहे कि ड्रेजर ठीक काम दे देंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय मंत्री जी ने अभी अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि यह सारा प्रश्न रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की के विचाराधीन है और प्रश्न २८ के उत्तर में यह कहा है कि इसका काम शुरू हो गया है, गहरा करने और बनाने का, तो कौन-सा उत्तर सही है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो टेम्पोरेरी काम है, प्रश्न २८ में सिर्फ यह काम है कि वहां चैनल तक लाकर खाली चौड़ा किया जाय और वह परमानेंट स्कीम के बारे में कह रहे थे।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पम्पिंग स्टेशन बन्द हो जाने के बाद जो नहर से पानी जा रहा था वह कब दिया गया और अन्तरिम काल में नगर के लोगों को पानी देने की क्या व्यवस्था की गयी ?

श्री अध्यक्ष—पीने के लिए पानी ?

श्री ऊदल—कानपुर का जो पंपिंग स्टेशन था वह बन्द कर दिया गया था और नहर से पानी इस्तेमाल करने के लिए दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि जब पम्पिंग स्टेशन बन्द हो गया तो कितने दिनों बाद नहर से पानी नगर के लोगों को देने की व्यवस्था की गयी और उस बीच के काल में सरकार ने पानी देने की क्या व्यवस्था की ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जब उस चैनेल से पानी आना कम हो गया तो पावर हाउस का भी कम हो गया। पम्पिंग स्टेशन की एक दूसरी भी स्कीम है। गंगा की नहर से पानी दिया जाता है। हमारा उनसे ऐग्रीमेन्ट है कि इतना पानी देंगे। इस समय में खास तौर से जितना पानी था वह दे दिया नगर महापालिका के लोगों से मिल कर और पानी की वहां अधिकतर कमी नहीं रही। दुर्भाग्यवश दो रोज में नहर में भी पानी कम हो गया, तो उस समय, उन दिनों में चार घंटे के लिए, दिन में रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ा।

द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय

****३०—श्री गेंदासिंह तथा श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)—क्या मुख्य मंत्री कृपा कर के बतायेंगे कि क्या भारत सरकार, प्लानिंग कमीशन और प्रादेशिक सरकार के बीच यह निश्चय हो गया है कि कितनी रकम तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रदेश में व्यय होगी ?

सूचना उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)--अभी तक इतना निश्चय हो पाया है कि प्रदेश की तृतीय पंचवर्षीय योजना पर ४९७ करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की जावे ।

****३१--श्री गेंदासिंह तथा श्री ब्रजनारायण तिवारी**--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये प्रादेशिक सरकार को कितनी-कितनी रकम किस-किस मद में देनी है ?

श्री रऊफ जाफरी--उपरोक्त आकार की योजना के लिये प्रारम्भिक रूप से यह इंगित प्राप्त हुआ है कि ३५० करोड़ रुपयों की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध हो सकेगी और शेष १४७ करोड़ रुपये की धनराशि का प्रबन्ध प्रदेश को स्वयं करना पड़ेगा । इस धनराशि का विस्तारित ब्योरा अभी तय होना है ।

****३२--श्री गेंदासिंह तथा श्री ब्रजनारायण तिवारी**--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी रकम प्रदेश को देने की व्यवस्था की गई थी और उसमें से अब तक कितनी रकम प्राप्त हुई है और जो रकम अब तक नहीं मिल सकी है वह कब तक मिल जायगी ?

श्री रऊफ जाफरी--आयोजना आयोग से द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आकार तथा रूप निश्चित करते समय उपलब्ध केन्द्रीय सहायता का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिला था जैसा कि इस बार तृतीय पंचवर्षीय योजना के विषय में हुआ है । सन् १९५६ में योजना आयोग ने इस प्रदेश के लिए २५३·१ करोड़ रुपये की योजना स्वीकार करते समय यह अनुमान लगाया था कि प्रदेश के निजी साधनों से ११०·२ करोड़ धन प्राप्त हो सकेगा । शेष १४२·९ करोड़ की धनराशि की पूर्ति केन्द्रीय सहायता ,प्रदेश द्वारा बढ़ाये अतिरिक्त साधनों और संचित अमानतों की बिक्री के धन से होने का अनुमान था । केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता की सही स्थिति अंतिम लेखा और हिसाब तैयार होने पर ज्ञात हो सकेगी ।

श्री गेंदासिंह--कितनी रकम की योजना राज्य सरकार के द्वारा प्लानिंग कमीशन के सामने रखी गई थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--७२५ करोड़ रुपये की ।

श्री गेंदासिंह--इस ७२५ करोड़ रुपये की योजना में से ४९७ करोड़ रुपये की योजना ही प्लानिंग कमीशन द्वारा क्यों स्वीकार की गई ? उसके क्या कारण थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रत्येक प्रदेश की सरकार अपनी-अपनी योजनायें बनाती है और उस अपनी योजना में अधिक से अधिक चीजों के निर्मित करने की व्यवस्था रखती है । जब सारे प्रदेशों की योजनायें केन्द्रीय प्लानिंग कमीशन के सामने आती हैं तो वह सबका निरीक्षण करते हैं और उसमें अपनी नीतियों के अनुसार तथा कौन क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ है उसको तथा जनसंख्या को भी सामने रखते हुए निर्णय लेते हैं कि किन-किन योजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए और साथ ही कितने साधन केन्द्रीय सरकार के पास हैं उनको भी अपने सामने रखकर इस प्रश्न के ऊपर निर्णय करते हैं। इसलिये सारे प्रदेशों की आयी हुई योजनायें पहले संकलित की गईं और उनके संकलन के बाद जब यह पता चला कि योजनायें उस धनराशि के मुकाबिले में जो कि केन्द्रीय सरकार को उपलब्ध हो सकेगी अधिक हैं तो सब योजनाओं का अध्ययन करके प्रत्येक प्रदेश की आवश्यकता को सामने रखते हुए प्लानिंग कमीशन ने निर्णय किया कि अमुक-अमुक प्रदेश में इतनी-इतनी धनराशि आगे आने वाली पंचवर्षीय योजना के तत्वावधान में प्राप्त हो सकेगी और इसलिए इस प्रदेश की ७२५ करोड़ की योजना, वहां जो सदस्यगण हैं प्लानिंग कमीशन

[श्री चन्द्र भानु गुप्त]

के उनसे बातचीत करके और उनकी जो वर्किंग ग्रुप है उनसे बातचीत करके, वह ४९७ की धनराशि में परिवर्त्तित हुई और यह भी धनराशि जो हमें प्राप्त हुई है वह भी काफी बहस के बाद और काफी अपने प्रदेश की आवश्यकताओं को प्लानिंग कमीशन के सामने रखकर बहुत दिक्कत के साथ मिली है।

श्री गेंदासिंह---क्या राज्य सरकार ने प्लानिंग कमीशन के सामने इस बात को भी रखा था कि पिछली योजना की अवधि में केवल ३७ रुपये पर कैपिटा उत्तर प्रदेश का खर्च रखा है जबकि सारे भारत का ५६ रु० पर कैपिटा रहा है ? यदि हो, तो इस बात को देखते हुए उस कमी को पूरा करने के लिए क्या कोशिश की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह सारी बातें, जो माननीय सदस्य ने कहीं, वहां रखी गई थीं और इसके सम्बन्ध में ४९७ करोड़ की घोषणा के बाद भी अभी नेशनल डेवलपमेन्ट कौंसिल की बैठक हुई थी जिसमें कि अपने प्रदेश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारी तरफ से मांग की गई थी कि कम से कम यह योजना ५१७ करोड़ की तो मान ही ली जाय क्योंकि हमारा आग्रह था कि जो धनराशि हम उत्तराखंड के ऊपर खर्च करने वाले हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा केन्द्रीय सरकार के द्वारा ही आना चाहिये और हमने इसलिए २० करोड़ रुपये की मांग और प्रस्तुत की है।

श्री सुरथबहादुरशाह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो ४९७ करोड़ रुपया प्लानिंग कमीशन ने इस प्रदेश को दिया है यह तो पहले निश्चित हो चुका था और हमने इसको अखबारों में पढ़ लिया था। तो नई सरकार के आने के बाद इस सरकार ने इस धनराशि को बढ़ाने के लिये कोई प्रयत्न किया और उसमें सफलता प्राप्त की और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब दिया जा चुका है। उन्होंने बता दिया कि २० करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि यहां पर जो संसद् सदस्य सम्मेलन हुआ था उसमें सरकार ने ९ वर्ष बाद यह कबूल कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में गरीबी को दूर करने के लिये प्रथम प्रयास भी नहीं किया गया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर इस बात का प्रयास नहीं हुआ तो हमेशा के लिये उत्तर प्रदेश इस दलदल में फंस जायगा और उससे निकलना मुश्किल हो जायगा ? सरकार कहती है कि पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में ३७ रुपया पर कैपिटा खर्च हो रहा है जब कि दूसरे प्रदेश ५१ रुपया पर कैपिटा खर्च कर रहे हैं तो इस अन्तर को दूर करने के लिये उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर पर कैपिटा अधिक व्यय करने के लिये सरकार और कौन-सा प्रयत्न कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार, प्लानिंग कमीशन और केन्द्रीय मन्त्रियों के समक्ष इस बात को बराबर प्रस्तुत किया है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत अधिक है तो इस अनुपात से जो कुछ केन्द्रीय प्लानिंग कमीशन धनराशि दे, वह उत्तर प्रदेश को मिलनी चाहिये परन्तु यह उत्तर प्रदेश की मांग प्लानिंग कमीशन ने मन्जूर नहीं की। उनका कथन है कि और प्रदेशों की अपेक्षा सब से ज्यादा धनराशि आगे आने वाले ५ वर्षों में व्यय करने के लिये उन्होंने उत्तर प्रदेश को व्यय करने की आज्ञा प्रदान की है फिर भी चूंकि उत्तर प्रदेश की आबादी उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और उत्तर प्रदेश के निवासियों को यदि यह कहा जाय कि उनका सब से ज्यादा पेशा आबादी बढ़ाने का है तो उस पेशे में कमी लाने के लिये जो प्रश्न कर्ता साथी हैं उनको मेरी मिसाल अपने सामने लेकर इसको हल करने का प्रयत्न करना चाहिये।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी, जो देश की आबादी बढ़ती चली जाती है उसको संतुलित करने के लिये कोई प्रयास करेंगे जिससे वह सन्तुलित हो जाय ?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने अपनी मिसाल बतला दी ।

श्री गेंदासिंह--क्या यह भी शिकायत प्लानिंग कमीशन की है कि जो रुपया दूसरी पंचवर्षीय योजना में खर्च करने के लिये दिया गया था उसको खर्च नहीं किया गया इसलिये कम रुपया अगली पंचवर्षीय योजना के लिये दिया जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह कोई शिकायत नहीं है, लेकिन यदि कोई प्रदेश कम खर्च करता है तो यह बात उनके ध्यान में तो रहती ही है जो कि रुपया देने वाला है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो २० करोड़ रुपया की मांग नेशनल डेवलपमेंन्ट कौंसिल और प्लानिंग कमीशन से की गई उसका क्या हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ है क्योंकि जैसा कि अखबारों द्वारा सदस्यों को पता होगा नेशनल डेवलपमेंन्ट काउन्सिल में इस प्रश्न पर भी विचार हुआ और उस धनराशि पर भी विचार हुआ था जो धनराशि ५०० करोड़ की अभी योजना की पूर्ति के लिये कम दिखायी पड़ती है । सदस्यगणों को इस बात का ज्ञान होगा कि जो योजना नेशनल डेवलपमेंन्ट कौंसिल से पास हुई है उसके अनुसार ८,००० करोड़ रुपया सारे देश में केन्द्र तथा प्रदेशों की सरकारों द्वारा व्यय होगा । उसका फिजिकल टारगेट ८,००० करोड़ का होगा, लेकिन जो धनराशि उन्होंने मंजूर की है वह साढ़े सात हजार करोड़ की है ५,०० करोड़ रुपये की अभी भी कमी है और योजना की मंजूरी को देखते हुए नेशनल डेवलपमेन्ट काउन्सिल ने यह कह दिया है कि योजना का फिजिकल टारगेट यदि ८,००० करोड़ तक का हो जाता है तो योजना की पूर्ति के लिए कर देना चाहिये । इसलिये जो २० करोड़ रुपये की बात है, अभी इस तरह से उसकी मंजूरी तो नहीं मिली है, लेकिन हर साल हम अपनी योजना केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते रहते हैं और इसलिये उसके साथ हम अपनी इस मांग को भी उनके सामने रखते रहेंगे । हो सकता है कि यदि फारेन एक्सचेंज अथवा ऋणों के द्वारा अधिक धनराशि केन्द्रीय सरकार को मिल सकी तो योजना में समय-समय पर परिवर्तन भी हो सकेगा । ४९७ करोड़ की योजना भी आज उन्हीं बातों पर आश्रित है । जितना फारेन एक्सचेंज पाने की हमने व्यवस्था की है, जितना धन देश को विदेशों से मिलने वाला है, तमाम देश में जो ऋण मिलने वाला है, टैक्सों के द्वारा जो धनराशि हम प्राप्त करेंगे, उसके अनुपात में ही प्रत्येक प्रदेश के ऊपर रुपया योजना में घटाया बढ़ाया जा सकता है ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी जो उन्होंने जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिये अपने को अग्रसर बतलाया तो उस के साथ माननीय नेता विरोधी दल की मिसाल उन्होंने क्यों नहीं दी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैं इस बात की माफी चाहता हूं ।

श्री सुरथबहादुरशाह--क्या यह सही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो धनराशि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त हुई थी उसका पूरी तरह व्यय न हो सकना भी तृतीय पंचवर्षीय योजना में कम धनराशि मिलने का एक कारण है ?

श्री अध्यक्ष--इसका उत्तर अभी दे दिया गया है । उन्होंने कहा कि सभी प्रान्तों में कुछ रकम बच रहती है और उसका खयाल सब जगह किया जाता है और यहां के बारे में भी किया गया ।

२३ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न ९-१० के उत्तर में शोधन

प्रश्न	उत्तर
*९--आचार्य दीपंकर--क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, मेरठ की उद्योगशाला के कर्मचारियों ने सरकार से बारबार मांग की है कि बेकार पड़े बहुमूल्य यंत्रों को उपयोगी बनाने के लिये कुछ नये औजार उद्योगशाला में लाये जायें ?	इस प्रकार का कोई प्रार्थना-पत्र सरकार क पास नहीं आया ।
*१०--यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार के बहुमूल्य साधनों को नष्ट होने से बचाने के लिये सरकार कब तक इन औजारों को मुहय्या कर सकेगी ?	प्रश्न नहीं उठता ।

श्री धर्मसिंह--उपरोक्त उत्तरों में कुछ अशुद्धियां रह गई थीं । सही उत्तर इस प्रकार था ।

९--जी हां ।

१०--नये औजारों को खरीदना अमितव्ययितापूर्ण होने के कारण इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

आचार्य दीपंकर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस उद्योगशाला में, जो उत्पादन के साधन रखे गये हैं, उनकी कीमत ३ लाख रुपये से ज्यादा है और उनको वर्किंग आर्डर में लाने के लिये जिन औजारों की जरूरत है वे ज्यादा से ज्यादा २-३ हजार की कीमत के ही हैं ?

श्री धर्मसिंह--ऐसी बात नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं ।

आचार्य दीपंकर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि इन औजारों को उपयोग में लाकर इन साधनों को उपयोग लायक नहीं बनाया जाता तो उस स्थिति में इन साधनों का क्या होगा ?

श्री धर्मसिंह--यह तो केवल ट्रकों से ही सम्बन्धित मामला था और जो बहुत पुराने थे उनको ठीक करने के लिये औजारों की जरूरत थी । एक आध ट्रक ही ऐसा था जो कुछ काम कर सकता था । बाकी तो सब बेकार हैं, इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

वेतन समिति की सिफारिशों का लागू किया जाना

*१--**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)--क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में बनी वेतन कमेटी, १९४६ ने जो सिफारिशें राज्य कर्मचारियों के लिये कीं, क्या उनमें सबों को लागू किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--वेतन समिति ने जो सिफारिशें की थीं, उनमें से अधिकांश लागू कर दी गईं ।

[९ फरवरी, १९६१ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १०२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२—श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)—[२० फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ६४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*३—श्री रामसूरतप्रसाद—[२० फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४—श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—[२० फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*५—श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—[२० फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*६—श्री ऊदल—[२० फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*७-८—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—[२० फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ६९-७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*९—श्री नारायणदत्त तिवारी—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १०३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१०—श्री ओंकारनाथ (जिला मिर्जापुर)—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १०४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*११—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १०५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१२—श्रीमती बिन्दुमती दास (जिला बाराबंकी)—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १०६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१३—श्री नारायणदत्त तिवारी—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १०७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१४—श्री नारायणदत्त तिवारी—[२० फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ७१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१५—श्री नारायणदत्त तिवारी—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १०८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १०९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१७—श्री लक्ष्मणराव कदम—[२० फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ७२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१८—श्री होरीलाल यादव—[२० फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ७३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१९—श्री मदन पांडेय—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ११० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२०–२२—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १११–११३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*२३—श्री होरीलाल यादव—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ११४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२४–२५—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ११५–११६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*२६—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ११७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२७—श्री गौरीराम गुप्त—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ११८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२८—श्री गौरीराम गुप्त—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ११९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२९–३०—श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १२०–१२१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३१—श्री शिवप्रसाद नागर—[२० फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ७४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*३२–३३—श्री रामस्वरूप वर्मा—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १२२–१२३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३४—श्री सजीवनलाल—[२० फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ७५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३५–३६—श्री सजीवनलाल—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १२४–१२५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३७—श्री रामदुलारे मिश्र—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १२६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*३८–३९—श्री गौरीशंकर राय—[२० फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ७६–७७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*४०—श्री रामदुलारे मिश्र—[२० फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४१–४३—श्री नारायणदत्त तिवारी—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १२७–१२९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*४४–४६—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १३०–१३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*४७–४८—श्री मदन पांडेय—[२० फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ७९–८० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

जौनपुर में गोमती पर नये पुल की मांग

*४९—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि इस वर्ष जौनपुर जिला अन्तरिम परिषद् ने जौनपुर नगर में नये पुल बनाने के लिये सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके सरकार से माँग की गई है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—प्रथम भाग—जी हाँ ।

द्वितीय भाग—तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के लिये सीमित धनराशि मिलने के कारण प्रस्तावित पुल के निर्माण के लिये इस आयोजना में व्यवस्था न की जा सकी ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह जानते हुए कि जौनपुर में गोमती नदी पर एक ही पुल है जो करीब ०० वर्ष पुराना है और जो किसी भी समय गिर सकता है, और इस बात को भी देखते हुए कि जौनपुर में बराबर बाढ़ आया करती है, उससे भी उस पुल के टूटने का खतरा बना रहता है, और इस पुल के टूटने से वहां के लिये काफी खतरा पैदा हो जायगा, इन सभी बातों को दृष्टि में रखते हुए वहां पर नया पुल बनाने का विचार उसकी दृष्टि में है ?

श्री धर्मसिंह—यह सरकार को मालूम है कि वहां पर एक ही पुल है । यह भी मालूम है कि वह बहुत पुराना है । किन्तु सरकार के पास इतना धन इस समय नहीं है कि जिससे वहां पर नया पुल बनाया जा सके । धन की कमी के कारण सरकार इसके लिये असमर्थ है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार ने कोई एस्टीमेट लगाया है कि वहां पर नया पुल बनवाने में कितना खर्च होगा ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये १० लाख रुपये की जरूरत होगी ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १० लाख रुपये के करीब की ही धनराशि पी० डब्लू० डी० में व्यपगत हुई है ?

श्री धर्मसिंह—यह कितनी हुई है, इसके आंकड़े तो इस समय मेरे पास नहीं हैं, लेकिन जो हमारे पास टार्गेट्स हैं पुल आदि बनवाने के लिये वह करीब १०५ लाख के हैं और उसके अन्तर्गत छोटी-छोटी योजनायें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । अगर एक ही पुल पर हम १० लाख रुपये खर्च कर दें तो और हमारी छोटी-छोटी योजनायें जिनसे हमें काफी लाभ होगा, अधूरी ही रह जायेंगी और हमारा काम पूरा नहीं होगा ।

*५०—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १२३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*५१-५३—श्री गेंदासिंह—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १३४-१३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*५४-५५—श्री मुक्तिनाथराय—[२० फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ८२-८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*५६—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*५७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[२० फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*५८–६०—श्री ऊदल—[२० फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ८५–८७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*६१—श्री मुक्तिनाथराय—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*६२—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*६३—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*६४–६५—श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री जवाहरलाल (जिला इलाहाबाद)—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १४१–१४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*६६—श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*६७—श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—[हटा दिया गया ।]

*६८—श्री गोविन्दनारायण तिवारी—[२० फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ८९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*६९—श्री लक्ष्मणराव कदम—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न संख्या १४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

गठिया नाले पर पुल बनाने की योजना

*७०—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर शहर में गोमती नदी पर तथा जफराबाद के आगे गठिया नाले पर पुल बनाने के विषय में प्रश्नकर्त्ता द्वारा मुख्य मंत्री को अक्तूबर-नवम्बर, १९६० में लिखे गये पत्र पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मसिंह—तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के लिये सीमित धनराशि के कारण गोमती पर पुल के निर्माण के लिये तीसरी आयोजना में व्यवस्था न की जा सकी ।

गठिया नाले पर पुल के लिये मुख्य अभियन्ता से एक आगणन मांगा गया है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि कब तक इस संबंध में एस्टीमेट्स सरकार के सामने आ जायंगे ?

श्री धर्मसिंह—वह तो सर्वे इत्यादि हो रहा है और एस्टीमेट बाद में बनेगा । इस समय बताना कठिन है ।

*७१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*७२—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १४७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*७३–७४—श्री जवाहरलाल—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १४८–१४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*७५—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—[२० फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ९० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*७६—श्री जवाहरलाल—[२० फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ९१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*७७—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—[२० फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ९२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*७८-७९—श्री भगवतीसिंह विशारद—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १५०-१५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*८०—श्री रामसुन्दर पांडेय—[२० फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ९३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*८१—लक्ष्मणराव कदम—[हटा दिया गया ।]

*८२—श्री त्रिलोकीसिंह—[२० फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ९५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

परामर्शदात्री समिति, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला बदायूं की बैठकें

*८३—श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं की पी० डब्लू० डी० एडवाइजरी कमेटी की कितनी बैठकें पिछले दो वर्षों में हुईं ?

श्री धर्मसिंह—केवल एक बैठक २०-२-५८ को हुई ।

श्री शिवराजसिंह यादव—क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि फरवरी, १९५८ से पिछले दो वर्षों में एक भी बैठक न बुलायी जाने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह—७ बार बैठक बुलायी गयी । मान्यवर, इसका विवरण इस प्रकार है—

पहली बैठक २०-२-५८ को हुई, उसकी सूचना मैंने दी है । दूसरी बैठक २९-११-५८ को, तीसरी २४-१-५९ को और चौथी ३०-५-५९ को हुई जिसमें पूरे सदस्यों के उपस्थित न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई और न कोई प्रस्ताव पास हुआ । पांचवीं बैठक २५-१०-५९ को हुई और छठी २८-११-५९ को जिसमें कोई सदस्य उपस्थित नहीं हुआ । सातवीं ११-१०-६० को हुई जिसमें केवल एक सदस्य उपस्थित हुआ । विभाग की तरफ से अवश्य इत्तला गयी, लेकिन सदस्यों के उपस्थित न होने के कारण कोई कार्यवाही उस बार नहीं हुई ।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या सरकार को मालूम है कि ये पी० डब्लू० डी० की ऐडवाइजरी कमेटीज और जिलों में भी इसी तरह से काम नहीं कर रही हैं ?

श्री धर्मसिंह—जहां-जहां इस तरह की कमेटीज हैं जिलों में वह तो पूरी तरह से कार्य कर रही हैं । यदि माननीय सदस्य किसी जिले का कुछ विवरण प्रस्तुत करेंगे तो उसकी छान-बीन करा ली जायगी ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मीटिंगों की सूचना भी कभी सदस्यों को दी गयी थी ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, जब-जब मीटिंग बुलाई गयी, सदस्यों को अवश्य सूचना दी गयी ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—क्या माननीय मंत्री जी इस संबंध में जांच करवायेंगे कि आज तक कभी विधान सभा के सदस्यों को इन मीटिंगों की इत्तला नहीं दी गयी है?

श्री धर्मसिंह—इसकी जांच करा ली जायगी, लेकिन जब आखिर में यह बात मालूम हुई कि कुछ लोगों को सूचना नहीं है तो रजिस्टर्ड लेटर भी भेजे गये थे ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी इस संबंध में यह भी जांच करायेंगे कि प्रदेश में अन्य जगहों पर जो जिला स्तर पर पी० डब्ल्यू० डी० की कमेटीज हैं उनकी मीटिंगें ऐसे दिनों में लगायी जाती हैं जबकि विधान सभा चल रही होती है या इतना कम नोटिस होता है कि विधायक पहुंच नहीं पाते ?

श्री धर्मसिंह—विभाग के लोगों को खास तौर से इस तरह की हिदायतें हैं कि जब सेशन चल रहा हो तो जहां तक हो सके अगर लम्बा चल रहा हो तो दूसरी बात है, उन दिनों में मीटिंग न बुलाई जायं और ऐसा होता भी है ।

विधायक निवासों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की सुविधायें बढ़ाने की सिफारिश

*८४—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवासों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन काम करने वाले कितने कर्मचारी हैं ?

श्री धर्मसिंह—३२ ।

*८५—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी ५ वर्ष से ऊपर से काम कर रहे हैं तथा उन्हें ५ रुपये एवं २ रुपये ५० नये पैसे की वृद्धि अब तक क्यों नहीं प्रदान की गई ?

श्री धर्मसिंह—१० कर्मचारी ५ वर्ष से अधिक से काम कर रहे हैं । ये कर्मचारी प्रचलित बाजार वेतन दर पर उनकी योग्यतानुसार बंधे वेतन पाते हैं । उन्हें मंहगाई का भत्ता अलग से नहीं दिया जाता इसलिये उन्हें बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता देने का प्रश्न नहीं उठता ।

*८६—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन कर्मचारियों को वार्षिक छुट्टी कितनी दी जाती है?

श्री धर्मसिंह—१० दिन ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन कर्मचारियों को वर्ष भर में १० दिन ही छुट्टी देने का कारण क्या है ?

श्री धर्मसिंह—जैसा कि प्रश्न ८५ के उत्तर में निवेदन किया गया है, ये रेगुलर कर्मचारी तो हैं नहीं और जहां तक विधायक निवासों का संबंध है, जब सेशन चलता है तो माननीय सदस्य यहां पर रहते हैं, इसलिये १० दिन की छुट्टी काफी है ।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के कौन-कौन से सेक्शंस को यह मंहगाई भत्ता मिलने लगा है और किस-किस को नहीं मिलता ?

श्री धर्मसिंह—यहां तो इस विधायक निवास के संबंध में जो ३२ कर्मचारी हैं उनकी ही हमारे पास इत्तला है। उस विभाग में बहुत-सी कैटेगरीज हैं, उन सब की इत्तला मेरे पास नहीं हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन कर्मचारियों को ५ वर्ष से ज्यादा काम करते हो गया है उनके पदों को स्थायी करने की योजना भी सरकार के विचाराधीन है ?

श्री धर्मसिंह—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार इस बात पर विचार करने की कृपा करेगी कि जो कर्मचारी साल में केवल १० दिन छुट्टी पाते हैं उनका और निम्नस्तर के कर्मचारियों के मुकाबले में वेतन बढ़ाया जाय और जो और सुविधा और कर्मचारियों को दी जाती है वह उनको भी प्रदान की जाय ?

श्री धर्मसिंह---जहां तक इस प्रकार के कर्मचारियों का संबंध है जो विधायक निवास में काम करते हैं उनको तमाम साल काम नहीं करना पड़ता, जब सेशन होता है तभी काम रहता है। जहां तक उनके वेतन का संबंध है उनके जो महंगाई वगैरह के रेट्स हैं और जो दूसरी कैटेगरीज के कर्मचारी हैं उनमें कोई अन्तर नहीं है, महंगाई वगैरह को मिलाकर उतना ही पैसा पड़ जाता है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार इनको कैटेगरी नं० ४ में लेना चाहती है जिससे आगे चलकर इनको भी महंगाई भत्ता मिलने की सुविधायें प्राप्त हो जायं ?

श्री धर्मसिंह---ऐसी बात नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इस प्रकार के कर्मचारियों के हेतु श्री लक्ष्मीरमण आचार्य जी की अध्यक्षता में एक रिआर्गेनाइजेशन कमेटी बनी थी और उसकी सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं, क्या सरकार उन पर अमल करने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह---मेरे पास उसका कोई विवरण नहीं है, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

गनाई-पनुवाखाल मोटर मार्ग पर प्रोटेक्शन वाल बनाने का आदेश

*८७---**श्री हरिदत्त कांडपाल** (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिला अल्मोड़ा में १९६० के आरम्भ से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गनाई-पनुवाखाल मोटर मार्ग बन रहा है और उस निर्माण के कारण सड़क के किनारे ऊपर की तरफ तथा सड़क के नीचे की तरफ मलवा, बोल्डर गिरने तथा मकानों की बुनियाद तक खोद डालने से ग्राम जमणियां, रबाड़ी, विजराणी, सिमलखेत के कई मकानों के गिरने का तात्कालिक खतरा पैदा हो गया है तथा कई मकानों के रहने वालों ने मकान छोड़कर अन्यत्र शरण ले रखी है? यदि हां, तो ऐसे कितने मकान किन-किन गांवों में हैं और मकान छोड़ जाने वाले परिवारों की किस गांव में कितनी संख्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जिला अल्मोड़ा में गनाई-पुनवाखाल मोटर मार्ग का निर्माण सन् १९६० से आरम्भ हो रहा है और सड़क के निर्माण के कारण किसी किसी स्थान पर मलवा और बोल्डर गिरे हैं, परन्तु निर्माण-कार्य में किसी भी मकान की बुनियाद नहीं खोदी गई है । सड़क निर्माण के कारण जमणियां गांव में तीन पेड़ों के गिरने की संभावना हो गई है, जिसके कारण तीन मकानों को खतरा पैदा हो गया है । इनमें से एक मकान का परिवार मकान छोड़ कर अन्यत्र चला गया है ।

*८८---**श्री हरिदत्त कांडपाल** (अनुपस्थित)---क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सड़क खोदते समय ही खतरे वाले मकानों की रक्षा प्रोटेक्शन वाल देकर कर ली थी ? यदि हां, तो कहां-कहां पर ? यदि नहीं , तो क्यों और क्या उक्त खतरे की सूचना संबंधित लोगों को यथासमय दे दी थी ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क बनाते समय मकानों की रक्षा के लिये बिजराणा तथा रबाड़ी ग्राम में प्रोटेक्शन वाल बना दी गई थी । उस समय इन ग्रामों के अतिरिक्त दूसरे ग्रामों में खतरा नहीं समझा गया था और न ही खतरे की सूचना ग्रामवासियों को दी गई थी, क्योंकि जहां खतरा समझा गया था वहां प्रोटेक्शन वाल बना दी गई थी ।

*८९--श्री हरिदत्त कांडपाल (अनुपस्थित)--क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सड़क बनने के कारण टूटने वाले या तत्काल खतरे के मकानों में रहने वाले परिवारों को अन्यत्र बसाने तथा अन्य सहायता का कोई प्रबन्ध किया ? यदि हां, तो कब और क्या सहायता की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सड़क के निर्माण के कारण जो भी भूमि अथवा मकानों की क्षति हुई है उसका जो मुआवजा माल अधिकारियों द्वारा निश्चित किया जायगा वह सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिया जायगा। वहां जहां खतरे की संभावना हो गई थी वहां प्रोटेक्शन वाल दे दी गई थी और जहां अब खतरे की संभावना हो गई है वहां अब प्रोटेक्शन वाल बनाने के आदेश दे दिये गये हैं। परिवारों को अन्यत्र बसाने की न तो अभी कोई प्रार्थना ही आई है और न ऐसी कोई योजना है।

परिगणित जाति के ओवरसियरों की पदोन्नति

*९०--श्री चिरंजीलाल जाटव--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ से १९६० तक कितने ओवरसियरों में से असिस्टेन्ट इंजीनियर पद के लिये गये हैं तथा उनमें कितने परिगणित जाति के हैं ?

श्री धर्मसिंह--सूचना एकत्र की जा रही है।

*९१--श्री चिरंजीलाल जाटव--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने परिगणित जाति के ओवरसियर हैं जिनकी दस वर्ष की सर्विस हो चुकी है और उसमें उनकी पदोन्नति क्या हुई है ?

श्री धर्मसिंह--सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री चिरंजीलाल जाटव--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कब तक सूचना प्राप्त हो जायगी ?

श्री धर्मसिंह--विभाग की तरफ से कोशिश की जा रही है, आशा है शीघ्र प्राप्त हो जायगी।

श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)--कई महीने हो गये, लेकिन अभी तक सूचना क्यों नहीं एकत्र हो पाई ?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

नवतनवां-लुम्बनी मार्ग पर पुलों की आवश्यकता

*९२--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या मुख्य मंत्री नवतनवां, जिला गोरखपुर से लुम्बनी जाने वाली सड़क पर कलवर्ट व पायल ब्रिज बनाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इतने महत्वपूर्ण रास्ते पर पुल क्यों नहीं बनाये जायंगे ?

श्री धर्मसिंह--इस रास्ते पर जहां-जहां आवश्यकता है वहां पर पुल बने हुए हैं। इस रूट पर कोई अन्य क्रासिंग नहीं है जहां पर नदी पड़ती हो और पुल की आवश्यकता हो, बाकी जो छोटे-छोटे नाले वगैरह होते हैं वहां पर पुल बने हुए हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या माननीय मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करने की कृपा करेंगे क्योंकि इस रास्ते पर एक भी पुल नहीं बना हुआ है और भूतपूर्व मंत्री जी जब नौतनवाँ गये थे तो उनके सामने यह चीजें रखी गई थीं कि यह नौतनवां से लुम्बनी वाला मार्ग एक अन्तर्राष्ट्रीय महत्व रखता है, लेकिन इस पर कोई छोटा बड़ा पुल नहीं है.....

श्री अध्यक्ष--आप पहले यह तो बताइये कि इस मार्ग पर कोई नदी वगैरह है या नहीं ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--जी हां, कई हैं । मंत्री जी अपने डिपार्टमेंट से पहले दरियाफ्त करें । यह मार्ग अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का है जो कि बुद्ध जी के जन्मस्थान को जाता है और बहुत से फारेनर्स इस मार्ग पर आते-जाते हैं । उस पर जो नदियां हैं उन पर पुल बनने के लिये तीन साल पहले जांच हुई थी, सर्वे भी हुआ था, लेकिन उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई । तो मंत्री जी ने जो जवाब दिया "जी नहीं" क्या उस पर वह पुनर्विचार करेंगे ?

श्री धर्मसिंह--जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं मेरे पास उसके डिटेल्स नहीं हैं, लेकिन मैंने जो कुछ उत्तर दिया है वह जो मेरे पास रिपोर्ट आई उसी के आधार पर दिया । चूंकि माननीय सदस्य कहते हैं इसलिये उसको देख लिया जायगा ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुदान का व्यपगत धन

*९३--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के १९५७-५८, १९५८-५९, १९५९-६० के बजटों में मोटर सड़कों एवं पुलों के निर्माण हेतु विधान मन्डल द्वारा स्वीकृत धनराशि में से कितनी धनराशि खर्च न की जा सकी व व्यपगत (lapse) हो गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २५० पर)

*९४--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार अपव्यय बचाने तथा व्यपगत धनराशि को पुनः प्राप्त करने हेतु निरर्थक कार्यवाहियों को रोकने हेतु कोई अव्यपगत सड़क निर्माण निधि (Non-lapsable Road Development Fund) की स्थापना करने पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, सरकार इस पर विचार कर रही है ।

जालौन जिले में रक्षित वन क्षेत्र

*९५--**श्री गरीबदास** (जिला जालौन)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में सरकार द्वारा रक्षित वनों की भूमि का क्षेत्रफल क्या है तथा कौन से वनों में वृक्ष लगे हुए हैं और कौन-कौन से वन बिना पेड़ों के हैं ?

वन मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)--जिला जालौन के रक्षित वनों का क्षेत्रफल ८९९६.१९ एकड़ है । इस वन भूमि पर अधिकतर सभी स्थानों पर वृक्ष हैं । केवल कहीं कहीं बिखरे हुए छोटे-छोटे रिक्त स्थान मिलते हैं ।

*९६--**श्री गरीबदास**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला जालौन में जमींदारी विनाश के पहले वन विभाग के पास कितने वन थे और कौन से तथा उनका क्या क्षेत्रफल था ?

नोट--तारांकित प्रश्न ९२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री अलगूराय शास्त्री--जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जिला जालौन में वन विभाग के अधीन संलग्न† सूची में अंकित ३३ वन ब्लाक थे जिनका क्षेत्रफल २३,२०६ एकड़ था।

*९७--**श्री गरीबदास**--क्या सरकार उपर्युक्त जंगलों की कुछ भूमि कृषि हेतु भूमिहीनों को देने पर विचार कर रही है ?

श्री अलगूराय शास्त्री--जी नहीं।

बुलन्दशहर से बिक्री-कर अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें

*९८--**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा)--क्या सरकार के पास बुलन्दशहर के नागरिकों की ओर से इस प्रकार की शिकायत जुलाई, १९६० में आई है कि उन्हें बिक्री-कर अधिकारी, बुलन्दशहर नित्य प्रातः बुलाकर रात को छोड़ते हैं और पुनः दूसरे दिन आने को बाध्य करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी जांच करवाई और उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--जी हां। लेकिन जांच के पश्चात् यह पाया गया कि वे शिकायतें गलत थीं। कुछ व्यापारियों को, उनके हिसाब की जांच हेतु बिक्री-कर अधिकारी ने यदाकदा बुलाया था उनमें से कुछ व्यापारियों को कई बार बुलाना पड़ा क्योंकि उन्होंने पूरी सूचना एक बार में नहीं दी थी।

*९९--**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**--क्या सरकार के पास जुलाई, १९६० में ऐसी शिकायतें आई हैं कि बिक्री-कर अधिकारी वह बयान नहीं लिखते जो व्यापारी बोलते हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इसकी रोक-थाम के लिये क्या प्रबन्ध किया ?

श्री हरगोविन्दसिंह--जी हां, एक व्यापारी से ऐसा शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था। जांच के पश्चात् मालूम हुआ कि शिकायत निराधार थी।

नैनी इण्डस्ट्रियल बस्ती को बिजली

*१००--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद की नैनी इंडस्ट्रियल बस्ती में कितने कारखाने ऐसे हैं जिन्होंने १९५७ से पावर के लिये प्रार्थना-पत्र दिया और उनमें कितने कारखाने वालों को कितनी-कितनी बिजली दी गई तथा कितनों को नहीं दी गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--नैनी इंडस्ट्रियल इस्टेट तथा कालोनी में अब तक ४३ प्रार्थियों को बिजली स्वीकृत की जा चुकी है। ११ प्रार्थियों की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई है। इनकी सूची† क्रमशः (क), (ख) संलग्न है।

*१०१--**श्री ऊदल**--[वापस लिया गया।]

बैरोली ग्राम वासियों को लीसे की रायल्टी न मिलना

*१०२--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम बैरोली, पट्टी मल्ला कुटौली, जिला नैनीताल के सिविल जंगल से निकाले गये लीसे की रायल्टी का रुपया गांव वालों को अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

---

† सूची छापी नहीं गई।

श्री अलगूराय शास्त्री--ग्राम बैरोली, पट्टी मल्ला कुटौली, जिला नैनीताल के सिविल जंगल के लीसा की रायल्टी का १९५७ तक की फसल का रुपया ग्राम बैरोली को दिया जा चुका है तथा नियमानुसार कुछ रुपया वन संरक्षण कार्य के लिये रोक लिया गया है जो व्यक्तिगत लेखे में गांव सभा फंड में जमा है। इसके अतिरिक्त १९५८-५९ तक की फसल के रुपये को दिये जाने के बाबत जिलाधीश, नैनीताल द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

ऊमरी व कतराई के प्रधानों को रोडसाइड लैण्ड कंट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत नोटिस

*१०३--श्री गजेन्द्रसिंह (जिला इटावा)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यू० पी० रोडसाइड लैन्ड कन्ट्रोल ऐक्ट, १९४५ (ऐक्ट नं० १०, सन् १९४५) की धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन, जिलाधीश इटावा ने मौजा ऊमरी व कतराई के प्रधानों को नोटिस दिये हैं जिसके अन्तर्गत सड़क के मध्य बिन्दु से २२० फीट समानान्तर जगह नियन्त्रित क्षेत्र घोषित किये जाने का विचार सरकार रखती है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां।

*१०४--श्री गजेन्द्रसिंह--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त गांवों की जगह सरकार किस लिये लेना चाहती है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सरकार उपर्युक्त गांवों की जगह सम्पति नहीं लेना चाहती है।

कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्तर्गत वर्क्स काउन्सिल की आवश्यकता

*१०५--श्री मदन पांडेय--क्या यह सत्य है कि कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन (केसा) में राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा फरवरी, १९६० के पहले ही वर्क्स काउंसिल का निर्माण किये जाने का आदेश दिये जाने के बावजूद अभी तक उक्त संस्थान में वर्क्स काउंसिल का निर्माण नहीं कराया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया इसका कारण बतायेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वर्क्स काउंसिल बनाना सम्भव नहीं हुआ। केसा में दो वर्क्स यूनियन हैं--(१) कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्क्स यूनियन, तथा (२) कानपुर बिजली मजदूर सभा। राज्य विद्युत परिषद् ने प्रथम यूनियन को मान्यता प्रदान की परन्तु दूसरी को नहीं। स्टेट ओन्ड अंडरटेकिंग्स के परमानेन्ट कान्सिलिएशन बोर्ड के चेयरमैन के निर्देशानुसार प्रत्येक यूनियन के पांच-पांच सदस्यों को वर्क्स काउंसिल में सम्मिलित करना था। उक्त निर्णय के विरुद्ध कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्क्स यूनियन ने प्रस्ताव किया कि कानपुर बिजली मजदूर सभा मान्यता प्राप्त नहीं है अतः वह वर्क्स काउंसिल में अपने सदस्य भेजने की अधिकारी नहीं है। केसा ने इस मामले को पुनः रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन्स को प्रेषित किया है कि रजिस्ट्रार का निर्णय प्राप्त होते ही वर्क्स काउंसिल का निर्माण कर दिया जायगा।

*१०६--श्री मदन पांडेय--क्या यह सत्य है कि केसा में कानपुर बिजली मजदूर सभा १०९/२२४, रामकृष्ण नगर, कानपुर वर्तमान कोड आफ डिसिप्लिन की सभी शर्तों का पालन करती है? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त यूनियन किन कारणों से रिकग्नाइज नहीं की गई है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--राज्य विद्युत परिषद् ने अपने ही अधीन दो यूनियन्स को मान्यता प्रदान करना उचित नहीं समझा। उन्होंने यह महसूस किया कि यदि दोनों यूनियनों को मान्यता प्रदान कर दी गई तो दूषित वातावरण पैदा हो जायगा और वे इम्प्लायर (employer) से अवांछित सुविधायें प्राप्त करने में एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी हो जायेंगी।

मुगलसराय-सोननगर तथा मुगलसराय-कानपुर रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण की मांग

*१०७—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच बिजली से रेल चलाये जाने की योजना पर विचार हो रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बिजली से रेल चलाये जाने के लिये भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश से बिजली की मांग की है।

*१०८—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त योजना कब से तथा किन स्थानों से किन स्थानों तक चालू करने का विचार हो रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुगलसराय से सोननगर लाइन तथा मुगलसराय से कानपुर की लाइनों के विद्युतीकरण के लिये बिजली की मांग की गई है। भारत सरकार ने बिजली ली जाने की तिथि अभी नहीं बतलायी है।

*१०९— श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सरकार कानपुर जिले के अन्तर्गत रूरा और झींझक कस्बों में जो यातायात और व्यापार में, जिले में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं, शीघ्र बिजली लाने पर विचार करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चालू वित्तीय वर्ष में इन नगरों का विद्युतीकरण सम्भव नहीं है।

लच्छीपुर तथा तप्पा में पेड़ काटे जाने की शिकायत

*११०—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पी० डब्लू० डी० हाईडेल डिवीजन ने वर्ष १९५५ में ग्राम लच्छीपुर, तप्पा कस्बा, जिला गोरखपुर के किसानों के कुल कितने पेड़ काटे और उसका कुल कितना मुआवजा दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१९५५ में कोई पेड़ नहीं काटा गया।

*१११—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त कटे वृक्षों में किस-किस प्रकार के वृक्ष हैं और उनका अलग-अलग किस दर से कितना मुआवजा प्रति पेड़ दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त— प्रश्न नहीं उठता।

एरिच घाट पर पुल की आवश्यकता

*११२—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एरिच घाट (झांसी) पर पुल बनाने की योजना कितने वर्षों से विचाराधीन है और उसके अभी तक कार्यान्वित न होने के क्या कारण हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—एरिच घाट पर साफ मौसम में नौकापुल तथा बरसात में फेरी के निर्माण का कार्य तो सरकार ने जून, १९५८ में स्वीकृत कर दिया था। परन्तु सदस्य महोदय के उसके बजाय सुरीघाट पर काजवे के निर्माण के सुझाव के कारण उसे स्थगित कर देना पड़ा और मामला अभी विचाराधीन है।

निर्माण योजनान्तर्गत जिलेवार पक्की सड़कें

*११३—श्री मुक्तिनाथराय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जिलेवार पक्की सड़कों के निर्माण की कोई सूची समस्त प्रदेश की है ? यदि हां, तो वह किस प्रकार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रथम भाग : जी हां।

द्वितीय भाग : यह सूची सदस्य महोदय की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २५१-२५२ पर)

बबियाड़-चांफी मार्ग की मरम्मत

*११४--**श्री खुशीराम** (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला नैनीताल के बबियाड़, दुदली, मलुवाताल, अलचौड़ा होते चांफी तक वन विभाग द्वारा १०-१२ मील लम्बा जो रास्ता बनाया गया था वह खतरनाक हालत में है? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया उक्त रास्ते को सुधारने का शीघ्र प्रयत्न करेगी?

श्री अलगूराय शास्त्री--कथित मार्ग में वर्षा ऋतु में अवश्य टूट-फूट हुई थी, जिसकी मरम्मत की जा रही है।

*११५--**श्री खुशीराम**--क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़क की एक शाखा जो गुनिया लेख को जाती है उसकी भी हालत खतरनाक है? यदि हां, तो क्या सरकार इसका भी जीर्णोद्धार करने की कृपा करेगी?

श्री अलगूराय शास्त्री--कथित मार्ग में भी वर्षा ऋतु में टूट-फूट हुई थी, जिसकी मरम्मत की जा रही है।

मऊ व गोरखपुर पावर स्टेशनों को रिहन्द से मिलाने की योजना

*११६--**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**--क्या सरकार रिहन्द बांध तथा सोहावल मऊ (इन तीनों) की बिजलियों को मिलाकर एक ग्रिड बनाने का विचार कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मऊ और गोरखपुर पावर स्टेशनों को एक दूसरे के साथ तथा इन दोनों को रिहन्द व्यवस्था के साथ मिलाने का प्रस्ताव है। सोहावल को इस ग्रिड से मिलाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

*११७--**राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे**--क्या सरकार रिहन्द से बनी बिजली सस्ती दर पर बिरला अल्मोनियम फैक्ट्री को देने वाली है? यदि हां, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सस्ती और महंगी तुलनात्मक शब्द हैं, इसलिये इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता।

रिहन्द परियोजना से बिजली तथा एन० ई० एस० ब्लाक को मुसाफिरखाने बनवाने का ठेका

*११८--**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि रिहन्द परियोजना से बिजली देने में निर्धारित काल से अधिक विलम्ब होने की सम्भावना है? क्या जो (Transmission lines) आदि एक बार लगाई गयी थीं उनमें परिवर्तन किया जा रहा है? अगर हां, तो क्यों और इससे पूर्ण होने की अवधि, खर्चे तथा आगे होने वाली आमदनी में क्या अन्तर पड़ेगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं। आशा है कि रिहन्द परियोजना से बिजली निर्धारित काल में उपलब्ध हो जावेगी। जो ट्रांसमिशन लाईन बनाई जा चुकी है अथवा बनाई जा रही है उनमें कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है। इन परिस्थितियों में अतिरिक्त प्रश्न नहीं उठते।

*११९—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि N.E.S. Block की मुसाफिरखाने की इमारत बनाने के ठेके कब व किसे दिये गये थे, उनकी (१) मंजूरी, (२) Site निर्धारण व ठेकेदारों को उनकी इत्तिला तथा (३) पूरी करने की तिथियां क्या थीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २५३ पर)

*१२०—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या इन कार्यों के सम्बन्ध में कोई ठेके रद्द किये गये ? उसके पूर्व जिला इंजीनियर P.W.D. द्वारा दिनांक १५ जनवरी, १९५८ को कोई पत्र इन ठेकेदारों को लिखे गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

लखनऊ-मोहान सड़क का निर्माण

*१२१—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ से मोहान जाने वाली कच्ची सड़क को पक्की करने का कार्य पी० डब्लू डी० द्वारा कब से शुरू किया गया था और यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह कार्य मार्च, १९५८ से प्रारम्भ किया गया था और आशा की जाती है कि कार्य दिसम्बर, १९६१ तक पूर्ण हो जायेगा।

मोहनी मगूरगंज को बिजली न मिलना

*१२२—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित सरकारी आदेश के अनुसार ग्राम मोहनी-मगूरगंज, जिला एटा को बिजली न देने के क्या कारण हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गंगा ग्रिड में विद्युत् शक्ति के अभाव के कारण इस नगर का विद्युतीकरण नहीं किया गया।

आजमगढ़ की बाढ़ रक्षार्थ योजना

*१२३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ नगर की बाढ़ रक्षार्थ सम्प्रति कौन-कौन योजनायें कितने-कितने रुपये की लागत की चालू हैं और वे कब तक पूर्ण हो जायेंगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आजमगढ़ नगर को बाढ़ से बचाने के लिये इस समय ३,५०,००० रुपये की लागत की एक योजना चालू है जिसके शीघ्र ही पूर्ण हो जाने की आशा है।

राजघाट व ऊदीघाट का ठेका

*१२४—श्री गजेन्द्रसिंह—क्या मुख्य मंत्री दिनांक ९ अगस्त, १९६० के प्रश्न संख्या १३ व १४ के उत्तर के क्रम में कृपया यह बतायेंगे कि उनका ध्यान श्री आर० सी० पन्त, उप-सचिव, स्वायत्त शासन विभाग के पत्र संख्या १७७१ए०/९-ए/१९-ए०/६०, दिनांक २४ जून, १९६० की ओर गया है जो उन्होंने जिला परिषद्, इटावा को लिखा है कि पैदल यात्री खाली पुल पर से जावें और १२ घंटे के अन्दर खाली वापस आवें, तो उसे दोनों तरफ का महसूल देना होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

*१२५—श्री गजेन्द्रसिंह—क्या मुख्य मंत्री उक्त क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि उनका ध्यान सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता (इमारतों और सड़कों) के सरकुलर नं० ३३ पी० डब्लू० डी०, लखनऊ, ९ अगस्त, १९३७ की ओर गया है जिसके अनुसार प्रत्येक गाड़ी या पैदल यात्री लदे हुये घाट पर से जावें और १२ घंटे के अन्दर लदे हुये ही वापस आयें तो उनको दोनों तरफ का महसूल देना आवश्यक है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

गोकुल को बिजली देने की योजना

*१२६—श्री त्रिलोकीसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कस्बा गोकुल, जिला मथुरा में बिजली पहुंचाने की कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित हो जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार ने गोकुल में बिजली वितरण करने का अधिकार प्रदेशीय राज्य विद्युत् परिषद् को दे दिया है और आशा है कि वे जून या जुलाई, १९६२ तक वहां का विद्युतीकरण कर देंगे।

*१२७—श्री त्रिलोकीसिंह—[२२ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

गाजीपुर जिले में हरिजन पाठशालायें, पुस्तकालय तथा छात्रावास

*१२८—श्री रघुवीर राम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में कितनी हरिजन पाठशालायें और पुस्तकालय हैं और किन-किन स्थानों पर हैं ? प्रत्येक पुस्तकालय और पाठशाला के लिये १९५७–५८, १९५८–५९ तथा १९५९–६० में अलग-अलग कितना धन सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला गाजीपुर में कुल २१ हरिजन पाठशालायें (१५ छात्रों तथा ६ छात्राओं की) तथा ५ पुस्तकालय हैं। वर्ष १९५७–५८, १९५८–५९ व १९५९–६० में इनको स्वीकृत की गई धनराशि का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २५४ पर।)

*१२९—श्री रघुवीर राम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में हरिजन छात्रावास में १९५७–५८, १९५८–५९ तथा १९५९–६० में सरकार की तरफ से क्या सुविधा दी जाती थी और उक्त छात्रावास में कुल कितने छात्र उपरोक्त सालों में रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस जिले में स्थित हरिजन छात्रावास, बैजनाथ चौक, गाजीपुर को विभाग द्वारा दी गई सुविधाओं का विवरण निम्न प्रकार है :

(१) भोजन बनाने हेतु दो नौकरों का वेतन।
(२) छात्रावास भवन का किराया।
(३) मेहतर का वेतन।
(४) रोशनी पर व्यय।
(५) आकस्मिक व्यय आदि।

इसके अतिरिक्त १९५८–५९ से प्रकाश पर होने वाला व्यय भी इस विभाग द्वारा दिया जा रहा है। १९५७–५८ व १९५८–५९ में इस छात्रावास में रहने वाले छात्रों की कुल संख्या ३२ तथा १९५९–६० में ३१ थी।

जिला सूचना अधिकारियों का चुनाव

*१३०--**श्री खुशीराम**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५९ में लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा जिला सूचना अधिकारियों का चुनाव हुआ था? यदि हां, तो इसमें कितने उम्मेदवार चुने गये?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, १९५९ में जिला सूचना अधिकारियों के ५१ पदों के लिये लोक सेवा आयोग द्वारा चुनाव हुआ था।

*१३१--**श्री खुशीराम**--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उपरोक्त चुनाव में चुने गये उम्मेदवारों में से कितनों की नियुक्ति कर ली गई है और कितनों की नियुक्ति करना बाकी है तथा बाकी नियुक्ति जो अभी तक नहीं हो सकी, इसका क्या कारण है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--चुने गये व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

समथर में हरिजन कूपों के लिए अनुदान

*१३२--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि समथर (झांसी) में हरिजनों के कुओं के लिये किन-किन लोगों को कितना-कितना रुपया सन् १९५५ से १९५९ तक अनुदान में दिया गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--समथर, जिला झांसी में निम्नलिखित तीन हरिजनों को कूप निर्माण हेतु अनुदान दिये गये:

	रु०
(१) श्री कल्लू सोनकर	३६०
(२) श्री प्रहलाद कारीगर	२६६
(३) श्री केसरी	१,०४२

*१३३--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त कुओं में से कौन से कुएं पूर्ण रूप से बन गये व कितने अधबने पड़े हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उपरोक्त पहले दो कूप पूर्ण हो चुके हैं और तीसरा अभी अपूर्ण है।

हरिजन सहायक बोर्ड की बैठकें

*१३४--**श्री जगन्नाथप्रसाद** (जिला खीरी)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सन् १९६० से हरिजन सहायक बोर्ड की कितनी बैठकें हुई हैं और उनमें क्या-क्या निर्णय हुये?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई।

प्रश्नों के संशोधित उत्तरों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्नों के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना है। आचार्य दीपङ्कर जी के नाम से नत्थी 'ख' पर जो पहला प्रश्न है, वह इस प्रकार है--"क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, मेरठ की उद्योगशाला के कर्मचारियों ने सरकार से बार-बार मांग की है कि बेकार पड़े बहुमूल्य यंत्रों को उपयोगी बनाने के लिये कुछ नये औजार उद्योगशाला में लाये जायं"।

उसमें खास तौर से "बार-बार" शब्द का प्रयोग हुआ है। उसका जवाब उस समय दिया गया था--"इस प्रकार का कोई प्रार्थना-पत्र सरकार के पास नहीं आया"। लेकिन आज संशोधित जवाब आता है---'जी हां'। पहले जिस चीज का टोटल डिनायल किया गया और आज उसी के लिए कहते हैं 'जी हां'। अध्यक्ष महोदय, अब आप ही देख लीजिये कि ऐसा झूठा जवाब कहां तक शोभनीय है। ऐसे उत्तरों से गलतफहमी फैलती है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं आपका कहना ठीक है। बिलकुल वाजिब बात है। जवाब अच्छी तरह से छान-बीन करने के बाद दिया जाना चाहिये। वैसे तो मैं प्रश्नों के समय में ऐसे प्रश्नों को नहीं रखता हूं। लेकिन यह पकड़ा गया। ऐसी शिकायत की गयी कि जवाब इस तरह का दिया गया। यह बात जब मालूम हुई तब इसके बाद यह मालूम हुआ कि सदन में ही यह जवाब देना चाहिये। इसमें सदस्यगण पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और यह भी सुझाव दे सकते हैं कि जिनकी गलती से इस तरह का उत्तर दिया गया उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही, यदि उचित है तो सरकार करे। मैं समझता हूं कि सरकार इसमें कार्यवाही कर रही होगी।

श्री ज्वालाप्रसाद जिज्ञासु के निधन पर शोकोद्गार

*__मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)__---अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए दुःख होता है कि इस सदन के एक माननीय सदस्य, जो १९३७ से १९४१ तक इस सदन के सदस्य थे, उनका निधन हो गया। मेरा तात्पर्य श्री ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु से है। वे अलीगढ़ से इस सदन के सदस्य थे। वे वहां के सार्वजनिक जीवन के प्रमुख व्यक्ति थे। उन्हें दो बार राष्ट्रीय आन्दोलन में जेल की यातनायें भी सहने का अवसर मिला था। शिक्षा संस्थायें कई ऐसी हैं जिनका सम्बन्ध उनसे था और जिनको बराबर उनसे प्रोत्साहन मिलता रहा। अलीगढ़ शहर के उस जमाने के वे ऐसे कार्यकर्त्ता थे कि जिनके पीछे काफी व्यक्ति कार्य करते थे। वहां की शहर कांग्रेस कमेटी के संगठन में वे सदा अगुआ का कार्य करते रहे। कोई भी व्यक्ति हो जिसने पिछले जमाने के सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लिया है उनके हमारे बीच से उठ जाने में तकलीफ होती है, क्योंकि ये बुजुर्ग लोग जो देश के काम में रहे, राष्ट्र के कार्यों में समय-समय पर हिस्सा लिया, अपनी बुजुर्गी में भी नवयुवकों को प्रेरणा देते रहते हैं। श्री जिज्ञासु हमारे बीच से चले गये, लेकिन उनकी याद हमें बनी रहेगी। उनकी स्मृति और उनके कार्य सदैव ही नवयुवकों को उनकी याद दिलाते रहेंगे। मैं अपनी ओर से और अपने पीछे बैठने वाले साथियों तथा सदन के सभी सदस्यों की ओर से उनके दुखी परिवार को आपके द्वारा समवेदना भेजना चाहता हूं और आपकी आज्ञा से इस सदन की सहानुभूति उनके दुखी और पीड़ित घर वालों से निवेदन करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि सभी सदस्यगण जो प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार करेंगे।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय, श्री ज्वालाप्रसाद जी जिज्ञासु इस प्रदेश के उन समाज सेवियों में थे कि जब इस ओर बहुत कम लोग उसमें रुचि रखते थे। अलीगढ़ जिला ही नहीं बल्कि सारे प्रदेश में उनकी छाप थी। कांग्रेस के बड़े कर्मठ सदस्य, राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने वाले और अलीगढ़ नगर में जैसा कि माननीय नेता सदन ने कहा कि अनेक सार्वजनिक संस्थाओं, विशेष कर शिक्षा संस्थाओं से यही नहीं कि उनका सम्बन्ध था, बल्कि उनकी स्थापना करने में, उनका एक खास हाथ था। अर्से से वह बीमार थे और रिटायर्ड जीवन व्यतीत कर रहे थे फिर भी उनसे अलीगढ़ के लोगों को बहुत बड़ा सहारा था। उनके न रहने से हमारे प्रदेश के समाज सेवियों में से एक प्रमुख व्यक्ति उठ गया और मैं अपनी ओर से और इधर के अन्य माननीय सदस्यों की ओर से मान्यवर से यह निवेदन करूंगा कि जो विचार माननीय नेता सदन ने प्रकट किये हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और आप से प्रार्थना करता हूं कि हमारी समावेदना उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की आप कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, श्री ज्वालाप्रसाद जिज्ञासु के जिन गुणों का वर्णन माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय नेता विरोधी दल ने किया है उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए उनके दुखी परिवार के प्रति अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से तथा उन ऐसे तमाम लोगों की ओर से जो हमारे विचारों से सहमत हैं, सद्भावना और सहानुभूति प्रकट करता हूं और आप से प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी इस सहानुभूति और समवेदना को उनके संतप्त परिवार तक पहुंचा दें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, श्री ज्वालाप्रसाद जिज्ञासु के बारे में माननीय मुख्य मंत्री तथा विरोधी दल के माननीय नेता ने जिन गुणों का वर्णन किया है उनसे मैं अपने को तथा जनसंघ को सम्बद्ध करता हूं और श्रीमान् से निवेदन करता हूं कि जनसंघ की ओर मेरी सद्भावना तथा समवेदना संतप्त और दुखी परिवार तक आप पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय ज्वालाप्रसाद जी जिज्ञासु के निधन पर जो भाव माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल ने प्रकट किये हैं, उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। किसी भी आजादी की लड़ाई के सिपाही का हमारे बीच से उठ जाना, विशेषकर उन लोगों के लिये जो कि आजादी की लड़ाई में राष्ट्रीय आन्दोलन के सिपाही रहे हों, एक विशेष दुख की बात होती है, उसी तरह से जैसे एक साथी सिपाही के मरने पर एक साथी सिपाही को दुख होता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी ओर मेरे दल की सहानुभूति और समवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक भेजने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—श्री ज्वालाप्रसाद जी जिज्ञासु के निधन पर नेता सदन तथा अन्य दलों के नेताओं ने इस सदन की ओर से जो उनके कार्यों और गुणों का वर्णन किया और उनकी मृत्यु से जो हम सब को दुख हुआ है, जिसे सबने प्रदर्शित किया है और जो विचार प्रकट किये हैं, उनके साथ मैं अपने को भी सम्बद्ध करता हूं। वह जीवन भर समाजसेवी और राष्ट्र की सेवा करने वाले व्यक्ति रहे हैं। यद्यपि वह काफी बुजुर्ग रहे और उनकी उम्र काफी हो गई थी, लेकिन जैसा कि श्री झारखंडे राय जी ने कहा जो व्यक्ति देश के लिये इतनी कुरबानी कर चुके हों, ऐसे देश सेवकों के अपनी बीच में से जाने से वैसा ही दुख होता है जैसे अपने बीच से कोई निकट कुटुम्बी ही चला गया हो, जब ऐसे कार्यकर्त्ताओं के गुणों का ऐसे अवसर पर जिक्र हो तो जो लोग उनको नहीं भी जानते हों और उन की सेवाओं के बारे में जिन्हें ज्ञान भी न हो उनको भी उनके गुणों का वर्णन मात्र सुनकर उनकी मृत्यु पर अतीव दुःख होना स्वाभाविक बात है। उनके चले जाने से अलीगढ़ जिले और प्रदेश को क्षति हुई है और उसकी पूर्ति बड़ी कठिनाई से होगी और मैं समझता हूं कि यद्यपि वह रिटायर हो गये थे फिर भी वह मेल-मिलाप का काम, झगड़े-फसाद मिटाने का काम काफी लगन से करते थे। ऐसा सेवा करने वाला जिसकी आवाज में एक शक्ति थी मिलाने की, झगड़ों को निपटाने की, उसके चले जाने से हमारी भारी क्षति हुई है। यहां पर लोगों ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, उनको मैं उनके संतप्त परिवार को भेज दूंगा। अब हम दो मिनट के लिये खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिये परमात्मा से प्रार्थना करेंगे।

(सब सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुये।)

'नेशनल हेरल्ड' में श्री सीताराम शुक्ल का भाषण न छपने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था नेशनल हेरल्ड और नवजीवन पत्रों के विषय में.....

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—अभी तो और काम हो जाय, उसके बाद मौका होगा।

प्रश्नों के संशोधित उत्तरों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—पहले जो विषय चल रहा था, उसके सम्बन्ध में आपने माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा था कि उनके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कह दिया था कि कार्यवाही हो रही है।

श्री शिवप्रसाद नागर—वह तो नेता सदन से बात कर रहे थे....

श्री अध्यक्ष—आप बैठें।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—अध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज भी जो उन्होंने उत्तर दिया है कि वहां सिर्फ ट्रक हैं पुराने, वह उत्तर बिल्कुल सत्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आप उनको लिखित भेज दीजिये कि क्या सत्य है, वह जांच कर लेंगे।

आचार्य दीपंकर—वह तो पता नहीं कि क्या-क्या जवाब दे देते हैं?

श्री अध्यक्ष—मैं तो आपको रास्ता दिखा रहा हूं कि यह रास्ता हो सकता है।

यू० पी० बिक्री कर (अस्थायी) नियम, १९४८ के अधीन प्रख्यापित संशोधन†

सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री (श्री धर्मसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० बिक्री-कर (अस्थायी) नियम, १९४८ में वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी०—२६६३/१०—९४८-६०, दिनांक २७ अक्तूबर, १९६० के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा २४ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के पास यह छपा हुआ ऐजेन्डा ही है और दूसरा कागज तो है नहीं। उनके पास मूल विज्ञप्ति रहनी चाहिये। इसकी भविष्य में व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष—सदन की मेज पर तो रखा गया है.....

श्री नारायणदत्त तिवारी—सदन की मेज पर तो खाली एजेन्डा ही है। वित्त मंत्री जी के पास मूल विज्ञप्ति रहनी चाहिए। इसकी व्यवस्था भविष्य के लिये होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि फाइल शायद वह छोड़ आये हैं।

श्री धर्मसिंह—इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन भविष्य में रखूंगा।

श्री अध्यक्ष—इसका आप खयाल रखें।

यू० पी० बिक्री-कर नियम, १९४८ के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री (श्री धर्मसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० बिक्री-कर नियम, १९४८ में वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या ए० टी० ३६५६/१०—९४८ (१)—५१, दिनांक ११ नवम्बर, १९६० के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा २४ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

---

*छापे नहीं गये।

प्राक्कलन समिति (१९६०-६१) का तेरहवां प्रतिवेदन*

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से इंडियन बाबिन कम्पनी लिमिटेड, कलेक्टरगंज से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति का तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

महोदय, इस प्रतिवेदन का इसलिये और भी अधिक महत्व है चूंकि सरकार के द्वारा उत्तरोत्तर औद्योगिक आस्थानों में अधिक दिलचस्पी लिये जाने की संभावना है, अतः मैं समझता हूं कि इन आस्थानों के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट है वह सरकार के लिये अधिक उपयोगी प्रमाणित होगी।

'नेशनल हेरल्ड' में श्री सीताराम शुक्ल का भाषण न छपने के संबंध में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में एक प्रश्न श्री सीताराम शुक्ल जी ने उपस्थित करने की अनुमति मांगी है, लेकिन उन्होंने जो मेरे पास सूचना भेजी यह बहुत देर से भेजी और नियम के अनुसार तो भेजी ही नहीं। यह सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने के एक घंटा पहले सचिव, विधान सभा को भेजनी चाहिये। इसमें लिखा हुआ है "माननीय अध्यक्ष महोदय" यानी मेरे नाम से लिखी हुई है। खैर, कोई बात नहीं, आज वे नोटिस दे सकते हैं और फिर इसको बाकायदा, नियम पढ़कर, पेश कर सकते हैं। आज सदन में मौखिक नोटिस देना चाहें तो वे दे सकते हैं।

श्री सीताराम शुक्ल--श्रीमन्, मेरी गुजारिश है कि १५ मिनट मैं कल बोला था, किन्तु 'नेशनल हेराल्ड' में उसका जिक्र भी नहीं किया गया और 'नवजीवन' में मेरा नाम "सीताराम शुक्ल" की जगह "सीताराम छपा है, और यह लिखा गया है कि इन्होंने संशोधन में कहा है कि एक वोटर यहां आकर बैठ गया, मुझे बड़ी खुशी हुई। संशोधन तो मेरा यह है कि पार्टीबाजी को दूर करने तथा शासन को सुदृढ़ करने के लिये रोशनी डाली गई होती तो व्याख्यान और अच्छा होता। तो मैं उस पर कल अर्ज करूंगा।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं, अगर यही बात है और अगर आपको तसल्ली हो जाय तो मैं 'नेशनल हैराल्ड' के प्रतिनिधि जो यहां मौजूद हैं उनसे कह दूं कि यहां जो कार्यवाही होती है उनका पूरा ब्योरा चाहे न छपे, लेकिन जिक्र थोड़ा-सा जरूर हो जाना चाहिये, चाहे संक्षेप में ही हो। लेकिन इस तरह से ब्लैक आउट किसी का नहीं होना चाहिये। एक चीज तो यह है।

दूसरी बात यह है कि जो गलत भाषण छपा है उसके बारे में मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि जो आपने कहा है उसको पत्रकार के पास भेज दें तो उनका कर्तव्य हो जायगा कि वह उसका करेक्शन छाप दें। अगर न छापें तब आप प्रश्न उठा सकते हैं। क्योंकि थोड़ी-सी गलती हो जाने के लिये पत्र-प्रतिनिधि के ऊपर विशेषाधिकार की अवहेलना का एक दम से प्रश्न उठाया नहीं जा सकता। जब प्रतिवाद न छपे और गलत भाषण ही पत्र में कायम रहे तब यह चीज पैदा हो सकती है।

आप अगर नोटिस देना चाहें तो मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। मैंने तो एक सुझाव दिया है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, संसदीय परम्परा के अनुसार जो सदस्य सदन में बोलते हैं वे अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो उनके विचार का प्रतिनिधित्व करने वाला अंश समाचार-पत्रों में अवश्य छपना चाहिये और अगर रिप्रेजेन्टेटिव स्पीच न छपती तो मैं समझता हूं आइन्दा से कोई बात ऐसी अवश्य होनी चाहिये कि उनकी रिप्रेजेन्टेटिव स्पीच अवश्य छपे।

---

*छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष—पत्रकारों के पास भी अनलिमिटेड स्पेस तो होती नहीं, उसके ऊपर भी कंट्रोल है और उन्हें भी कुछ स्वतंत्रता है, इस विषय में बहुत दफा चर्चा की जा चुकी है। तो मैं समझता हूं, यह सदन की प्रतिष्ठा के विरुद्ध होगा अगर हम पत्रकारों से कहें कि तुम सदन की सब स्पीचेज छापो। मतलब यह है कि यदि छपाई का खर्च भी हम दें तब तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जब यह नहीं है और पब्लिसिटी वह स्वयं अपने खर्च से देते हैं तो उसके साथ-साथ कुछ उनके अधिकार भी होने चाहिये। अगर उनके ऊपर जिम्मदारी है और मैं उनके ऊपर जिम्मेदारी लादता हूं कि उन्हें थोड़ा बहुत हर एक का जिक्र कर देना चाहिये, लेकिन वह अपनी बुद्धि खर्च करेंगे कि कौन-सा महत्व का भाषण है, उसी को विस्तार में देंगे। यह नहीं होगा कि हम जिसको महत्व का समझें वह विस्तार में पत्रों में छापा जायगा। उनका स्वातंत्र्य, मैं समझता हूं, राजनारायण जी कायम रखेंगे। थोड़ा बहुत डिस्क्रीशन पत्रकारों के लिये अवश्य रहना चाहिये।

श्री राजनारायण—यह स्वातंत्र्य अवश्य है उनका। लेकिन सदन के सदस्यों का भी है। नित्य प्रति इस प्रकार का विषय न उठे। हमारे बालकराम जी, रूमसिंह जी कह रहे हैं कि उनके नाम भी नहीं आये कुछ अखबारों में। इस प्रकार की बात अगर मैं उठाना चाहूं तो कोई भी दिन न बचे जिस दिन कुछ न कुछ उठाना न पड़े। यह डिबेट पार्लियामेंट में भी चली थी।

श्री अध्यक्ष—सबसे ज्यादा पब्लिसिटी आपको ही मिलती है।

(हंसी)

श्री राजनारायण—हम तो चाहते हैं कि ड्यू शेयर (उचित हिस्सा) सब को मिले, किसी के साथ पक्षपात न हो। हम चाहते हैं कि सदन में जो कहा जाय उसका कुछ न कुछ अंश, सबका बराबर, अखबार में जरूर आ जाय।

श्री अध्यक्ष—यह बात ठीक है।

श्री सीताराम शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, अगर वह कहते हैं कि गलती हुई तो मुझे कुछ नहीं कहना है। एक रिक्वेस्ट जरूर है, सब मेम्बरों को बराबर स्पेस दी जाय, सब की स्पीचेज बराबर छपनी चाहिये, चाहे एक लाइन हो, दो लाइन हो, तीन लाइन हो।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—मेरा तो कुछ छपता ही नहीं है। न मेरे पास चाय-टोस्ट है न वह छापते हैं। मेरे कोई प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिलता। मंत्री तो बदल गये हैं, नेता कब बदलेंगे ?

प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षीय चुनाव में अधिकारियों द्वारा भाग लेने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव फिर से दोबारा आ गया। श्री राजनारायण जी को मालूम नहीं था। यह पहले नामंजूर हो चुका है। ये जो चुनाव प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के हुए उनमें कहा गया था कि कुछ सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। वह चीज खत्म हो चुकी है। पहले ही काफी बहस उस पर हो चुकी है—कार्य-स्थगन प्रस्ताव की दृष्टि से नहीं—इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है और प्रश्न भी पूछे गये थे। मैं पहले काफी मौका दे चुका हूं। इसलिये इसे स्वीकार नहीं करता।

नियम ५२ के अन्तर्गत जिला फतेहपुर तथा मैनपुरी में लोध, लोधी तथा लोधी राजपूत को मतगणना में जरायम पेशा करार देने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत श्री भजनलाल जी की सूचना महत्वपूर्ण है, उसको मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं :—

"जिला फतेहपुर व मैनपुरी में लोध, लोधी व लोधी राजपूत कही जाने वाली जाति जो जमीन को वरि कर लाखों मन गल्ला पैदा करके राष्ट्र को जीवन दान देती है, जो जाति प्रमुख कृषक वर्ग

[श्री अध्यक्ष]

में है, जिनकी आबादी जिला फतेहपुर में ८०,००० (अस्सी हजार) के करीब है तथा मैनपुरी में भी ५० हजार के करीब है, जिसकी आज सन् १९६१ की जनगणना जरायम पेशा में कराई जा रही है। जिसके प्रतिरोध में मुख्य मंत्री को सभाओं द्वारा प्रस्ताव व प्रार्थना पत्र भेज गये हैं। जिसके फलस्वरूप आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है जिससे उन जिलों में अत्यन्त असंतोष तथा क्षोभ का वातावरण व्याप्त हो गया है। अतः ऐसी विषम परिस्थिति पर सरकार का ध्यान खींच कर स्पष्टीकरण की मांग धारा ५२ के अन्तर्गत करता हूं"। माननीय मुख्य मंत्री इस पर आज वक्तव्य देंगे या कल देंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—कल दे सकूंगा, अभी तो जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—कल ही, मैं भी समझता हूं, दे देना चाहिये। इसकी जल्दी यों है कि जनगणना का कार्य दो दिन में शुरू होने वाला है।

नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषय के सम्बन्ध में जानकारी

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—मैं एक जानकारी चाहता हूं। नियम ५२ के अन्तर्गत मेरा प्रश्नोत्तर ६ अक्तूबर को रखा गया था फिरोजाबाद में बम गिराने के सम्बन्ध में। उसे मंजूर कर लिया गया था और उसके लिये तारीख मुकर्रर हो गयी थी। फिर सदन अनायास स्थगित हो गया जिससे जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी। तो उसकी जानकारी कब प्राप्त होगी ?

श्री अध्यक्ष—जैसा आप कहते हैं, अगर मंजूर हो गया था तो हम उनको लिख कर कोई तारीख मुकर्रर करा देंगे।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष—अब राज्यपाल के सम्बोधन पर श्री नवल किशोर जी के प्रस्ताव पर विचार जारी होगा।

†**श्री गोविन्दसहाय** (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, मैंने राज्यपाल के भाषण को काफी गौर के साथ सुना और साथ ही विरोधी दल के नेता की स्पीच को भी काफी गौर और दिलचस्पी के साथ सुना। विरोधी दल के नेता की स्पीच में निरन्तर इस सदन में चार साल से सुन रहा हूं मगर मेरा ऐसा खयाल है कि उनकी कल की स्पीच में काफी जान थी, रवानी थी और जवानी भी थी। इसलिये मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई नई प्रेरणा उनको मिली है जिसने उनका उत्साह बढ़ाया है। मेरा खयाल है शायद मुख्य मंत्री का आगमन उनके लिए एक नई प्रेरणा के रूप में आया है। उन्होंने धारा प्रवाह में जो बहुत-सी बातें कहीं उनमें कुछ बातें अपनी जगह पर सही हैं, कुछ बातों को कहने की जरूरत नहीं थी। जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के क्राइसेस का जिक्र किया और यह बतलाया कि पिछले ढाई साल या ढाई महीने से सरकार ठीक तरीके से अपना जी जान लगा नहीं पाती है। मैं इसे कबूल करता हूं कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में यह क्राइसेस केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में जहां-जहां यह प्रथा है हो रही है और कैसे हम उसको हल करते हैं यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही नहीं बल्कि पी० एस० पी० भी जब हुकूमत में आयी थी और आज भी केरल में उसकी हुकूमत है, तो पार्टी और गवर्नमेंट के अन्दर की क्राइसिस उनके यहां भी है। गवर्नर के ऐड्रस में वह आयें या

---

*७ फरवरी, १९६१ की कार्यवाही से।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न आयें इस पर भी मतभेद है। आज भी बंगाल में पी० एस० पी० के जो लीडर हैं, श्री पी० सी० घोष, उन्होंने पार्टी की भर्त्सना की है इस बात पर कि गवर्नमेंट के ऐड्रेस पर मेम्बरों को जाना चाहिये, क्योंकि पार्टी के मेम्बरों की यह राय थी कि नहीं जाना चाहिये।

मैं ज्यादा न कह कर सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि एक क्राइसिस है और वह हल करनी चाहिये। गवर्नमेंट को पूर्ण तरीके से हालत पर हावी होना चाहिये और काम ठीक तरह से चलना चाहिये। इन बातों को मैं भी स्वीकार करता हूं और यह ऐड्रेस खुद इस बात को बताता है। मेरा खयाल है कि मुझे १२–१३ साल इस सदन में किसी न किसी रूप में हो गये, लेकिन आज तक इतना छोटा ऐड्रेस गवर्नर की ओर से नहीं पेश हुआ। इसके साफ माने है कि मौजूदा सरकार को क्या करना है इस बारे में वह अपना पूरा दिल व दिमाग लगा कर अभी योजना नहीं बना पायी है। इसलिये जो बातें अपोजीशन के लोगों ने अमेंडमेंट्स के जरिये उठायी हैं—हो सकता है कि थोड़े दिनों में उन बातों का प्रतिकार हो सके और उन्हें ये बातें कहने की जरूरत न पड़े, ऐसा मेरा अनुमान है।

मोटे तौर पर जो ऐड्रेस में कहा गया है अब मैं उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करता हूं। आर्डिनन्सेज की चर्चा हुई। कोई डेमोक्रेटिक सरकार आर्डिनेन्सेज का लाना पसन्द नहीं करती। आर्डिनेन्स एक शस्त्र है जिसका इस्तेमाल कुछ खास हालत में किया जाता है। देखना यह है कि जो आर्डिनेन्सेज लाये गये, आया वे काम ऐसे थे या नहीं कि जिनको करना जरूरी था। अगर उनको करना जरूरी था तो उस शस्त्र का प्रयोग भी जरूरी हो जाता है। अगर किसी आर्डिनेन्स के जरिये जनता की आजादी का हनन होता है तो वह बुरा है। मैं यह सोचता हूं कि जो आर्डिनेन्सेज आये हैं वे काम लेजिस्लेचर को करने थे लेकिन चूंकि लेजिस्लेचर नहीं बैठ पाया था और उनको करना जरूरी था इसलिये ये आर्डिनेन्सेज निकाले गये। यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि इससे कोई बहुत ज्यादा भड़कने की जरूरत है। इसमें अस्टेरिटी और एकोनामी का एक नया जिक्र आया है। इस पर अभी हमारे लिये या सदन के लिये ऐसा मौका नहीं है कि कोई रायजनी की जा सके। फिर भी मोटेतौर पर अस्टेरिटी और एकोनामी की चर्चा है। बजाते खुद ये बातें अपनी जगह पर सही हैं। मेरा खयाल है कि मुख्य मंत्री भी इस गलतफहमी में नहीं हैं कि थोड़ी बहुत तनख्वाहें कम करने से कोई बहुत बड़ी बचत हो सकती है। सवाल सिर्फ इतना है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन में किसी तरह से एक ऐसा रुख पैदा करना है कि जिसमें कहीं से यह बात शुरू होनी चाहिये। इसलिये इस बात का स्वागत तो सभी तरफ से होना चाहिये।

एकोनामी का आधार क्या हो, यह बात सोशलिस्ट और कैप्टलिस्ट एकोनामी में एकोनामी का कंसेप्ट बिलकुल दूसरा हो जाता है। कैपिटलिस्ट एकोनामी में जब एकोनामी की जाती है तो रिट्रेन्चमेंट होता है और इस तरह से लाखों रुपये बचाने की कोशिश होती है। सोशलिस्ट एकोनामी के अन्दर रिट्रेन्चमेंट का दूसरा आधार है कि जितना रुपया खर्च किया जाता है उसका ठीक उपयोग हो और उस रुपये से और ज्यादा काम मोहय्या किये जायं, यानी एम्पलायमेंट कम न किया जाय।

मैं इस संबंध में केवल इतना ही कह सकता हूं कि एकोनोमी के जितने कदम उठाये जायेंगे उनका स्वागत ही होगा लेकिन किसी कदम से एम्पलायमेंट में कमी नहीं होनी चाहिये। अगर एम्पलामेंट में कमी हो जायगी तो एकोनामी के आधार पर कुछ कहा जा सकता है। मैं आशा कर सकता हूं कि इस तरफ इस नजर से भी सोचा जा सकता है। कोई वजह मैं यह सोचता नहीं हूं कि इस तरह से नहीं सोचा जायगा। आशा है कि इसको करना चाहिये। लेकिन कंसेप्शन क्या हो, वह जरूर हमारे सामने रहना चाहिये। मिसाल के तौर पर छोटे मुलाजिम जो काम करते हैं, एकोनामी में कहीं वह न कट जायं। अभी तक जितने कटे हुये हैं उनमें छोटे मुलाजिमों पर ही असर पड़ा है। इसलिये मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस नजर से हमारे प्रदेश में एकोनामी की ओर कदम उठाया जायगा और जो पैसा दिया गया है उसका बेहतरीन इस्तेमाल हो, इस बात को देखा जायगा।

[श्री गोविन्दसहाय]

इसमें एक चीज का और जिक्र किया गया है और उसका मैं स्वागत करता हूं । वह यह है कि कम्यूनिटी प्रोजेक्ट का आधार उसकी कार्य क्षमता होगी कि कौन ब्लाक कितनी तरक्की करता है और कितना प्रोडक्शन बढ़ाता है, इस चीज को देखा जायगा । कल माननीय नेता विरोधी दल का यह खयाल था कि पश्चिम के ब्लाक में और पूरब के ब्लाक में कोई चीज देखी जायगी । मैं ऐसा नहीं समझता हूं । मामूली समझ की बात यह है कि इसका मतलब यह है कि एक ही रीजन में जितने ब्लाक्स होंगे उनमें कम्पटीटिव स्प्रिट की बात देखी जायेगी कि कौन ब्लाक ज्यादा तरक्की करता है, कौन ब्लाक ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाता है, इसके माने में यही समझता हूं कि इस तरह से ब्लाकों को देखा जायगा । इसमें मेरठ और पूरब के ब्लाकों की कम्पटीशन की बात मैं नहीं समझता । इसलिये मेरी समझ में यह बात नहीं आती । बहरहाल, इस बात का विचार था कि लोगों में एक होड़ पैदा की जाय जिससे सब ब्लाक तरक्की की ओर बढ़ने की कोशिश करें । जो ब्लाक ज्यादा तरक्की करे उससे अन्य ब्लाक्स प्रेरणा लेने की कोशिश करेंगे, जिससे लोगों में एक डेवलपमेंट कांशसनेस पैदा हो जाय, यानी लोगों में प्रगति की एक विचाराधारा पैदा हो जाय । इस खयाल से मैं इसका स्वागत करता हूं ।

इसी तरह से इसमें एक चीज की और चर्चा है और वह है ला कमीशन की । मैं इसके संबंध में निहायत अदब के साथ यह कहना चाहूंगा कि ला कमीशन का जो आइडिया है, अभी उसकी कोई रूपरेखा नहीं है, इसलिये वह अभी गले से उतरता नहीं है और मुझे यह डर लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि एक-एक पैसा जो बचाया जाय वह सब खर्च हो जाय और यह काम भी न कर पायें । क्योंकि मेरा यकीन है कि हमारे यहां जो जुडीशियल सिस्टम है उसके बदलने की तरफ हमारे यहां कदम नहीं उठाया गया है और हमारा जुडीशल सिस्टम, मैं समझता हूं कि रिएक्शनरी होता चला जा रहा है, क्योंकि पुराने जुडीशल सिस्टम में कैपीटलिस्ट स्टेट में प्रापरटी की धारणा दूसरी होती है और जुर्म की धारणा दूसरी होती है । जब हम वेलफेयर स्टेट की ओर जाते हैं तो हमें जुडीशल सिस्टम को भी बदलना होगा । इसलिये जहां हम ला कमीशन की बात लाते हैं वहां पर जुडीशियल मशीनरी के रिअरेंटियेशन की भी जरूरत होती है । आज साधारण सी साधारण बात के लिये रिट हो जाते हैं । जुडिशियरी समझने लगी है कि वह एक्जीक्यूटिव के ऊपर एक अंकुश है ।

अध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा कि जुडीशियरी ने चुनावों पर रोक लगा दी है । मुझे अपने जिले का पता है । एक हमारे यहां नौजवान मुंसिफ हैं, उनसे कांग्रेस के चुनाव में वकील ने कहा कि इस पर रोक लगा दीजिये । मुंसिफ ने कहा कि क्या मैं रोक लगा सकता हूं ? वकील साहब सुलझे हुए थे, उन्होंने कहा कि हुजूर की कलम में बहुत बड़ी ताकत है और आप रोक सकते हैं, लिहाजा रोक लगा दी गई । मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसे हो गया । कोई अक्लमंद आदमी ऐसा नहीं कर सकता है । लेकिन ऐसी बात हुई । इसलिये जहां ला कमीशन की बात है वहां पर जुडीशियल सिस्टम को भी बदलने की जरूरत है । मैंने अभी स्टडी नहीं किया है कि ला कमीशन इसको कहां तक बदल पायेगा । लेकिन इसमें तब्दीली करने की जरूरत है ।

(लाल बत्ती जलने पर)

अध्यक्ष महोदय, मुझे पांच मिनट और दे दें तो अच्छा हो ।

इसी तरीके से काटेज इंडस्ट्रीज का सवाल है। एक बड़ा सवाल है कि करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद भी काटेज इंडस्ट्रीज की जड़ें नहीं जम पायीं हैं। मुझे खुशी है कि सरकार का ध्यान इधर गया और कोशिश इस बात की है कि उसकी तरक्की की जाय । मरा खयाल है कि आज नहीं तो कल, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि काटज इंडस्ट्रीज की तरक्की के लिए जो बुनियादी चीज है वह यह है कि जो सामान काटेज इंडस्ट्री में बनता है, मशीन का बना हुआ सामान, उसका मुकाबला उस इलाके में न कर पाये । आज करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद भी अगर काटेज इंडस्ट्रीज पनप नहीं पा रही हैं तो उसका कारण यह है कि उनके पास

जो ट्रांस्फार्मेशन होना चाहिये, जो इयरमार्क्ड बाजार होना चाहिये, वह नहीं है । इसके लिए संगठित कदम उठाना पड़ेगा । बहरहाल, सरकार की कोशिश है और मैं उसका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस दिशा में कुछ और ऐसी व्यवस्था की जायगी, क्योंकि तजुर्बा यह बताता है कि पिछले आठ-दस सालों में जितने लड़कों को काटेज इंडस्टीज के मातहत कर्जा दिया गया उसमें ९० फीसदी सफल नहीं हो पाये बावजूद इसके कि इंडस्ट्री का विकास हुआ । उसकी कुछ दिक्कतें हैं जिन पर खयाल करना होगा ।

आखिर में दो-एक और सुझाव देना चाहता हूं । दस-बारह साल के तजुर्बे के बाद हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि क्या हमारा मौजूदा ऐडमिनिस्ट्रेशन जो पुलिस स्टेट की छोटी-सी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बनाया गया था, वह प्रोग्रेसिव वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारियां पूरी कर सकता है ? मेरा सुझाव है कि सरकार को जल्द ही इस संबंध में एक छोटी-सी कमेटी कायम करनी चाहिये जो इसको देखे कि सारे ऐडमिनिस्ट्रेशन को कैसे नयी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाय, उसकी कार्य प्रणाली को कैसे तब्दील किया जाय, उसके पुराने कायदे-कानून को कैसे बदला जाय । आज हम एक तरफ योजना बनाते हैं और कायदे कानून पुराने हैं जो पकड़ कर बैठ जाते हैं । कम्यूनिटी प्रोजेक्टस में हालत यही है । एक हाथ से हमने तकावी देनी चाही लेकिन तकावी रूल्स पुराने होने की वजह से वह रुपया किसानों तक नहीं जा सका । इसलिए काटेज इंडस्ट्रीज की पुरानी कार्य प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने के लिए, नयी आवश्यकताओं के अनुसार ऐडमिनिस्ट्रेशन को ढालने के लिए कुछ कदम उठाने की जरूरत है । मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही इस दिशा में कोई कदम उठाया जायगा ताकि इस ऐडमिनिट्रेशन को नयी आवश्यकताओं के अनुकूल ढाल सकें ।

साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि कुछ कानून ऐसे हैं जिनके आपरेशन से फायदा होने के बावजूद तकलीफे बढ़ रही हैं । मिसाल के तौर पर सेल्स टैक्स का आपरेशन है । इससे आम दूकानदार, पनवाड़ी वगैरह जो हिसाब-किताब रखने के आदी नहीं हैं उनसे हमारी मशीनरी यह आशा करती है कि एक स्टैंडर्ड तरीके से वह अपना हिसाब-किताब रखें । इससे लोगों को सहूलियत के बजाय दिक्कतें हुई हैं । इस बारे में कि सेल्स टैक्स के आपरेशन में किस तरह से अमेंडमेन्ट करके इस वर्ग को सुविधाएं दी जा सकती हैं, गौर होने की जरूरत है, इस बारे में सरकार को काफी छानबीन करने की जरूरत है ।

मैं आशा करता हूं कि जो नयी सरकार आयी है---इसी सरकार की बात नहीं है--जब कोई नयी सरकार आती है, नयी बात करती है । अपनी एग्जिस्टेंस के लिये कुछ काम करने की जरूरत होती है । नयी तब्दीली फायदेमन्द है और मैं आशा करता हूं कि लोगों में जिस मात्रा में आशा पैदा हुई उसके अनुरूप कार्य करने में वह सफल होंगे और शीघ्र ही हमारे सामाने कुछ योजनाएं आनी चाहिये और जो शिकायतें बतायी गयी है, मिसाल के तौर पर भ्रष्टाचार की बात, मैं नहीं मानता कि महज किसी कानून से सरकार भ्रष्टाचार दूर कर सकती है ।

भ्रष्टाचार हमारी मौजूदा सोसाइटी की देन है, उपज है और उसको दूर करने के लिए आपको सोसाइटी के सारे ढांचे पर हमला करना होता है, उस दिशा में भी कदम उठाना चाहिए । इसी तरीके से जुडिशियल सिस्टम में अदालतों के अन्दर जो भ्रष्टाचार है, मैं समझता हूं कि उसमें कुछ तब्दीली करने से, कानूनी तब्दीली करने से अगर कुछ सुधार हो सकता है तो वह भी किया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में मेरा विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री जी या जो न्याय के मंत्री हैं उन्होने जो जस्टिस मुकर्जी की कमेटी ने अपनी सिफारिशें भेजी हैं उन सिफारिशों पर गौर किया होगा । वह सिफारिशें ऐसी है कि जिनको अगर कार्यान्वित किया जायगा तो बहुत काफी हद तक जो एक्सटार्शन के रूप में भ्रष्टाचार होता है वह दूर हो सकेगा । इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस रिजोल्यूशन का स्वागत और समर्थन करता हूं ।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, बहुत दिन के बाद बोल रहा हूं, जरा समय का खयाल कीजिएग। ।

श्री अध्यक्ष—आप कुछ प्रिविलेज ज्यादा चाहते हैं और लोगों से...

श्री राजनारायण—करीब-करीब सबकी इच्छा भी यही है।

जिस समय इस सदन में आने से और इसकी सेवा करने से मुझे वंचित किया गया था और आज जिस समय मैं इस सदन में उपस्थित हो रहा हूं, सरकार में परिवर्तन पाता हूं। इस बात की मुझे खुशी है कि जिस सरकार ने इस प्रदेश में अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार, अनेक प्रकार की कुनबापरस्ती, अनेक प्रकार की बुराई, अनेक प्रकार का अनर्थ कायम कर रखा था उस सरकार का पतन हुआ। उसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक सरकार का पतन हुआ जिसने यह सोचा था कि सोशलिस्ट पार्टी को जेल में बन्द करके चैन की वंशी बजायेगी। वह सरकार समाप्त हो गई, मगर उसके स्थान पर जिस प्रकार से दूसरी सरकार आयी उसके सम्बन्ध में मैंने जेल से अपनी सम्मति प्रकट की थी और मुझे इस बात की खुशी थी कि कुछ समाचार पत्रों ने उसको प्रकाशित भी किया था। वह क्या, जब मैं अपनी संसदीय मर्यादित शोभनीय परम्परा की ओर दृष्टिपात करता हूं तो मैं यह अवश्य कहने के लिए तैयार होता हूं कि वर्तमान सरकार का गठन जिस रूप में हुआ वह अप्रजातांत्रिक, अशोभनीय और अमर्यादित रहा है। यह पत्रों में प्रकाशित हो चुका है। श्रीमन्, अनेक लोगों ने अपनी सम्मतियां दी हैं इस पर और मैंने कुछ विशिष्ट पुरुषों को पत्र भी लिखे हैं। मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं और मैंने माननीय चन्द्रभानु जी गुप्त से पूछा था उसका कोई उत्तर मुझे नहीं मिला कि सत्ता और शक्ति क्या दोनों एक ही व्यक्ति के हाथ में होना उचित है? चन्द्रभानु जी गुप्त क्यों मुख्य मंत्री के पद पर विराजमान किये गए? एक शक्ति है जो कहती है कि सत्ता और शक्ति एक ही व्यक्ति में विद्यमान होनी चाहिये। मैं जानना चाहता हूं यहां जनतंत्र के पंडितों से कि जिसके दिमाग में यह बात भरी हुई है कि सत्ता और शक्ति एक के हाथ में हो, क्या वह जनतंत्र-वादी है? हमारे जनतंत्रवाद के मूल में आप स्वतः कई बार अपने भाषणों में कह चुके हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा। कहा गया कि जब श्री चन्द्रभानु गुप्त के हाथ में शक्ति आई तो श्री चन्द्रभानु गुप्त के हाथ में सत्ता भी जानी चाहिये और यही तर्क प्रस्तुत करके समाचार-पत्रों के आधार पर आज मैं कह रहा हूं, उनसे कहा गया कि आपको मुख्य मंत्री के पद पर विराजमान होना चाहिये। वह कौन व्यक्ति, कौन ताकत है जो आज अपने प्रदेश में जम्हूरियत और जनतंत्र की व्यवस्था को नष्ट कर रही है, जनतांत्रिक परम्परा पर कुठाराघात कर रही है वह एक आदमी है। श्रीमन्, अगर मैं नाम लूं तो शायद आप रोक देंगे।

श्री अध्यक्ष—जी हां, मैं रोक दूंगा।

श्री राजनारायण—तो आप इशारे से समझ जाइये। वह इलाहाबाद की रहने वाली एक विभूति है जो यह कहती है कि सत्ता और शक्ति एक हाथ में रहे और श्रीमन्, चन्द्रभानु जी गुप्त सारे प्रदेश में घूम घूम कर कहने लगे कि मैं तो जवाहरलाल जी का सन्देश वाहक हूं, उनका सन्देश आपको दे रहा हूं। मैंने उनको पत्र लिखा कि जवाहरलाल जी के सन्देश वाहक आप न बनिए। जवाहरलाल जी के सन्देशवाहक एक समय सम्पूर्णानन्द जी भी बने थे जिस समय कि उन्होंने यहां वह तानाशाही दिखाई थी जबकि इसी कांग्रेस दल के नौ मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था। वह कहते थे कि जो मैं कहूं—मैं मुख्य मंत्री हूं—उसी के अनुसार तुमको संगठन में भी काम करना होगा। मुझे खुशी थी कि आचार्य जुगलकिशोर के नेतृत्व में इस सिद्धान्त को लेकर कुछ लोगों ने बहिष्कार किया था और उस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, इस पर सब लोग विचार करें और सोचें कि हम लोग विधायक हैं, हम को इस पर विचार करना चाहियें कि क्या जनतन्त्र में पार्टी और शासन एक ही हो या इसमें अलगाव ही ? जनतन्त्र में व्यक्ति, पार्टी, सरकार और राष्ट्र यह चारों अलग-अलग रहेंगे। पार्टी और सरकार जहां पर एक हो जायगी वहां पर तानाशाही होगी। रूस और चीन में क्या है ? वहां पर यह दोनों एक ही हैं। इसलिये वहां पर तानाशाही है, क्योंकि वहां पर पार्टी और सरकार का एकीकरण है। हम कहते हैं कि इस जनतंत्र में आज सारी कोशिश यह है कि सारी तानाशाही ताकत अपने हाथ में ले। इस सर्वग्राही मनोवृति को लेकर ये चल रहे हैं। हम उस सर्वग्राही मनोवृत्ति के विरोधी हैं। चन्द्रभानु गुप्त जी उस शक्ति के द्वारा ही मुख्य मंत्री पद पर आसीन कराये गये। मैं उसका विरोध करता हूं। मैं चन्द्रभानु जी गुप्त से निवेदन करूंगा कि आप उनके सन्देशवाहक न बनिये। आप जनता के सन्देशवाहक बनिये, नहीं तो वह भी नहीं रहे और आप भी नहीं रहेंगे।

हमने एक पत्र चन्द्रभानु जी गुप्त की सेवा में ४ तारीख को जेल से बाहर आकर पेश किया था। उसमें करीब १५,१६ मांगें थीं जो हमने पेश की थीं। मैं चन्द्रभानु जी गुप्त से जानना चाहता हूं कि इन मांगों को कहां तक पूरा किया गया ? अखबारों में यह कहा गया था कि १४ करोड़ रुपये की बचत यह सरकार करना चाहती है।

श्री अध्यक्ष—क्या यह सब बातें आपने अपने संशोधन में रखी हैं ?

श्री राजनारायण—मेरे संशोधन में यह सब चीजें हैं और इन लोक कल्याणकारी मांगों को लेकर हमने सत्याग्रह किया था। उसमें हमारी मांगें थीं कि अलाभकर लगान को माफ किया जाय। ६॥ एकड़ के जो किसान हैं उनका लगान माफ होना चाहिये। हमने जो पहली सरकार थी उससे भी कहा था और यह जो सरकार आई है इससे भी हमने कहा कि उसको माफ होना चाहिये, लेकिन कोई उत्तर नहीं है। जमींदारी अबालिशन कमेटी रपट रखी हुई है। उसमें यह लिखा है कि १ एकड़, २ एकड़, ३ एकड़, ४ एकड़ और ५ एकड़ के किसान का लगान माफ होगा लेकिन अभी यह सरकार विचार कर रही है। श्री चन्द्रभानु जी गुप्त कोई नये नहीं हैं। यहां पर वह पहले उस मंत्रि मडल में रह चुके हैं। बीच में थोड़े समय के लिये नहीं रहे थे ? अब उधर-इधर से आ गये हैं। हमारा कहना यह है कि कि उन मांगों को श्री चन्द्रभानु गुप्त जी की सरकार ने आज तक बिलकुल उपेक्षा की दृष्टि से देखा है, तो फिर इनकी तारीफ क्यों हो ? फिर इनकी प्रशंसा क्यों हो ? अगर उसी रास्ते को अख्तियार करके यह भी चन्द्रभानु जी गुप्त की सरकार चलना चाहती है जिस पर कि सम्पूर्णानन्द जी की चलती थी तो श्री चन्द्रभानु जी गुप्त की सरकार की भी भर्त्सना उतनी ही होनी चाहिये जितनी कि सम्पूर्णानन्द जी की सरकार की हो रही थी। उसको मैं करने के लिये विद्यमान हूं, मैं अभी इस सदन से गया नहीं हूं।

श्रीमन्, मैं इस बात को जानता हूं कि हमने बनारस के समाचार-पत्रों में इस प्रकार से प्रतिज्ञापित किया था कि हम अब राजनैतिक बालिग हो गये। श्री चन्द्रभानु जी गुप्त को यदि कंसिल से आना था तो पहले आ जाते। उनको कौन रोक रहा था ? वह मुख्य मंत्री हो जाते। मैं आपको सारी टैक्नीकल्टी बतलाऊं कि मैं भी प्रयत्नशील रहा कि अगर चन्द्रभानु गुप्त के नामिनेशन के सम्बन्ध में चन्द्रभानु जी गुप्त को मुख्य मंत्री पद पर आसीन कराने के सवाल को लेकर रिट में जाऊं और मैं इसके लिये इलाहबाद घूमता फिरा और तमाम एडवोकेटों के पास घूमता फिरा मगर इतनी ही बारीकी सामने आई कि अगर यह कंसिल से नामिनेट न कराये गये होते तो श्री चन्द्रभानु जी गुप्त ज्वाइन्ट सेशन संयुक्त बैठक में बैठ नहीं सकते थे। केवल यही एक वैधानिक बारीकी हमको मिल पाई।

इसमें एक दूसरी बारीकी भी है, उसको मैं यहां पर अभी नहीं कहूंगा। अगर वह उस दिन यहां पर न बैठते और १५ मिनट के लिये गायब रहते तो दूसरे लोग कहते कि किस सरकार को वे सम्बोधन करेंगे। उस बारीकी से बचने के लिये उनका नामिनेशन

[श्री राजनारायण]

कराया गया। उसमें भी गड़बड़ी हो गई। किस तरह से २० तारीख को भाटिया जी का रेजिग्नेशन लिया गया, किस तरह से उसका गजट हुआ, किस तरह से गवर्नर के यहां गया, एलेक्शन कमीशन के यहां गया, उस सब की मैंने छानबीन कर ली है। मैं तो इस बात के प्रयत्न में हूं कि अगर इस में अवैधता है, तो चूंकि हम विधान के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखते हैं, उसको मानने की शपथ लिये हैं इसलिये इस अवैधता के लिये हमको रिट में जाना चाहिये। मुझे खुशी हुई श्री त्रिलोकीसिंह जी के बयान को पढ़कर, जिसमें उन्होंने इस नियुक्ति के प्रश्न को ले कर रिट में जाने की इच्छा प्रकट की है। पता नहीं वह गये या नहीं ?

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—मैंने ऐसा बयान नहीं दिया।

श्री राजनारायण—वह कहते हैं कि ऐसा बयान नहीं दिया। समाचार-पत्रों ने शायद ऐसे ही लिख दिया होगा। लेकिन मैं तो कचहरियों में जाता ही रहता हूं। मेरी ६५ पेशियां हुई हैं, इसलिये मुझे इन बातों की जानकारी रहती है। मुझे मालूम हुआ कि वे रिट में जाने वाले हैं, अब अगर वे नहीं जाना चाहते तो शायद कोशिश भी उसके लिये न किये हों, लेकिन मैं तो कोशिश कर रहा हूं और जाना चाहता हूं। मैं कोई बात छिपाना नहीं चाहता। श्री चन्द्रभानु गुप्त स्वयं सोचें कि अगर वे मुख्य मंत्री के पद पर न आये होते तो कहां का गगन फट जाता या पृथ्वी फट जाती मगर वह आये और वे जनतंत्र के पुजारी हैं। उन के आने से इस प्रदेश की प्रसन्नता, यहां के वे लोग जो शासन में पीड़ित और शोषित थे उनकी सारी प्रसन्नता उनके इस रूप में इस पद पर आसीन हो जाने से सुषुप्तावस्था में ही पड़ी रह गयी। सारे प्रदेश की जनता आज इस बात में लगी हुई है कि यह कैसे आ गये, ? इनका नामिनेशन कैसे हो गया, यह मुख्य मंत्री क्यों बना दिये गये ? २९ तारीख की मीटिंग क्यों हटा दी गयी ? वह ऐसी शक्ति द्वारा हटायी गयी .....।

श्री अध्यक्ष—आप दूसरी पार्टी के अन्दर की बातों में न जायं।

श्री राजनारायण—लेकिन वह बात अब पार्टी के अन्दर की बात नहीं रह गयी है।

श्री अध्यक्ष—अभी तक आप सिद्धान्त की बात कहते रहे और इसलिये मैंने दखल नहीं दिया।

श्री राजनारायण—मैं सिद्धान्त की बात ही कह रहा हूं। हमारी कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिये। श्रीमन्, इसीलिये मैंने सुबह भी आप से बात की थी इस प्रश्न को मैं पहले ही ले लूं। जब मैं जेल में था तो मेरे पास एक पत्र आया मेरे एक मित्र का, उसके साथ यह गांधी जी का एक पत्र था और यह श्री अनुसूया पाठक को लिखा गया था आज सुबह जब (स्वतंत्र भारत) देखने को मिला तो उसमें यह पूरा-पूरा पत्र प्रकाशित हुआ है। यदि आप समय दें तो मैं इसे पढ़ कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष—जितना समय आपका है उसमें आप चाहे जो कहें।

श्री राजनारायण—थोड़े में ही मैं पढ़ दूं। इसमें गांधी जी ने लिखा है....।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—प्वाइंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भाषण करते करते पार्टी पालिटिक्स में और जातीयता पर आ गये हैं और यह गवर्नर एड्रेस का मामला है। तो मेरा निवेदन है कि वे विषय पर ही बोलें।

श्री अध्यक्ष—पार्टी की अन्तरंग बातों के जिक्र को मैंने रोक दिया, लेकिन जो उनके पब्लिक ऐक्ट हैं उनका वह बयान कर सकते हैं।

श्री एस० जी० दत्त—वे बार-बार विषय से बाहर हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष--वह तो मैंने रोक दिया।

श्री राजनारायण---मैं इस पत्र से इतना ही पढ़ देना चाहता हूं कि इसमें गांधी जी ने लिखा है कि "भारत भाषा के संबंध में गुलाम तो ज्यों का त्यों रहा है। अतएव मैं उसको पूर्ण स्वाधीन नहीं कहता हूं। मेरा मत है कि जब तक भारत राष्ट्र की राष्ट्र भाषा अंग्रेजी बनी रहेगी तब तक भारत गुलाम है।" गांधी जी ने यहां तक कहा है कि "स्वाधीनता मिलने के पूर्व मेरी कई कल्पनायें थीं। राष्ट्र भाषा राष्ट्र की सम्पत्ति होगी" आदि आदि--सो कहां ? फलस्वरूप मेरी जो १२० साल बचने की इच्छा थी, मैंने कमा दी और जल्दी ही प्रस्थान करने का प्रार्थना-पत्र भगवान के पास भेज दिया। तुमको मालूम नहीं है कि ऐसा मैंने कितने कष्ट के अनुभव के बाद निश्चय किया था। जो नेतागण मेरी हां में हां मिलाते थे, शासन की गद्दी में बैठने के बाद मेरी इच्छा का अनादर करने लगे। बुढ़ापे का पागलपन कहने लगे। जो मैंने कहा उसका उपहास किया जाने लगा। मैंने देखा कि यहां रहना ठीक नहीं है।" यह उस पूज्य बापू के शब्द हैं। तो इस सदन के सदस्यगण समझें कि कितना महान कष्ट और कितनी पीड़ा उनको हुई होगी कि जब उन्होंने इस प्रकार के विचार व्यक्त किये होंगे।

चारों तरफ आज गांधी जी की दुहाई देकर शासन चला रहे हैं, यह क्या तमाशा है। इसी सदन की कल की बात है कि आपने माननीय सम्पूर्णानन्द जी का तार पढ़ा जो उन्होंने राज्यपाल महोदय को लिखा और उसमें यह लिखा कि श्री चन्द्रभानु गुप्त जी को आप मुख्य मंत्री बनाइये और जब वे मुख्य मंत्री बन गये तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय सदन का उन्होंने बहिष्कार किया। यह क्या उनका चरित्र है ? क्या यही नैतिकता है उनकी? क्या इसी को नैतिकता कहा जायेगा ? क्या इसी को आदर्शवादिता कहा जायेगा ? श्रीमन्, आज हमको इससे महान कष्ट है, आप हमारी बात को सुन लें।

आज सबेरे का एक किस्सा सुनाता हूं। एक सज्जन हमसे मिलने आये। वे प्रिन्सिपल थे। वे मुझ से कहने लगे क्या आप भी संयुक्त मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं ? मैंने आश्चर्य से पूछा कैसा संयुक्त मंत्रिमंडल ? मैंने उनसे पूछा कि यह प्रश्न कहां पर उठा ? मालूम हुआ कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कमरे से वे आये थे और वहां पर इसका जिक्र था कि कांग्रेस के वे लोग जिन्होंने बहिष्कार किया था, उन लोगों से मिल कर संयुक्त सरकार बना रहे हैं जिन लोगों ने उनका साथ दिया था। तो हमने उनको अपनी सोशलिस्ट पार्टी का कार्यक्रम पढ़ कर सुनाया।

श्री अध्यक्ष---आप फिर पार्टी पालिटिक्स पर आ रहे हैं ?

श्री राजनारायण--जी नहीं, उस पर नहीं जाऊंगा। मैंने उनको बताया कि हम क्या हैं। सोशलिस्ट पार्टी शासन-सत्ता इसलिये चाहती है कि भारतवर्ष में एक समाजवादी समाज बनाया जाय। इसी कारण यह केवल वर्तमान सरकार का सबल विरोध संगठित करके ही चुप नहीं बैठ सकती, बल्कि इस सरकार की जगह एक समाजवादी सरकार कायम करना चाहती है। इसीलिये सोशलिस्ट पार्टी तरह तरह के अवसरवादी राजनैतिक दांव पेंचों से सरकारी गद्दी पर बैठने के विरुद्ध है। सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस और दूसरी सम्प्रदायवादी या गैरसमाजवादी या बनावटी समाजवादी पार्टियों के साथ मिली जुली सरकार बनाने के भी विरुद्ध है। लड़ाई या बाहरी आक्रमण ? जैसे राष्ट्रीय संकट के अवसर पर भी सोशलिस्ट पार्टी देश की सुरक्षा के लिये सरकार को सहयोग देगी, किन्तु सरकार में शामिल नहीं होगी। जब जनता समाजवाद के पक्ष में अपना मत प्रदर्शित करेगी और सोशलिस्ट पार्टी को विधायक संस्था में बहुमत प्राप्त होगा तो स्वाभाविक रूप से सोशलिस्ट पार्टी सरकार बनायेगी। तो इस तरह से हमारा मामला बिलकुल साफ है। हम न तो पी० एस० पी० के साथ गठबंधन करेंगे, न स्वतंत्र पार्टी के साथ करेंगे, न कांग्रेस के साथ करेंगे और कम्युनिस्ट या अन्य किसी पार्टी के साथ कोई गठबन्धन करेंगे। हम जनमत को प्रभावित करेंगे अपनी नीति और

[श्री राजनारायण]

अपने कार्यक्रम से। और जब हम इस तरह से जनता द्वारा बहुमत में आयेंगे तभी अपनी सरकार बनायेंगे। इसके लिये हमारे पास किसी के आने की जरूरत नहीं है। जो सरकार नालायक है, निकम्मी है, गलत है उस सरकार को हटाने में हम जरूर मदद करेंगे।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ इन विश्वविद्यालयों में जब पी० ए० सी० की पुलिस गयी तो ऐसी बातों की निन्दा किसने की? उन छात्रों को बन्दूकों की छात्र छाया में शिक्षा प्रदान करने की जो योजना थी उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव कौन लाया? अन्य किसी दल की हिम्मत नहीं हुई उसके विरोध में अविश्वास के प्रस्ताव को लाने की। आगे देखा जाय---कानपुर में बीसों आदमी बन्दूक की गोली के शिकार हुए, निहत्थे आदमियों पर गोली चलायी गयी, उसके विरोध में भी आवाज उठाने की शक्ति सोशलिस्ट पार्टी में ही थी, दूसरी पार्टी में नहीं। मिर्जापुर में भी रेहन्द बांध के मजदूरों पर जो गोली चली केवल इसी तो उसके विरोध में भी उस सरकार के विरोध में उसको त्याग पत्र देने के लिये किसने कहा? पार्टी ने। श्री चन्द्रभानु गुप्त के आगमन ने हमारा बल बढ़ा दिया। क्योंकि अभी तक त्यागपत्र देने की मांग करने वाली सोशलिस्ट पार्टी थी, लेकिन अब श्री चन्द्रभानु गुप्त के आने से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टियां भी सामने आने लगीं, बड़ी खुशी की बात है।

मन्त्रियों तथा उच्च अधिकारियों के विरुद्ध जो हमने आरोप लगाये, हम मांग करते हैं कि सरकार उनकी जांच अवश्य कराये। श्रम-विभाग में जो लेबर के हायर ऐडजुडीकेशन में मामले नहीं जाते हैं उसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है और वह अवश्य जाने चाहिये। मैं यह भी मांग करता हूं कि जिला परिषदों के चुनाव शीघ्रातिशीघ्र हों, उनके टालने से समस्या हल नहीं होगी और सम्पूर्णानन्द जी इस सदन में घोषणा किये थे, श्री पंडित कमलापति त्रिपाठी की जांच करने के लिये, वह जांच अवश्य हो और श्री गोविन्द नारायण के मामले की जांच हो। ४० गांव ऊंचे होने की मांग है।

(श्री अध्यक्ष से) कृपया दो मिनट और दिये जायें।

इन सब मामलों की जांच करने के लिये कहा गया था, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। इनकी पूरी जांच कराई जाय और हो सके तो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिये, न्याययुक्त जांच कराई जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

फिर हमारा कहना है कि बेकारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, चोर बाजारी बढ़ रही है, कुनबापरस्ती बढ़ रही है। यह सरकार ढोंग रचती है कि हम पैसा कम खर्च करते हैं, लेकिन इस शब्दजाल से काम चलने वाला नहीं है, जबतक कि उसको व्यवहार रूप प्रदान न किया जाय। चीफ सेक्रेटरी, आई० जी० पुलिस, लेबर सेक्रेटरी, पी० डब्ल्यू० डी० सेक्रेटरी, चकबन्दी के डायरेक्टर, उद्योग कमिश्नर, चीफ कन्जरवेटर आफ फारेस्ट, एक्साइज विभाग, होम, एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन, ऐडीशनल डायरेक्टर आफ हेल्थ-ये कौन हैं? ये सभी विभागों के प्रमुख सेक्रेटरी हैं, और एक कुनबे के लोग सब एक जगह पर बैठाये गये हैं। इससे बढ़ कर कुनबापरस्ती का ज्वलंत उदाहरण क्या हो सकता है?

मेरा कहना यह है कि जल्दी से जल्दी इन मामलों की छान-बीन होनी चाहिये। आज भी सोशलिस्ट सत्याग्रहियों के मामले में संविधान कुचला गया, न्याय और कानून कुचला गया और तरह तरह की उनके साथ ज्यादतियां की गईं, हिंसात्मक कार्यवाहियां की गयीं। आज भी जुर्माने हो रहे हैं, बेदखलियां और कुर्की हो रही हैं। ये सारे ऐसे कर्म हैं जिनको कुकर्म कहा जायगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि २०,००० जो रोडवेज के कर्मचारी हैं, उनके लिये बिना किसी हिचक के ८ घन्टे के बजाय ९ घन्टे की ड्यूटी कर दी गई ? यह कहां तक उचित है ? बनारस का मामला देखा जाय। वहां दुलहीपुर के किसानों की जमीन किस न्याय के आधार पर ली गई और उनके मामले एडजुडीकेशन में भी नहीं भेजे गये ? वहां के सोशलिस्ट पार्टी के नेता प्रभुनारायण जी के जरिये से जो वहां के मामले ऐडजुडिकेशन में भेजे जाते हैं उनको दबाया जाता है और कांग्रेस पार्टी के साथ मिल कर साजिश की जाती है। अगर श्री चन्द्र-भानु गुप्त इन मामलों में जल्दी से जल्दी कार्यवाही नहीं करते तो अविश्वास का प्रस्ताव कोई लाये या न लाये, सोशलिस्ट पार्टी जरूर लायेगी।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी (जिला इलाहाबाद)—मान्यवर, मैं माननीय राज-नारायण जी की सब बातों का उत्तर देना यहां उचित नहीं समझती। अगर बाहर मैदान में वह भाषण दिये होते तो अवश्य ही कुछ न कुछ बात वहां कही जा सकती थीं। सदन का समय हम इन बातों पर नहीं लेना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो स्वागत का प्रस्ताव उपस्थित है उसके स्वागत के लिये मैं खड़ी हुई हूं और साथ ही नये मन्त्रिमण्डल के स्वागत के लिये भी। अब जिस संक्षिप्त रूप से महामान्य राज्यपाल जी ने अपने भाषण में पूरे प्रदेश का चित्र हमारे सामने रखा उसके लिये हम उनके आभारी हैं। निःसन्देह इस समय यह कहा जाता है कि प्रजातन्त्रवाद में आर्डिनेन्स की क्या आवश्यकता थी लेकिन मैं एक ही आर्डिनेंन्स के ऊपर आपका ध्यान दिलवाकर सदन में बात साफ कर देना चाहती हूं। जो पंचायतराज का आर्डिनेंस है अगर वह जारी न किया जाता तो अभी हमारे यहां जो चुनाव हुये उनमें असुविधा होती और देरी हो जाती।

महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द के सम्बन्ध में तथा नये नेता सदन के सम्बन्ध में जो बातें कही हैं, उनसे मैं अपने को भी सम्बन्धित करती हूं।

इसके पश्चात् अब इस सम्बन्ध में जो बातें विरोधी दलों की ओर से कही गई हैं उनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं। उनका कहना है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि महा-मान्य राज्यपाल के अभिभाषण में होनी चाहिये थीं ना जैसे कुछ पापुलेशन को खेती पर से हटाना, दूसरे शराब बन्दी करना, तीसरे भ्रष्टाचार को रोकने, चौथे अनम्पलायमेन्ट को दूर करना और पांचवें गन्ने का दो रुपये प्रति मन भाव रखना।

(इस समय १ बजकर १२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री गेंदासिंह, पीठासीन हुये।)

सब से पहले मैं अन्तिम चीज को ही ले लेती हूं। राजनारायण जी ने अपने भाषण में गन्ने का भाव दो रुपये मन करने की बात कही। अगर गन्ना बोने वालों का भी कोई एसो-सिएशन होता तो वह गन्ना बोने वाले "एसोसिएशन" का उत्तर बड़ा सुन्दर देता। एक एकड़ भूमि में लगभग ५०० मन गन्ना होता है। अगर गन्ने का भाव दो रुपये मन हो तो उसका मतलब यह हुआ कि गन्ने से प्रति एकड़ एक हजार की आमदनी हुई। आलू की पैदावार प्रति एकड़ करीब डेढ़ सौ मन के करीब होती है, जिससे लगभग सात आठ सौ रुपये प्रति एकड़ आमदनी होगी और गेहूं एक एकड़ में २० मन होता है। उसकी आमदनी प्रति एकड़ अगर लगाई जाय तो करीब ढाई तीन सौ रुपये आयेगी। इसके बाद अगर हम चावल की पैदावार देखें तो वह लगभग १५ मन प्रति एकड़ पैदा होता है, उससे प्रति एकड़ तीन सौ या ढाई सौ रुपये आमदनी होगी। इससे आपको अन्दाज हो जायगा कि मनीक्राप को छोड़ कर किसान कोई दूसरी क्राप नहीं बोयेगा नहीं तो हम दूसरी क्राप की कीमत भी इतनी बढ़ा दें जो कि गन्ने के बराबर हो जाय। या फिर हम जनता को गल्ला खाने से रोक दें और आलू खाने की आदत डलवायें अगर हम ऐसा करें तो ठीक है। अगर हम जनता की आदत को नहीं बदलते तो फिर हमारी मजबूरी होगी कि बाहर के मुल्कों से हम अरबों रुपये

[कुमारी कमलकुमारी गोईंदी]

का गल्ला मंगाकर यहां की जनता को खिलायें। तो एक तरफ जहां हमें अरबों रुपये का गल्ला बाहर से मंगाना पड़ेगा वहां साथ ही साथ गन्ने की पैदावार बढ़ने से चीनी मिलों की माँग भी बढ़ जायगी और साथ ही साथ अनएम्पलायमेन्ट भी बढ़ेगी। इसलिये चारों तरफ गौर करके गन्ने का भाव सरकारी तौर पर निश्चित करने के लिये कहा जाय। नहीं तो सारी एकानामी ही समाप्त हो जायगी, उसका क्या इलाज होगा? इसलिये मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं।

दूसरी बात महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में यह कही कि हमारा प्रदेश कोआपरेटिव की तरफ अधिक ध्यान देगा। इसके अतिरिक्त विरोधी दल ने रूरल सरप्लस पापुलेशन की ओर ध्यान दिलाया है। इन दोनों के बारे में मैं अपनी बात रखना चाहती हूं। मेरी यह आदत है कि पहले मैं कानून और नियमों को पढ़ती हूं और फिर यह देखती हूं किसान के घर जाकर कि उसका असर उन पर किस प्रकार का होता है। यों तो कोआपरेटिव की भी एक सुन्दर योजना है लेकिन उसके अन्तर्गत साधन समितियों की योजना बहुत ही सुन्दर है। उसके द्वारा साधनहीन लोगों को साधन प्राप्त होते हैं। लेकिन उस में कुछ दिक्कतें मुझे मालूम हुईं।

उनमें से पहली दिक्कत यह है कि सीरदार और भूमिधरों के लिये एक से नियम नहीं हैं जिसकी वजह से सीरदार को वह लाभ उससे नहीं पहुंच पाता है जो भूमिधर को पहुंचता है, छोटे भूमिधर को भी पूरा लाभ नहीं पहुंचता। इसलिये सीरदार और भूमिधर को समान अवसर मिलना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि क्वांटिटी पर ज्यादा जोर न देकर क्वालिटी पर जोर देना चाहिये।

तीसरी गौर करने की बात यह है कि जो साधन समितियां हैं वे ऋण देने, मार्केटिंग की फेसेलिटीज देने, तथा दूसरी चीजों को देने का कार्य करती हैं। उनके अलावा दूसरे किस्म की ऐसी साधन समितियां भी होनी चाहिये जिनमें खेती के साथ जो सामान किसान को चाहिये वह उनको हायर परचेज सिस्टम पर या किराये पर मिल सके, जैसे कुएं, रहट, ट्यूबवेल, पंपिंग प्लान्ट्स और बैल जोड़ी। ये तथा दूसरी ऐसी चीजें सीरदार और भूमिधरों को किराये पर या हायर परचेज सिस्टम पर मिलनी चाहिये क्योंकि इन चीजों का उपभोक्ता तो किसान होता है लेकिन वह उनको पैदा नहीं कर सकता। दो चार बीघा वाला छोटा किसान, जो न तो यह साधन रख ही सकता है, न ही लगातार उसका खर्च सहन कर सकता है इसलिये ऐसी साधन समितियां, जो बड़े किसानों को higher purchase पर और छोटे किसानों को किराये पर अच्छी किस्म की गाय, भैंस, सुअर, बकरी, मुर्गी आदि दें, बनाई जावें।

तीसरी प्रकार की साधन समितियां ऐसी होनी चाहिये जिसमें घरेलू उद्योग धन्धों के लिये साधन प्राप्त हो सकें। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि अभी हम घरेलू उद्योग धन्धे में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सके। उसका कारण यह है कि उनके पास साधन नहीं जुट पा रहे हैं। सरकार इन समितियों के पास ऐसा साधन पहुंचाये, जैसे करघा, चमड़े का सामान, छोटी-छोटी घरेलू मशीनें तथा खांडसारी की मशीने, सीने की मशीनें आदि उनके पास होनी चाहिये। इससे यह होगा कि वह अपनी जगह पर अपना काम प्राप्त कर सकेंगे और हमारी जो सरप्लस बेकार जनता है उसको काम मिल सकेगा क्योंकि मैं तो यह मानती हूं कि बड़े-बड़े कारखानों के जैसे चीनी और कपड़े के जो वे गृह उद्योग की जगह लेते हैं, खुलने से रेशनलाइजेशन के जमाने में तो अनएम्पलायमेन्ट का प्रीबलम और बढ़ जायगा इसलिये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जिस एरिया में जो साधन मुहइया हो सकते हों, उसी साधन से वहां पर गृह उद्योग स्थापित किये जायें। सारे माननीय सदस्यों को चाहिये कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस तरह के गृह उद्योग लगावें। हमारे यहां गृह उद्योग का हजारों लाखों रुपया का ग्रांट लैप्स हो जाता है और उसका ठीक इस्तेमाल नहीं हो पाता तथा जनता को

भी किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं हो पाता। आजकल इन गृह उद्योगों से सारे हिन्दुस्तान में पंजाब की आमदनी ही बढ़ी हुई है। वहां पर कोई बड़ा कारखाना नहीं है सिवा जगाधरी के जहां कागज आदि के कुछ कारखाने हैं। आज पंजाब छोटे छोटे गृह उद्योग धन्धों में सारे हिन्दुस्तान को लीड कर रहा है।

अब मैं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कुछ कह देना चाहती हूं। बापू ने कहा था:—

"The outeris only a projection of the inner. As we are, so our universe becomes, we must turn the search light inward and disectur crusading zeal against our own shortcomings."

भ्रष्टाचार हमारी पैदा की हुई चीज नहीं है। यानी अशोक, विक्रमादित्य, मुगल तथा ब्रिटिश राज्य से विरासत में मिला हुआ यह मेवे का पेड़ है। इस पेड़ की जड़ को अन्दर से काटना होगा। चाहे इधर के भाई हों या उधर के भाई हों, सबसे मैं एक बात बतला देना चाहती हूं। लेकिन जब कोई गुंडा इधर के किसी भाई के पास आता है और कहता है कि फलां थानेदार या कांस्टेबिल हमें तंग कर रहा है तो वे उसके साथ सहानुभूति दिखलाते हैं और उसको छुड़ाने के लिये उसके साथ चले जाते हैं। इसी तरह से अगर कोई गुंडा उधर के किसी आदमी के पास जाकर कहता है कि फलां थानेदार हमें तंग कर रहा है तो वे वोट के डर से उसकी रक्षा करने के लिये उसके साथ वहां चले जाते हैं और उसको छुड़ा लाते हैं। इस तरह से नाजायज मदद करने से यह भ्रष्टाचार बढ़ता है। इस तरह से "भ्रष्टाचारियों" को शह मिलती है और भ्रष्टाचार घट नहीं सकता है। इसके लिये हर एक आदमी को अपने अन्दर से देखना होगा और वोट का जो भय है उसको नैतिकता की तराजू पर तौलना होगा। तभी मालूम हो सकेगा कि सही चीज क्या है।

दूसरी बात मुझे शराबबन्दी के सम्बन्ध में कहनी है। हम देखते हैं कि ७ वर्ष के अन्दर उस तरफ कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। इस लानत को एक मिनट के लिये सहन नहीं करना चाहिये। इसलिये सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूं कि वह कम से कम घनी बसी हुई आबादी वाले इलाकों में शराब की दूकानों का लाइसेन्स देना फौरन बन्द कर दे। चाहे अमीर हो या गरीब, जिस घर में यह रोग घुस गया है, सभी जानते हैं कि उस घर की क्या हालत है। इस बात को बार-बार कहने से मुझे कोई भी झिझक नहीं है। माननीय राजनारायण जी की मैं शुक्रगुजार हूं और उन्होंने बार-बार इस पर जोर दिया है और इसके साथ ही मैं माननीय मन्त्री जी से और मन्त्रिमन्डल से कहना चाहती हूं कि वह फौरन ही इलाहाबाद जैसे पवित्र तीर्थ स्थान से तो ऐसी लानत को कम से कम हटायें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय नवलकिशोर जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत सम्बोधन—

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—मैं मुश्किल से आगे, श्रीमन्, यहां इस कुर्सी पर आकर बैठ सका, तब तो मेरा भाग्य ही ऐसा है कि मेरा नम्बर नहीं आया....

श्री अधिष्ठाता—आप बैठें, अभी दूसरे सदस्य बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्रसिंह—श्रीमन्, मैं महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन में राजा यादवेंद्रदत्त दुबे द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह महामहिम राज्यपाल का १२ पृष्ठ का लघुतम सम्बोधन है। इसके केवल चार पृष्ठों में ही प्रदेश के सम्बन्ध में बातें कही गई हैं और अन्तिम ८ पृष्ठों में ७ अध्यादेश और १२ विधेयकों को पारित करने का प्रोग्राम दिया गया है। मुझे खेद है। हमें आशा थी कि महामहिम राज्यपाल अपने सम्बोधन में प्रदेश की नीति के सम्बन्ध में कुछ नई-नई बातें बतायेंगे परन्तु हमें इसको सुनकर और पढ़ कर आश्चर्य हुआ कि इसमें केवल चन्द विधेयकों को पारित करने के हेतु ही विधानमण्डल से प्रार्थना की गई है।

[श्री राजेन्द्रसिंह--]

मैं यह कह सकता हूं कि महामहिम राज्यपाल का यह सम्बोधन एक तथ्यहीन प्रोग्राम है और कुछ विधेयकों की एक सूची मात्र है। आपने इस सम्बोधन के अन्तिम प्रघट्टक को देखा होगा, उसमें कहा गया है कि, "विधायी कार्यों की चर्चा करते हुये मुझे स्मरण हो आता है कि गत जुलाई में आपको सम्बोधित करते हुये मैंने कहा था कि इस राज्य में एक स्थायी विधि आयोग की स्थापना का प्रश्न सक्रिय रूप से मेरी सरकार के विचाराधीन है। मुझे आपके समक्ष यह कहते हुये हर्ष होता है कि मेरी सरकार ने अब इस विषय में निर्णय ले लिया है और एक स्थायी विधि आयोग की स्थापना शीघ्र ही की जायगी।" एक वर्ष पहले से सक्रिय रूप से यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन था और अब इस विषय में निर्णय ले लिया गया है और शीघ्र ही वह कहते हैं कि विधि आयोग की स्थापना होगी। अब पता नहीं कि वह कब तक होगी।

सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया ने हमारे यहां के २ कानूनों को अवैध करार दिया है, एक गन्ना उपकर अधिनियम और कोर्ट फीस अधिनियम और उनको फिर से वैध करने के लिये अब सरकार आर्डिनेन्स लाई है। और तमाम नई बात बताने के संबंध में बड़ी चर्चा कांग्रेस दल की ओर से हो रही है, मैं भी इन नई बातों को आप के सामने बताना चाहता हूं। सब से बड़ी नई बात यह है कि इसमें बताया गया है कि इन्कम टैक्स बढ़ेगा, गुड़, खन्डसारी और शक्कर के लघु उद्योगों पर टैक्स लगेगा। कहा यह जाता है कि लघु उद्योगों की उन्नति के लिये सरकार हर प्रकार का प्रयत्न कर रही है परन्तु यहां महामान्य राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा है कि गुड़, खन्डसारी और शक्कर पर टैक्स लगाने के लिये कानून बनाये जायंगे। कोर्ट फीस बढ़ाने के लिये नया विधेयक आने वाला है। सेल्स टैक्स बढ़ाने के लिये नया विधेयक, मोटर स्पिरिट पर टैक्स बढ़ाने के लिये नया विधेयक, अन्तरिम जिला परिषद् की छः महीने की अवधि बढ़ाने के लिये नया विधेयक, आ रहा है। यूनीवर्सिटी में वाइस चांसलरों के चुनाव के संबंध में, जो विश्वविद्यालयों को स्वतंत्रता प्राप्त है उसका हनन् करने के लिये और सरकार द्वारा वाइस चांसलरों को नियुक्त करने के लिये विधेयक आ रहा है। हिन्दू मंदिरों और मठों पर जिन पर कि अभी तक हिन्दुओं का अधिकार हुआ करता था, अपना अधिकार करने के लिये, सरकारी नियंत्रण करने के लिये, विधेयक लाया जा रहा है। पुजारी और पंडों पर भी सरकारी नियंत्रण करने के लिये अधिनियम बनाने की बात गवर्नर महोदय ने अपने संबोधन में कही है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, विचित्रनारायण, लक्ष्मीरमण, संपूर्णानन्द चले गये हैं और नये चरण यहां पर आए हैं। मुख्य मंत्री गुप्त हो गये हैं। तो जिस शासन के मुख्य मंत्री गुप्त हो जायं वहां पर सुख-समृद्धि कैसे हो सकती है? राज्यपाल महोदय को हर्ष होता है इस बात का कि एक वर्ष में हमारी सरकार ने विधि आयोग का निर्माण करने के संबंध में विचार कर पाया। हर्ष होता है हम लोगों को कि १२ पृष्ठों के संबोधन में ८ पृष्ठों में केवल प्रत्येक प्रघट्टक के अन्त में कहा गया है कि यह विधेयक सरकार प्रस्तुत करेगी और आशा है विधान मन्डल शीघ्र ही उसे पारित करके अधिनियम बना देगा। मुझे आश्चर्य है, यदि ऐसा ही राज्यपाल महोदय को करना था तो उन्हें हमारे सचिव के द्वारा एक सूची यहां प्रस्तुत कर देनी चाहिये थी। मैं समझता हूं, जैसा कि अन्य संबोधनों से अनुभव करता रहा हूं, कि राज्यपाल महोदय के संबोधन में कुछ विशेष बातें होती हैं। केवल विधेयकों को पास करने के लिये विशेष आग्रह और उनकी सूची नहीं होती।

गन्ना उपकर के संबंध में, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध घोषित कर दिया तो हमारी सरकार ने तुरन्त यहां से राष्ट्रपति महोदय को एक पत्र भेजा और उनसे भी एक अध्यादेश निकलवा लिया और एक अध्यादेश यहां पर उपस्थित है। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया कि गुड़, खन्डसारी इत्यादि छोटे उद्योगों पर इस प्रकार से टैक्स लगाना अनियमित है, अनैतिक है, तो इस सरकार को नहीं चाहिए था यहां पर छोटे उद्योगों की तरक्की के लिये योजना बनाने की बात कहते हुए कि—इस प्रकार से टैक्स लगाया

जाय। लेकिन सरकार जुडीशरी की अवहेलना करती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध फिर से नये कानून बनाने को तैयार है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि कुल १२ पृष्ठों का यह संबोधन १२ विधेयक प्रस्तुत करने के बारे में कहता है। औसतन एक पृष्ठ पर एक विधेयक हुआ और प्रत्येक विधेयक के लिये एक विशेष आग्रह है। मान्यवर, आपने यह भी इसमें पढ़ा होगा कि अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक के संबंध में यह कहा गया है कि जल्दी से हम लोग उसको पारित कर दें, परन्तु महामान्य राज्यपाल महोदय ने क्षेत्र समिति और जिला परिषद् विधेयक के संबंध में विशेष आग्रह नहीं किया है। मैं समझता हूं और आपने भी प्रोग्राम देखा है, यदि सरकार यह चाहती होती कि क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, जिससे सत्ता का विकेन्द्रीकरण होता है, शीघ्र पारित हो तो सरकार उसको यहां ला सकती थी। कल भी आपने सुना होगा प्रश्नों के संबंध में मंत्री महोदय ने स्वीकार किया था कि वह क्षेत्र समिति और जिला परिषद् विधेयक इसी सत्र में पास करवा लेंगे, परन्तु उसको कोई चर्चा यहां पर नहीं है। मैं आपके द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हूं कि क्षेत्र समिति और जिला परिषद् विधेयक को वह तुरन्त पारित करने का कष्ट करे और तुरन्त उसे प्रोग्राम में लाने का कष्ट करे। इन शब्दों के साथ मैं राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री टीकाराम पुजारी--श्रीमन्, काफी समय हो गया है, ५ महीने बाद आज मौका तो मिला। सरकार बदली, ठीक है, बदला ही करती है और बिना बदले कोई काम भी ठीक नहीं होता है। बरतन फूट जाता है तो वह भी बदला जाता है, तवे पर रोटी भी बदली जाती है, मौसम, कपड़ा भी बदल जाते हैं। सारी चीजें बदलती अच्छी होती हैं। लेकिन बुड्ढा तो अभी बदला नहीं। एक बात कहूंगा, बहुत पुरानी है, जिन्दा हाथी लाख का और मरा हाथी सवा लाख का। लेकिन अब यह चीज कांग्रेस पर आ गई। जिन्दा कांग्रेसी लाख का और मरा कांग्रेसी सवा लाख का। ठीक है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे तो सरकार पर, नेताओं पर और मंत्रियों पर कभी न विश्वास है और न रहेगा। नेता और मंत्री में कोई फर्क नहीं होता। वह भी नहर की कोठी में ठहरेगा, जीत गया एम० एल० ए० बन गया तो वह अपने दल का नेता बन जायगा, और दल का नेता नहीं बना तो बाहर का नेता बन जायगा और वहीं नहर की कोठी पर ठहरेगा। यह दोनों एक ही हैं। न नेता में फर्क और न मंत्री में। दोनों किसान को धोखा देने वाले हैं, गरीब, मजदूर किसान को चैन नहीं लेने देते।

बाढ़, गरकी, सैलाब, पत्थर, वर्षा से पश्चिमी जिलों में त्राहि-त्राहि मची हुई है और दूसरी तरफ चकबन्दी का टैक्स ६ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों से लिया जा रहा है। ऐसी अवस्था में वसूल किया जा रहा है जब मकान रहने को नहीं, खाने को नहीं, मवेशी को चारा नहीं, वहां पर टैक्स वसूल हो रहा है। यह सरकार नीचे से ऊपर तक गोल बनी हुई है, चाहे कोई पार्टी हो। मंडल यूनियन, तहसील यूनियन, जिला यूनियन, दलाल यूनियन हैं। छोटी यूनियनें तहसीलदार की दलाल, बड़ी यूनियन कलेक्टर और कप्तान की दलाल। जब तक यह यूनियनें नहीं बदलतीं और गांधी जी के मार्ग पर चलने वाले सच्चे आदमी नहीं आते तो यह देश और नेता दोनों खड्ड में जायेंगे।

गांधी जी कहा करते थे. देश का प्रधान मंत्री मजदूर होगा, देश का राष्ट्रपति किसान होगा और वह झोपड़ी में रहेगा और नेहरू उसका क्लर्क बन कर रहेगा। लेकिन आज देश भक्तों की क्या हालत है? चन्द्र शेखर आजाद की मां को भोजन नहीं मिलता, भगतसिंह की मां को भोजन नहीं मिलता, बलिया के शहीदों का कोई इंतजाम नहीं, हाथ पैर टूट गये, आजादी में मर गये, आज उनको कोई नहीं पूछता। जिस नबाब छतारी ने १९३० में मुझे डेढ़ महीने की काल कोठरी दी थी वह नबाब आज कांग्रेस में शामिल हो गया। जिस कांग्रेस में गांधी जी सत्य, अहिंसा और गीता का पाठ पढ़ा करते थे उसमें आज मुर्गियों के अंडे टूटने लगे हैं। तो गांधी जी के मार्ग पर यह कांग्रेसी तो हैं ही नहीं। अब तो नेहरूवाद है, गांधीवाद नहीं। जल्दी से जल्दी इसमें परिवर्तन किया जाय। प्रतिक्रियावादियों को, अवसरवादियों को, गद्दारों

[श्री टीका राम पुजारी]

को निकाल कर बाहर फेंक दिया जाय तब देश का भला होगा, हमारा और आपका भला होगा। यह नहीं कि गाली दो। गाली देना बुरा है। कोई कहता है गुप्ता जी बुरे हैं, कोई कहता है संपूर्णानन्द जी बुरे हैं। हम तो समझते हैं सब एक थैली के चट्टे-बट्टे हैं।

हमारा क्या फायदा, आपका क्या फायदा? लोग कहते हैं कि गुप्ता जी दो बार हारे। मुझे कहना पड़ेगा कि कृष्ण को जरासन्ध ने १७ दफा हराया तो कृष्ण की क्या ताकत घट गयी थी, ताकत वही थी। लेकिन एक चीज जरूर है कि ये अब शासन करने के काबिल नहीं हैं, सत्य और अहिंसा इनके अन्दर नहीं है जो पहले २१ और ३० में थी। एक आदमी त्रिदोष में घिरा हुआ हो और उससे कहा जाय कि यह तुम्हारा भाई है तो वह कहता है कि भाई नहीं है परले सिरे का दुश्मन है। इसी तरह से यह मुझे विरोधी कहते हैं। ये लोग गांधी जी को भूल गये। त्रिदोष का वात प्रबल होता है। उसमें दिमाग बिगड़ जाता है। सरकार का दिमाग बिगड़ गया है। कैसे बिगड़ गया, मैं बतलाऊंगा। गांधी जी क्या कहा करते थे? आधी आबपाशी होगी, आधा लगान होगा, मुफ्त शिक्षा होगी, चोरबाजारी खत्म होगी, कोई किसी से झगड़ा नहीं होगा, वर्गविहीन समाज बनेगा। क्या यही वर्गविहीन समाज है कि ब्राह्मण ब्राह्मण के पास, ठाकुर ठाकुर के पास नहीं बैठता? बनिये बनिये एक हो जायं और ब्राह्मण ब्राह्मण एक हो जायं। २८ सैनी, १५ सैनी, १८ सैनी, यह गौड़ और यह गौतम इनमें आपस में शादियां न हों तो अभी तो जातिविहीन भी नहीं हुआ। तो क्या यह धोखा नहीं है?

सूने गांव बिल्ली रोहतानी, गीदड़ बन में गाज रहे हैं
बदला समय आज पाजिन के, काजी बर्तन मांज रहे हैं
जिन घर नाहीं सूप चालनी, तिन घर रेडियो बाज रहे हैं
इक्के तांगे में नहीं बैठे, जिनको विमान साज रहे हैं
डोम यार मीरासियन के इधर-उधर को भाज रहे हैं
मथुरा का पेड़ा और खुर्चन, रबड़ी, मक्खन खिला रहे हैं
कहें पुजारी कफ्फन में से मुर्दे भी पैर हिलाय रहे हैं।

वह जमाना आ गया। मैं फिर कहता हूं कि किसानों का खयाल करना चाहिये। ६२ आ चुका है। कांग्रेस सरकार अब बड़े-बड़े जाल रचायेगी, बड़े-बड़े मिष्ठान दिखायेगी, बड़े-बड़े चुग्गे डालेगी, लेकिन जल्दी ही वह खत्म हो जायगी। मगर बापू जी ने जो वायदे किये थे उसे कांग्रेस सरकार पूरा करेगी तो मैं सबसे पहला कांग्रेसी हूंगा जो कहेगा कि उसको वोट दो। हमारा निशान अंजन, हाथी, घोड़ा। अंजन को हमारे बाप दादा नहीं जानते। इनका निशान बैलों की जोड़ी। इस तरह हमारे बैल तो छीन लिये। यहां तक तो दिमाग बिगड़ गया है। यह शासन को नहीं संभाल सकते हैं। समय आ गया कोई रोक नहीं सकता। ६२ में देखा जायगा। यह तो तमाशा है, सिनेमा है लेकिन जनता समझ गयी है, अब आपके चक्कर में नहीं आयेगी।

श्री हरिश्चन्द्र सिंह (जिला बदायूं)----माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे कुछ समय अपने विचार व्यक्त करने के लिये प्रदान किया है।

महामान्य राज्यपाल ने जो संबोधन इस सदन में दिया है और उसके लिये जो धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय नवलकिशोर जी ने पेश किया है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। इससे पहले कि मैं कुछ अपने विचार आपके सामने रखूं यह कहना मुनासिब समझता हूं कि संसदीय परम्परा के अनुकूल महामान्य राज्यपाल सरकार के किये हुए कार्यों का वर्णन करते हैं और आगामी जो कार्यक्रम होता है उसकी कुछ रूपरेखा का दिग्दर्शन कराते हैं। यह एक बड़ी स्वस्थ परम्परा है जिसमें हर विचार के आदमियों को अपने-अपने विचारों का

प्रदर्शन करने का मौका मिलता है और उसकी आलोचना और समालोचना करते हैं। मैं यह समझता हूं कि महामान्य राज्यपाल पार्टीबन्दी से एक ऊपर की चीज हैं। इस सदन में जो अनुपस्थिति का प्रदर्शन हुआ है और जो कुछ कहा और दिखाया गया है, मैं समझता हूं कि यह उनका तो नहीं लेकिन सदन का निरादर है और हम अपना भी स्वयं ही निरादर करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा करना हमारे लिये कोई शोभा की चीज नहीं थी। और ऐसा किया ही नहीं बल्कि सदन में आकर के माननीय त्रिलोकी सिंह ने इसका एक जस्टीफिकेशन (justification) भी दिया कि ऐसा करने में वे जस्टिफाइड (justified) भी थे। मैं उसको समझ नहीं सका। राज्यपाल तो पार्टीबन्दी से एक ऊपर की चीज है। जो सरकार इस समय स्थापित है उसके लिये जो कुछ भी कहा जा सके वह तो ठीक है लेकिन इस तरह का महामान्य राज्यपाल का निरादर करना मेरे खयाल से इस सदन के लिये शोभा नहीं देता है।

एक चीज मैं अक्सर कहा करता था और आज भी उस पर जोर देने को तैयार हूं कि अपोजीशन के नेता जिस प्रकार से अपने कर्त्तव्यों का पालन करते थे उसमें मैं तो सदैव त्रुटि ही समझा करता था। मैं तो यह समझा करता था कि जो नेता सदन ने सदन के सम्मुख चीजें रखी हैं उनके बाद विरोधी दल के नेता का जो विरोध हुआ करता था, मैं उसको एक अनुपूरक बयान ही समझा करता था। इस पर मैंने अक्सर कहा है कि विरोधी दल के नेता अपने उस कर्त्तव्य को समझ नहीं रहे हैं जो कि उनको करना चाहिये और बाज-बाज दफा हम जैसे आदमियों को यह बतलाना पड़ता था कि क्या-क्या चीजों की जरूरत है। उनके बयान को मैंने सदैव ही एक सप्लीमेन्टरी स्टेटमेन्ट के रूप में देखा है। मुझे इस बात की, श्रीमन्, बहुत ज्यादा खुशी है, आज विरोधी दल के नेता जो यहां इस समय मौजूद नहीं है, लेकिन उनके स्टेटमेन्ट में, उनके वक्तव्य में अबकी दफा कुछ गरमी जरूर थी। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक शेर याद आता है जिसको मैं आपकी आज्ञा से सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। वह इस प्रकार है कि----

"गरदिशे अइयाम तेरा शुक्रिया,
हमने हर पहलू से दुनिया देख ली।"

मैं समझता हूं कि मैं उनको याद दिलाऊं कि पहले वह जिस तरह से विरोध किया करते थे उसके मुकाबले में अब वह कुछ तेज है और इसका कुछ कारण भी है। मैं सदैव ही इस बात पर जोर देता रहा हूं कि यह कुर्सियां जो मंत्रियों की हैं, यह फूलों की सेज नहीं होनी चाहिये, बल्कि यह कांटों की शैय्या होनी चाहिये जिससे लोग मुश्किल से उनकी ओर देखें। अब मैं समझता हूं कि विरोधी दल के माननीय नेता यदि वही काम करेंगे जो उनको करना चाहिये तो इन कुर्सियों पर बैठने वाले सजग होंगे, अपने कर्त्तव्यों को समझेंगे और सदैव इस बात की ओर देखते रहेंगे कि यह कुर्सियां फूलों की सेज न होकर कांटों का ताज हों और उनको बैठने में तकलीफ हो और वह अपने कर्त्तव्य का पालन करने में सदैव तत्पर रहें।

एक चीज जो ९८ आदमियों ने कही थी और जिसके मुताल्लिक विरोधी दल के नेता ने कुछ थोड़ा सा पढ़कर भी सुनाया था, मैं भी उन ९८ में से एक था, जो कुछ हमने कहा है उसको हम पूरा करना चाहते हैं, उसको हम कार्य रूप में परिणत करना चाहते हैं। हममें से ही कुछ इन कुर्सियों पर बैठ गये हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वह भी अपने कर्तव्य के पालन करने में उतने ही सजग है और सजग रहेंगे और जो चीज हमने कही थी उसको पूरा करने के लिये वे उद्यत हैं और अगर न रहते दीखें तो वक्तनफवक्तन आप उन्हें याद दिलाते रहें और हम भी अपने नेताओं को याद दिलाते रहेंगे कि हम जिन चीजों को लेकर आगे बढ़े थे और जिन चीजों से शासन को पलट दिया, उनको पूरा करने का हमारा दृढ़ विश्वास है और उनको पूरा करना हमारा कर्त्तव्य होना चाहिये।

इसके बाद बहुत सी चीजें गवर्नर महोदय के अभिभाषण में कही गई हैं और चूंकि उन पर काफी कहा जा चुका है, मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता। जिन चीजों की कमी देखी जाती है उनको पूरा करने की कोशिश की जाती है। आज हमारे एक मित्र ने यह कहा कि

[श्री हरिश्चन्द्र सिंह]

आर्डिनेंसेज का रूल है । काफी इस पर कहा जा चुका है और खास तौर से जो शुगरकेन के मुताल्लिक आर्डिनेंस निकला है उसके मुताल्लिक कहा गया । मेरी समझ में नहीं आया कि जब हमको पचास करोड़ का नुकसान हो रहा था, जो कानून हमने पास कर दिया था और जो व्यपगत हो रहा था, और गन्ने का सीजन निकला जा रहा था , उस ५० करोड़ रुपये को बचाने के लिये अगर आर्डिनेन्स पास कर दिया तो क्या अपराध किया ? हमने एक कानून पास किया, अगर वह गलत करार दिया गया तो उससे जो क्षति होने वाली थी उसको बचाने के लिये सरकार ने अगर कुछ किया तो क्या बुराई की ? प्रजा की तकलीफ को कम करने के लिये, पब्लिक के नुकसान को बचाने के लिये आर्डिनेंसेज पास किये गये, जब कि सदन सेशन में नहीं , तो क्या बुराई की बात की गयी ?

एक चीज जिस पर मैं जोर दिया करता हूं और अब भी कहने को तैयार हूं और जिसका जिक्र महामान्य राज्यपाल ने अपने ऐड्रेस में नहीं किया है, सब प्रकार के विकास होंगे, होते रहेंगे, उन विकासों का जिक्र है, लेकिन इस संबोधन में एक विकास का जिक्र नहीं है । वह है व्यक्ति-विकास । व्यक्ति-विकास हुए बगैर हम समाज का विकास नहीं कर सकते और यदि समाज का विकास नहीं होगा तो प्रदेश और देश का विकास नहीं होगा । यह व्यक्ति उस समय अपने कर्त्तव्यों को समझेगा जब उसका विकास हो जाय और जहां पर और योजनाएं हो रही हैं वह योजनाएं उस वक्त तक पूरी तरह से कामयाब नहीं होंगी जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होगा । मैं समझता हूं कि इस ओर महामान्य राज्यपाल का संकेत होना चाहिये । एक योजना ऐसी बनायी जाय जो कि व्यक्ति-विकास योजना के नाम से हो । हमारा नैतिक पतन उस वक्त रुक सकेगा, हम अपने कर्त्तव्यों का पालन उस समय कर सकेंगे, जब कि व्यक्ति का विकास हो जाय । हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया है ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना पर दो एक बातें कह कर अपना कथन समाप्त करूंगा । ठीक है काम चला और चल रहा है लेकिन जैसा चल रहा है वैसा हम देख रहे हैं । मेरा स्वयं का विचार है कि हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में २१ सौ करोड़ और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ४८ सौ करोड़ तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितने करोड़ जिसका मैं अन्दाज भी नहीं कर सकता, खर्च करने जा रहे हैं । लेकिन हमें उतनी सफलता अभी तक नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिये थी । उसका कारण क्या है ? उसका कारण यह है कि व्यक्ति जिनके जिम्मे वह कार्य दिया है, वह विकसित नहीं हैं । उसमें से अधिकांश रुपया गड्ढे में या जेब में जा रहा है । हम देखते हैं कि गांव के ग्राम सेवक, गांव का सेक्रेटरी कार्डराय की पैंट और नायलान की शर्ट, जिनकी सिलाई २५–३० रुपये है, पहने हुए घूमा करते हैं, उन काश्तकारों में जिनके पैरों में जूता नहीं, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं । वह तो केवल यही सिखायेगा कि इस तरह से हम पैदा करते हैं, तुम भी ऐसा ही करो । अगर हम अपनी तृतीय पंचवर्षीय योजना को कामयाब बनाना चाहते हैं तो इस ओर ध्यान देना पड़ेगा । उसके कार्य सम्पादन में हमको वह कार्य कुशलताएं देखनी पड़ेंगी जिनकी वजह से हम अपनी पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में उस हद तक कामयाब नहीं हो सके जिस हद तक कामयाब होना चाहिये था ।

इन शब्दों के साथ में माननीय नवलकिशोर के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, मैं नेता विरोधी दल, श्री त्रिलोकीसिंह, के संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं समझता हूं कि पिछले नौ सालों में माननीय राज्यपाल महोदय के जो सम्बोधन हुए हैं, उनमें यह सम्बोधन सब से छोटा और निराशाजनक है । अब तक जो सम्बोधन हुए हैं, हर एक सम्बोधन में राज्यपाल महोदय भविष्य में सरकार क्या करने वाली है, अपने प्रदेश के सम्बन्ध में कौन-कौन कानून और उद्योगीकरण होने वाला है, सबका उल्लेख किया करते थे । लेकिन इस सम्बोधन में सिवा आर्डिनेंस के और कोई चर्चा ऐसी नहीं जिससे समझा जा सके कि

अगले एक वर्ष में जिसमें १९६१–६२ का बजट पास होने वाला है, उससे अपने प्रदेश की गरीब जनता का और पिछड़े हुए क्षेत्र का तथा छोटी-छोटी नौकरी पेशा करने वालों का कुछ नया दिन आयेगा। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि सरकार का जो इरादा है उसी इरादे का प्रतिबिम्ब राज्यपाल महोदय का भाषण है। बहुत से सम्मानित सदस्यों ने और माननीय राज्यपाल महोदय ने भी अपने सम्बोधन में इशारा किया है कि जो नयी सरकार आयी है, वह सरकार अपने प्रदेश में समृद्धशाली मार्ग को प्रशस्त करेगी। मगर मैं समझता हूं कि इस सरकार में और उस सरकार में कोई नीति का फर्क नहीं है, कोई सिद्धान्त का फर्क नहीं है, कोई उद्देश्य का फर्क नहीं है। यह तो आपस का घर का झगड़ा है, कुर्सियों का झगड़ा है, देश को बनाने का झगड़ा कोई नहीं है। मैं तब समझता अगर यह सरकार वैसी चीजों को करने का दम भरती जो पिछली सरकार ने नहीं किया है, तब तो मैं राज्यपाल महोदय के इस भाषण का, इस सम्बोधन का अर्थ समझता, लेकिन यह सरकार यह मानने को तैयार नहीं है। माननीय चन्द्रभानु गुप्त ने शपथ ग्रहण करने के बाद जो बयान दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम कोई नया परिवर्तन, कोई नयी नीति लाने वाले नहीं हैं। जैसा कि उधर के माननीय सदस्य कहते हैं कि नया राज्य बनेगा, नई सरकार हमारी उम्मीदों के मुताबिक चलेगी, यह मैं समझता हूं कि अतिशयोक्ति है। वास्तव में अगर सरकार प्रदेश को समृद्धशाली बनाना चाहती है तो उसके लिए उसे जो आवश्यक कार्य हैं, वह करने होंगे।

उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि इस प्रदेश की इस विधान सभा में बहुत बार, श्रीमन्, आपने भी चर्चा की है कि उद्योगीकरण होना चाहिए और खास तौर से गन्ना किसानों की समस्या हल होनी चाहिए। इस प्रदेश के जो मुख्य मंत्री हैं उन्होंने शपथ ग्रहण करने के बाद इस सम्बन्ध में यदि कोई प्रयास किया होता और उसके लिए कुछ यहां बिल लाये होते तो मैं समझता कि अपने प्रदेश के डेढ़ करोड़ गन्ना किसानों की समस्या हल करने में कुछ सहायता मिलेगी। उसका भी कोई इशारा इस सम्बोधन में नहीं है। अलाभकर जोतों के जो किसान हैं, जिनके लिए मालगुजारी देना भी दुष्कर है उनके सम्बन्ध में भी यदि कोई चर्चा होती....

श्री बालक राम (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई गई तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं समझता हूं कि किसानों की हालत कुछ सुधरेगी। श्रीमन्, आप देखेंगे कि गन्ना किसानों की समस्या तथा गन्ना की कीमत बढ़ाने का आन्दोलन आप हर साल करते हैं और उसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ता है, पर सरकार यह भी कहने को तैयार नहीं होती कि गन्ना उत्पादकों को कीमत मिलनी चाहिये, और वह सरकार मिल मालिकों को मजबूर करके कीमत दिलायेगी। पर सरकार उल्टे किसानों को ही मजबूर करती है और मिल मालिकों का पक्ष लेती है, जिसका असर यह होता है कि अपने प्रदेश में करोड़ों रुपये का नुकसान किसानों का होता है और मिल मालिकों को फायदा होता है। इसी से जाना जा सकता है कि सरकार किस पक्ष में है। जहां पर छोटे-छोटे काम के लिए आर्डिनेंस निकाले जाते हैं, वहां पर आप यह भी देखेंगे कि इतनी भारी संख्या में जो अपने प्रदेश में मिल मालिक हैं और जिनका पंजा आज जकड़ता जा रहा है, ६६ चीनी मिल मालिक जो इस प्रदेश में हैं, करोड़ों रुपया किसानों का तथा सरकार का उनके ऊपर बाकी है, उसके लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। इस तरह की जो परिपाटी बढ़ती चली जा रही है मैं समझता हूं कि सरकार उसकी और भी प्रोत्साहित करने की ओर ही अग्रसर हो रही है।

श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने प्रदेश में खासतौर से गंगा, घाघरा, बड़ी गंडक और छोटी गंडक के किनारे बसने वाले जो जिले हैं उन जिलों के सम्बन्ध में माननीय

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

राज्यपाल महोदय ने चर्चा नहीं की है। मैं समझता हूं कि अपने प्रदेश में लाखों की तादाद में ऐसे किसान हैं, गांव हैं जिनके घर हर साल हजारों की तादाद में इन नदियों के कटाव से कटते हैं। उनके पास न घर रहते हैं और न रोजी का कोई सहारा रह जाता है। हर साल इस सदन में उसकी चर्चा होती है लेकिन सरकार की ओर से राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में जरा भी इशारा किया होता और कटान पीड़ित किसानों और मजदूरों की समस्या को हल करने में सरकार सचेत होती तो मैं समझता कि यह सरकार प्रदेश में उन दुखी लोगों की सहायता करने वाली है लेकिन इस तरफ सरकार का कोई काम करने का इरादा नहीं है।

मैं समझता हूं अपने प्रदेश में न्याय और प्रशासन में भी बड़ा संघर्ष है और सरकार उसके लिये कानून बना कर व्यवस्था करना चाहती है। गृह मंत्री जी हर वक्त यह कहते हैं कि अगर पुलिस का प्रशासन ठीक नहीं होता है तो कमी दूर नहीं हो सकती है। मैं समझता हूं इस तरह से पुलिस का प्रशासन ठीक होने वाला नहीं है। एक ही मजिस्ट्रेट के यहां दोनों काम होते हैं। वही मजिस्ट्रेट होता है और वही सजा करता है। १०७, ११० और १०९ के जो इस तरह के मुकदमे होते हैं जिनका सम्बन्ध पुलिस प्रशासन से होता है, उसका अलगाव हाकिम परगना से नहीं है। मैं मानता हूं कि कुछ जिलों में जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त किये जा रहे हैं और न्याय एवं प्रशासन में बिलगाव किया जा रहा है लेकिन उन जुडिशियल मजिस्ट्रेटों का सम्बन्ध जिलाधीश से होता है। जिलाधीश उनका सारा काम, उनकी सारी दिनचर्या और सारे अधिकार के काम देखता है तो उसका प्रभाव उनके ऊपर रहना स्वाभाविक है। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेटों का सारा काम जजों के हाथ में दे दिया जाय तो मैं समझता हूं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेटों को इन्साफ करने में सहूलियत मिलेगी और अपने प्रदेश में न्याय और प्रशासन का एक बड़ा झगड़ा है उसको बिलगाव करने का एक सन्तोषजनक रास्ता निकल जाता। लेकिन राज्यपाल महोदय ने उसके लिये जरा भी इशारा नहीं किया है। मैं समझता हूं उस तरफ सरकार का ध्यान बड़ी तेजी से जाना चाहिये।

हमारे प्रदेश में जो छोटी-छोटी नौकरी करने वाले लोग हैं, जैसे चौकीदार हैं, चपरासी हैं, मास्टर लोग हैं उनकी हालत बड़ी दयनीय है। पिछले साल उनके लिये ५ रुपया बढ़ाया गया है मगर इससे उनका कल्याण होने वाला नहीं है। श्रीमन्, आपको स्वयं जानकारी होगी कि बहुत से स्थानों में इस ५ रुपये की बढ़ोत्तरी को लागू भी नहीं किया गया है। उसका असर भी बड़े आदमियों के लिए है और छोटे आदमियों के लिए नहीं है। सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिये।

आप देखेंगे कि गांव पंचायतों के चुनाव अभी हुये हैं। आपका सम्बन्ध भी गांवों से है। गांव पंचायतों के चुनाव केवल पंचायत के इन्स्पेक्टर की मरजी पर हुये हैं। जिसको चाहा प्रधान बना दिया गया है। हमने भी इन ग्राम पंचायतों के चुनावों को देखने के लिए २८ समाजों में हिस्सा लिया है और सैकड़ों गांवों में पैदल और साइकिल से घूमकर देखा है। पंचायत इंस्पेक्टर और पंचायत-सेक्रेटरी ने जिस प्रधान को चाहा जिता दिया और जिसको चाहा उसको हरा दिया। श्रीमन्, आपको जानकर तकलीफ होगी कि एक ही वोटर ने १० और २० मर्तबा वोट दिया है लेकिन प्रिसाइडिंग अफसर के पास कोई सबूत इसका नहीं रहा है कि वे उन वोटरों को हटा दें। कई बार लोग अपना वोट दे देकर आये हैं। एक व्यक्ति एक बार परची लेकर जाता था और वोट देकर आ जाता था। रोशनाई का निशान जो लगाया जाता था आम चुनाव के समय उसका इसमें प्रयोग नहीं किया गया। इस वजह से एक आदमी ने १० मर्तबा अपना वोट दिया है। प्रिसाइडिंग अफसर जिसको चाहता था उसको जिता देता था और जिसको चाहता था हरा देता था। इस तरह से इन पंचायतों के चुनाव में अनियमितता हो गई है। आप यह भी देखें कि यहां तक हुआ है कि प्रधान के लिये

मतदान हो रहा है, ४ बजे मतदान समाप्त होने वाला है लेकिन ३।। बजे सेक्रेटरी ने नई लिस्ट लाकर दे दी कि इतने वोट और बढ़े हैं। जिसके पक्ष में वह पड़ गये वह जीत गया और जिसके पक्ष में वह नहीं पड़े वह हार गया। मैं समझता हूं सारे प्रदेश के सदस्यों को यह अनुभव हुआ होगा। ब्लाक के महा प्रधानों का चुनाव २० फरवरी तथा अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव २८ फरवरी तक हो जाना चाहिये। इस प्रकार का आदेश जिलाधीशों को गया है। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि बहुत प्रधानों का चुनाव अभी नहीं हुआ, उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की और ब्लाक का चुनाव होने के लिये हुक्म जारी हो गया, परिषद् के चेयरमैन के चुनाव हो जायं, इसके लिये हुक्म हो गया। इस तरह से मैं समझता हूं कि सरकार सोच-विचार कर कोई काम नहीं करना चाहती है। अच्छा हुआ होता कि सदन कुछ पहले बुला लिया गया होता और इन नियमों पर बैठ कर विचार कर लिया गया होता। इस तरह गांव पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव करा कर पार्टीबन्दी तथा कत्ल तक कराये गये हैं; उन सबकी जिम्मेदारी इस नयी सरकार पर है। मैं समझता हूं कि इस तरह जो जल्दी-जल्दी गांव सभा और परिषद् के चुनाव कराने की तैयारी है वह स्थगित होनी चाहिये।

श्रीमन्, आप यह भी देखेंगे कि सारे प्रदेश में और खास कर प्रदेश के पूर्वी जिलों में, जहां गरीब ज्यादा हैं, खेतिहर मजदूर ज्यादा रहते हैं, वहां की बड़ी दयनीय हालत है। ईंट और ईंधन के लिये आर्डिनेंस भी जारी किये गये हैं, लेकिन इसके साथ ही सरकार को सोचना चाहिये कि उन जिलों में जहां सैकड़ों की तादाद में ईंट के भट्ठे चलते थे, आज भट्ठे चल रहे हैं अथवा नहीं। आपको जानकारी होगी और सदन में अनेक बार इस पर चर्चा भी हुई है और भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिये थे कि केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि कोयले का प्रबन्ध प्रदेश के लिये किया जायगा। आज आजमगढ़ में देखा जाय कि जहां लगभग १०० भट्ठे चलते थे वहां केवल ८ या ९ चल रहे हैं। फिर इस पर कंट्रोल करने का निश्चय है, जिसका फायदा सरकार को होगा, लेकिन आम जनता को, जिसको ईंट की जरूरत है नाली आदि बनाने के लिये उसको तकलीफ होगी। इसलिये इस सरकार को केन्द्रीय सरकार से लड़ कर वैगन कोयला का मंगाना चाहिये और अपने प्रदेश में जहां जहां कोयले की कमी है उसकी पूर्ति करनी चाहिये।

पढ़ाई-लिखाई के लिये एक ही शब्द कहना चाहता हूं कि इस देश का ही एक हिस्सा है काश्मीर। वहां एम० ए० तक की पढ़ाई मुफ्त है और अपने यहां ८ या १० क्लास तक की ही शिक्षा मुफ्त करने की सरकार की हिम्मत नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस विषय में कुछ उदारता बरते और छोटे स्कूलों तथा उसके विद्यार्थियों और मास्टरों के प्रति कुछ अधिक ध्यान दे। उनके पास न पढ़ने का पूरा स्थान है और न मास्टरों के लिये कोई उचित प्रबन्ध है।

इसके अतिरिक्त केवल लेक्चर देने से ही पुलिस के तौर तरीके बदलने वाले नहीं हैं। मैं अपने सामने की २९ जनवरी की एक घटना सुनाता हूं। मैं मधुवन थाने के बाजार में बैठा हुआ था कि तीन आदमी एक चोर को पकड़ कर थाने में लाये और उन तीनों निरपराध आदमियों को थाने में पकड़ कर खूब मारा गया। धर्मपुर गांव में ६५ बोरा अवैध गांजा १३ दिसम्बर को बरामद कराया गया, लेकिन उसमें से ३ बोरी थाने में जमा करके ६२ बोरी गांजा हजारों रुपया घूस लेने के बाद बाजार में बेंच दिया गया। वहां सारी जगह इसकी चर्चा है। सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस और जिलाधीश जो जिलों में जमे हुए हैं उनके हाथों में ही सारी शक्ति केन्द्रित होती जा रही है। और सरकार उस शक्ति को और मजबूत करती जा रही है। विकेन्द्रीकरण, जो गांधी जी की नीति थी, उसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन, जो संशोधन प्रस्ताव नेता विरोधी दल ने पेश किया है, उसे स्वीकार करे।

*श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—श्रीमान् जी, जो प्रस्ताव माननीय नवलकिशोर जी ने सदन के सामने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। किन्तु मुझे खेद है कि अपने अभिभाषण में माननीय राज्यपाल जी ने एक जरूरी मामले के मुताल्लिक कुछ जिक्र नहीं किया है। जो फेहरिस्त आर्डिनेंस की इसमें दी गयी है उसमें एक आर्डिनेंस ऐसा भी है जिसके जरिये बिल्डिंग्स आपरेशन ऐक्ट, जो १९५८ में पेश किया गया था उसमें संशोधन किया गया है और वह यह कि पहले जो ऐक्ट बना था वह गांवों के मकानों पर लागू नहीं होता था। लेकिन अब यह संशोधन किया गया है कि जो सुरक्षित क्षेत्र में रेगुलेटेड एरियाज हैं और उनमें पड़ने वाले जो गांव हैं वे भी जब तक प्रिस्क्राइब्ड एथारिटी से नक्शा पास नहीं करा लेते मकान नहीं बनवा सकते। यह ऐक्ट मेरे इलाके में १० दिसम्बर से लागू किया गया और गाजियाबाद के चारों तरफ ५ मील का रकबा और दिल्ली तथा गाजियाबाद के दरमियान दोनों तरफ ढाई-ढाई मील का एरिया सुरक्षित डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके अनुसार इसमें करीब ५० गांव आते हैं और उनका कुल रकबा करीब ३६ हजार एकड़ भूमि आता है। यह ऐक्ट उन ५० गांवों पर लागू हो गया और जो अब संशोधन हुआ है उसकी रू से बिना नकशा पास करवाये हुए कोई भी अपना मकान नहीं बनवा सकता। वह मकान चाहे कच्चा हो या पक्का हो, नक्शा पास कराना जरूरी हो गया है। इसके अलावा दूसरा जो बिल्डिंग्स आपरेशन्स ऐक्ट है उसकी एक धारा यह भी है कि कोई मकान २५० वर्ग गज से कम जगह पर नहीं बनेगा। अगर गांव के किसी आदमी के पास कोई छोटा-सा कमरा है और अगर वह गिर गया है तो वह उसको बनवा ही नहीं सकता है, इस धारा के मुताबिक। वह उस कमरे के बजाय नया कमरा नहीं बनवा सकता। तो यह एक ऐसी तकलीफ है जो इस आर्डिनेंस की रू से वहां के इलाके के आदमियों को हुई है। इससे जो एक जहमत उन लोगों पर आ पड़ी है उसका जिक्र कहीं पर नहीं है।

जैसा कि मैंने कहा, १० दिसम्बर, १९५८ को यह ऐक्ट लागू किया गया और इसका प्रभाव ५० गांवों पर पड़ा। उसके लिये एक मास्टर प्लान भी बनायी गयी जो अभी तक फाइनल भी नहीं हुई है और जो नक्शे पास हुए हैं उन पर उनके एतराजात मांगे गये हैं। इस ऐक्ट की रू से करीब ३६ हजार एकड़ भूमि एक्वायर होने की सम्भावना है और उन लोगों से एक महीने के अन्दर एतराजात मांगे गये हैं। यह सब इतनी जल्दी किया गया कि कोई कोई दिन तो रश इतना हो गया कि लोगों को टिकट तक नहीं मिले लगाने के लिये। चूंकि एक महीने के अन्दर एतराज करने का हुक्म था, इसलिये सैकड़ों रुपये उन गरीबों के टिकट खरीदने में और वकीलों को देने में ही खर्च हो गये।

२० जुलाई, १९६० को एक और विज्ञप्ति जारी की गयी। उसकी रू से एक इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट कायम किया गया जिसमें कि कुछ आफिशियल और कुछ नान-आफिशियल लोग रखे गये किन्तु उनके गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं रखा गया। किसानों का कोई भी नुमाइन्दा उसमें नहीं रखा गया हालांकि जमीन जो एक्वायर की गयी, जिस पर डेवलेपमेंट होना है, वह सब किसानों की ही ली गयी। उसका शहर वालों पर कोई असर नहीं होगा। इसके लिये अपने लोगों की तकलीफ रखने के लिये २३ अगस्त को ५०–६० आदमियों का, किसानों का, एक डेपुटेशन यहां आया और वह शर्मा जी से, जो उस समय लोकल सेल्फ विभाग के मंत्री थे, मिला। वह डेपुटेशन माननीय सम्पूर्णानन्द जी से भी मिला और उसने अपनी तकलीफों को उनके सामने रखा। उनकी बातों को सुनकर माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने उनको यकीन दिलाया था कि उनकी कम से कम जमीनें ली जायेंगी और उनका मुआवजा भी मार्केट रेट के हिसाब दिया जायेगा। लेकिन वहां तो मार्केट रेट सर्किल रेट के मुताबिक समझा जाता है। उन्होंने यह कहा कि उसके लिए हमारा ऐसा ही कानून बना है, उसको हम तब्दील कर देंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश २३ अगस्त, ६० को जो उनके साथ भेंट हुई है उस वक्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो उन्होंने आश्वासन दिया कि मार्केट रेट पर मुआवजा दिया जायगा, उसके ठीक एक महीने बाद इसी इलाके में रेलवे वालों ने जमीन एक्वायर की और वही मुआवजा दिया गया जो पहली दर से दिया जाता था जो कि २० रुपया, ३० रुपया, और २५ रुपया भी है। हालांकि उसी इलाके में उसी वक्त डेढ़ हजार और दो हजार रुपया फी बीघे का भाव था। मैंने रेलवे मंत्री को पत्र लिखा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है तो उनका जवाब यह था कि हम रेलवे वाले या गवर्नमेंट आफ इंडिया यह मुआवजा तय नहीं करती। यह तय करना सिविल अथारिटीज का काम है, इसलिये जो मुआवजा उन्होंने हमें कहा है, वह हमने दे दिया।

एक अखबार यह "आज" बनारस से निकलता है। ३ अक्टूबर के इश्यू में एक रेलवे मंत्री का भाषण है। अगर दो मिनट दे दें तो मैं पढ़ कर सुना दूं?

श्री अधिष्ठाता--पढ़ दें आप।

श्री तेजासिंह--२ अक्तूबर को राबर्ट्सगंज में उन्होंने तकरीर की है और उन्होंने कहा है कि "रेलवे द्वारा प्राप्त जमीन के मुआवजे के बारे में रेलवे मंत्री ने कहा कि जहां तक बिहार में जमीन का मुआवजा रेलवे द्वारा २,५०० रुपया दिया जाता है वहां केवल २५ रुपया राबर्ट्सगंज में दिया जा रहा है।" यह रेलवे मंत्री जी ने स्वयं कहा है। "ऐसा क्यों हो रहा है मैं नहीं जानता।"

श्री अधिष्ठाता--२,५०० बिहार में और २५ रुपया यू० पी० में दिया जा रहा है उतनी ही जमीन के लिए?

श्री तेजासिंह--जी हां। राबर्टसगंज, यू० पी०, में दरिया सोन पर पुल बना है जिसका एक हिस्सा बिहार में है और एक यू० पी० में। वह कहते हैं, "क्यों ऐसा हो रहा है, मैं नहीं जानता"। यह काम उत्तर प्रदेश की सरकार का है। उसने रेलवे से जितना मुआवजा मांगा, रेलवे ने उतना दिया। उसने कम मांगा इसलिए कम दिया जा रहा है। यह तो एक सार्टिफिकेट है जो हमारी सरकार को रेलवे मंत्री ने दिया है। अभी पांडेय जी कह रहे थे कि हमारी सरकार को केन्द्र से लड़ना चाहिए और ज्यादा कोयला लेना चाहिए, लेकिन यहां तो जो वह देने के लिए तैयार हैं वही हमारी सरकार लेने के लिए तैयार नहीं है, लड़ाई तो अलग रह गयी। वह कहते हैं कि ज्यादा मुआवजा लो, लेकिन सरकार कहती है कि हमारे किसानों को ज्यादा मुआवजा नहीं चाहिये, यहां गरीबी र ; तो अच्छा है।

बिलकुल ऐसे ही गाजियाबाद के पास ही एक रेलवे लाइन निकलने जा रही है, उसकी जमीन एक्वायर की गयी है और उसमें भी २० रुपया, ३० रुपया मुआवजा मिला है जोकि इस सरकार की सलाह से दिया गया है जबकि उसी इलाके का मार्केट रेट हजार, डेढ़ हजार रुपया फी बीघे से कम नहीं है। तो यह ५० गांवों के किसानों को ही दुःख नहीं है, बल्कि तमाम प्रान्त भर के किसानों के ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि आये दिन सरकार किसानों की जमीन एक्वायर करती रहती है। कभी ट्यूबवेल के लिये, कभी और सरकारी इमारतों के लिये एक्वायर करती है। तो गवर्नमेंट को इस कानून में, जो कि मुआवजे तय करने का कानून है, उसमें संशोधन करना चाहिये और जल्दी करनी चाहिये, क्योंकि यह गाजियाबाद का मसला ऐसा है कि ५० गांवों के जो किसान हैं वह आये दिन प्रदर्शन करते हैं, जलसे करते हैं और घोषणा करते हैं कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो उनको कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। इसलिये अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा और अपने सारे साथियों के द्वारा गवर्नमेंट से जोरदार प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इस मुआविजे के कानून को जल्द बदले नहीं तो हो सकता है कि किसान इतने नाराज हो जायं कि फिर बाद में उनको सम्हालना ही मुश्किल हो जाय।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय नवल किशोर जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री यशपालसिंह (जिला सहारनपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, बड़े गौर से मैं तकरीरों को सुन रहा हूं और बड़े खेद के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के लिये जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसकी मैं ताईद नहीं कर सकता। इतने लम्बे भाषण में, इस प्रदेश में जो तबाहियां हुईं उनका कोई जिक्र नहीं किया गया। सिर्फ पंचायत राज के एलेक्शन में जो डाकेजनी और कत्ल हुये उनका कोई जिक्र उसमें नहीं किया गया और इस सूबे की साढ़े ६ करोड़ से ज्यादा जनता को मामूली पंचायत सेक्रेटरियों के रहमोकरम पर छोड़ दिया गया। मैंने पंचायत राज के एलेक्शन्स खुद जाकर केवल एक जगह ही नहीं बल्कि बीस जगह से अधिक जगह जाकर देखे.....

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। इस सदन में कई मर्तबा यह प्रश्न उठ चुका है कि जब कभी बजट पर आम विवाद हो या गवर्नर महोदय के भाषण पर वाद विवाद हो जिसमें कि सदस्य आम नीतियों की चर्चा करते हैं, ऐसे समय पर यहां किसी न किसी कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर का रहना नितान्त अनिवार्य है। और खास तौर से जब यह नयी सरकार आई है जोकि नयी नीतियां ले आने का दावा करती है, ऐसे समय में भी अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर यहां पर न रहेतो मैं समझता हूं यह पिछली रूलिंग के विरुद्ध है। इसलिये मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप आदेश दें कि जब तक कोई कैबिनेट मिनिस्टर यहां पर न आ जाय, तब तक के लिये सदन में विवाद रुका रहे।

श्री अधिष्ठाता---एक मिनिस्टर साहब तो यहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन वह आपकी शर्त के मुताबिक हैं या नहीं, यह सोचने की बात है।

श्री चन्द्रजीत यादव---इस सदन में रूलिंग हो चुकी है।

श्री अधिष्ठाता---आपका कहना ठीक है और सदन की मर्यादा भी इसी में है कि माननीय सदस्य जो कुछ कहते हैं उसको ध्यानपूर्वक सरकार सुने और खास तौर से इस वक्त में जबकि इस गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, इस गवर्नमेंट को ज्यादा अटेंटिव होना चाहिये। लेकिन जहां तक कार्यवाही बन्द करने की बात है मैं समझता हूं कि अगर कार्यवाही रोकी जायगी तो इसमें आपका ही नुकसान होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव---तो आप आदेश दें।

श्री अधिष्ठाता---आप इस समय कार्यवाही चलने दें। आप जो कुछ कह रहे हैं या मैं कह रहा हूं, ऐसा तो है नहीं कि सरकारी पक्ष उसको सुन नहीं रहा है। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें और उसके बाद फिर आप इस प्रश्न को उठा सकते हैं। कार्यवाही तो चलने ही दी जाय।

श्री यशपाल सिंह---अधिष्ठाता महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि मैंने २० से ज्यादा पंचायतों के चुनाव में जाकर खुद देखा कि वहां पर इतना अनर्थ हुआ जितना कि अंग्रेजी राज्य में भी नहीं हो सकता था। मैं नाम इसलिये नहीं लेता क्योंकि मेरी किसी से व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है बल्कि हम सरकार की पालिसी के खिलाफ हैं। मैंने खुद एक पंचायत एलेक्शन में जाकर देखा कि पहले प्रिसाईडिंग आफिसर ने एक हजार रुपये का सौदा किया और यह कहा कि जो एक हजार रुपया दे देगा वह जीत जायगा। एक पार्टी ५०० दे सकी और बाकी बाद को देने के लिये कहा और दूसरी ने १,००० दे दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि जो लोग रुपया नहीं दे सके उनके वोटर्स को नहीं आने दिया, उनको बैठने नहीं दिया गया, उनको पुलिस के जोर से निकलवाया गया। पंचायत एलेक्शन में जब यह खेल हो रहा था तब मैंने जाकर वहां देखा। जब लोगों ने देखा कि एक हजार का सस्ता सौदा है, कोई बड़ी चीज नहीं है तो कुछ लोग बैलेट बाक्स को उठाकर ही भाग गये और गांव पंचायत का सारे

का सारा एलेक्शन अधूरा रह गया और अब तक पता नहीं लग सका कि कौन बैलेट बाक्स उठाने वाले थे, किन्होंने बक्स उठाये हैं और किनका चालान हुआ है। आज तक पता नहीं कि किस तारीख तक वहां पंचायत बन सकेगी। तो इतना बड़ा अनाचार और दुराचार हुआ है, लेकिन राज्यपाल महोदय ने एक शब्द भी इस दुर्व्यवस्था के लिये और अनाचार के लिये नहीं कहा।

जरूरत इस बात की है कि पार्टी पालीटिक्स से ऊपर उठ कर देश का निर्माण किया जाय। आज साढ़े छै करोड़ से ज्यादा इन्सानों का सवाल है, इसको एक पार्टी या एक धड़ा नहीं कर सकता और यह तब तक नहीं होगा जब तक कि व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि साथी राजनारायण जी भी मेरे एक साथी हैं, बड़े भाई हैं, मैं उनसे साफ साफ कहना चाहता हूं कि इस बड़े प्रदेश को ऊंचा उठाने के लिये कोई एक पार्टी काफी नहीं है। कोई धड़ा या पार्टी अकेले इस कार्य को नहीं कर सकती है। राजनारायण जी ने यह भी देखा होगा कि जब कभी जेल जाने का मौका आया होगा मैं आगे ही रहा होऊंगा। मेरे साथी राजनारायण स्वयं साक्षी हैं कि जब जब सोशलिस्ट पार्टी ने वाक आउट किया या अविश्वास का प्रस्ताव सरकार के खिलाफ दिया तो मैं पूर्णतया सोशलिस्ट पार्टी के साथ रहा हूं, मैं हर एक प्रोग्रेसिव के साथ हूं। लेकिन जिस प्रकार से उन्हें अपनी पार्टी प्यारी है उसी प्रकार से हमें अपना वोटर और जनता प्यारी है। प्रदेश को ऊंचा उठाने के लिये आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्तियों के चरित्र का निर्माण किया जाय। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका कुनबा ही क्यों घट गया। टीकाराम पुजारी कहां से आये थे, राम सिंह चौहान कहां से आये थे। यह सब आपकी हाई हैंडेडनेस का नतीजा है। देश का निर्माण इस प्रकार से नहीं हो सकता। देश का निर्माण सहनशक्ति से होगा। भ्रातृभाव से जनता का हृदय जीतना होगा।

राजनारायण जी ने एक बात कही कि किसी खास कुनबे के ५० आदमी नौकरी में क्यों आ गये। लेकिन अगर किसी एक ही कुनब के ५० क ५० आदमी इस योग्य हैं कि किन्हीं पदों पर रखे जा सकें तो क्लासलेस सोसाइटी का यह तकाजा है कि उनको रखा जाय। (First deserve then desire) अगर हमने आई० सी० एस० नहीं किया इसलिये कि हम गांव के रहने वाले हैं और जो शहर का रहने वाला है उसने आई० सी० एस० कर लिया है तो उसको ऊंचे ओहदे पर रखना ही होगा, चाहे वह एक कुनबे के हों या एक बिरादरी के हों।

गवर्नर साहब ने अपने ऐड्रेस में निर्माण कार्यों का कोई जिक्र नहीं किया। प्रदेश के कानून में मिलिटरी ट्रेनिंग लाजिमी होनी चाहिये। हमारे नौजवानों को मिलिटरी ट्रेनिंग दी जाय। लेकिन उन्होंने एक शब्द भी उसके बारे में नहीं कहा कि किस तरह से हमारे देश की हिफाजत होगी। देश की हिफाजत खाली बातों के करने से, चरखे के कातने से नहीं होगी, देश की हिफाजत करने के लिये मिलिटरी ट्रेनिंग को अनिवार्य करना होगा। जब तक तलवार और राइफल की ट्रेनिंग नौजवानों को नहीं दी जायगी तब तक देश को नहीं बचाया जा सकता। हमारी चौकियों पर विदेशी लोग आकर हमारे ऊपर शासन करना चाहें, यह हमारे लिये बड़े दुर्भाग्य की बात है। बिना तलवार के हम अपनी रक्षा न कर सकेंगे।

"हंसी तलवार की हम लोग उड़ायें न कभी,
इसकी अज़मत की शहादत गुरु गोविन्द ने दी।
इसके साये में है जन्नत, ये है फरमाने रसूल,
हक़ कीनुसरत के लिये तेग़ अली की चमकी।
लेकिन आज हमें पंचशील और अहिंसा से यह डर है—
पंचशील और अहिंसा के बियाबानों में,
कौम भटकी हुई प्यासी कहीं दम तोड़ न दे।

[श्री यशपालसिंह]

इसलिये आपको नौजवान का खयाल रखना होगा। क्या वह नौजवान जो गंदे सिनेमा के पोस्टर देखता है, अश्लील सिनेमा देखता है, अपने देश की रक्षा कर सकेगा। जरूरत है कि उसके चरित्र का निर्माण किया जाय। जो सिगरेट पीता है वह भी आज चरित्र का उपदेश देता है, जो अश्लील सिनेमा देखता है वह भी चरित्र का उपदेश देता है, जो शराब पीता है वह भी चरित्र का उपदेश देता है। स्टेट के निर्माण के लिये चरित्र निर्माण की आवश्यकता है, देश के निर्माण के लिये चरित्र को ऊंचा उठाने की जरूरत है। चरित्र के लिये एक लाइन तो कायम करनी पड़ेगी। एक रेखा अंकित की जायगी। कैरेक्टर का स्टैंडर्ड स्थापित करना पड़ेगा। और जब तक हम यह चीज नहीं कायम करते हैं, इस देश की हिफाजत नहीं हो सकती है। आप सब देखेंगे कि राज्यपाल के अभिभाषण में कोई भी ऐसी चीज नहीं है। इसके लिये मुझे अकबर इलाहाबादी का शेर याद आता है—

"हैफ़ आता है कि खोई उम्र मज़मूं बांध-बांध,
ऐसी बन्दिश से तो बेहतर था कि छप्पर बांधते।"

कम से कम गरीबों का कुछ फायदा तो हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है। मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप इस देश का निर्माण करना चाहते हैं, अगर इस प्रदेश को ऊंचा उठाना है तो सबसे पहली चीज यह है कि हम पार्टी पालिटिक्स को छोड़ कर देहातों में पहुंचें। देहातों में आप चलेजायें तो मालूम होगा कि वहां वाले आज तक नहीं जानते हैं कि उनके जिले में कलेक्टर, एस० पी०, इंजीनियर्स, बी० डी० ओज या ए० डी० ओज कितने हैं या कौन-कौन हैं। देहात के आदमी आज तक यही समझते रहे हैं कि पंचायत इंस्पेक्टर जो चाहेगा, पंचायत सेक्रेटरी जो चाहेगा या जिसको चाहेगा उसी को प्रधान बना देगा। वह इस बात को आज भी नहीं समझता है कि उसको कानूनी तौर से यह हक प्राप्त है कि वह जिसको चाहे उसको अपना प्रधान चुन ले। इस विशाल प्रदेश की समस्याओं का कोई हल गवर्नर महोदय के ऐडेरेस में नहीं है। भविष्य में सरकार क्या करने जा रही है इसकी भी कोई स्पष्ट रूपरेखा इस भाषण में नहीं है।

मुझे खेद है कि इस भाषण पर मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद नहीं दे सकता।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)—अभी एक माननीय सदस्य ने हमारी सोशलिस्ट पार्टी और राजनारायण जी पर आक्षेप किया। लेकिन मैं बतला देना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी अपने सिद्धांत पर अडिग है। चाहे राजनारायण जी हों, या श्री रामसिंह हों या श्री टीकाराम पुजारी हों वे अपने सिद्धांत पर अटल हैं।

श्री अधिष्ठाता—जब आप भाषण देंगे तो उसका उत्तर दे देंगे। आपको मौका मिलेगा।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—श्रीमन्, मैं माननीय नवलकिशोर जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये आया हूं। इस सदन में माननीय राज्यपाल ने इस बार अभिभाषण की एक नयी परिपाटी डाली है जिसे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। इस बार का अभिभाषण बहुत थोड़े शब्दों में है। हमारे संविधान में अभिभाषण के लिये जो शब्दावली हुई है उसी के अनुसार यह अभिभाषण है। संविधान में दिया हुआ है "काज आफ समन" यानी किस लिये वह विधान मंडल को बुला रहे हैं, वह इसमें है और मुख्यतः उसी तक यह सीमित कर दिया है। पुरानी परिपाटी जो चली आ रही है कि हमारा भावी कार्यक्रम क्या होगा उसका भी राज्यपाल उल्लेख करें, तो हमारे सामने जो भावी कार्यक्रम है वह तीसरी पंचवर्षीय योजना का है, उसका भी उसमें उल्लेख है। इसलिये मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय अवश्य बधाई के पात्र हैं।

इस विवाद में बहुत से वक्ताओं ने, मुख्यतः नेता विरोधी दल ने अपने भाषण को ७ अध्यादेशों के नाम से प्रारम्भ किया और यह बात ठीक है कि किसी भी प्रजातांत्रिक राज्य में अधिक अध्यादेशों का होना कोई अच्छी बात नहीं है। किसी गवर्नमेंट के लिये भी यह शान की बात नहीं है लेकिन अधिष्ठाता महोदय, अध्यादेश के नाम से ही उसके अन्दर कोई नुक्स नहीं हो जाता है। हमें देखना यह है कि वह क्या है और किस लिये लाया गया है।

जहां तक इन ७ अध्यादेशों का सम्बन्ध है, इनमें से ३ अध्यादेश ऐसे हैं जो हमारे उस लक्ष्य को पूरा करने जा रहे हैं जिसके लिये हम इस सदन में पिछले ९ साल से लगातार और विभिन्न कमेटियों में शोर मचाते रहे हैं, बजट के समय डिबेट में शोर मचाते रहे हैं कि बचत की जाय, बचत की जाय, खर्च बहुत होता है। तो तीन अध्यादेश बचत से सम्बन्ध रखते हैं। उनमें पहला अध्यादेश तो मंत्रियों की तनख्वाह कम करने के सम्बन्ध में है और दूसरा गन्ना सेस के सम्बन्ध में है और तीसरा कोर्ट फीस के सम्बन्ध में है। मंत्रियों के वेतन कम करने के संबंध में जो कदम उठाया गया है उसके लिये हमारी सरकार और विशेषकर मुख्य मंत्री वास्तव में बधाई के पात्र हैं।

यह कहा गया और यह बिलकुल ठीक है कि इस कानून से, इस अध्यादेश से कुछ बहुत बड़ी बचत सरकारी खजाने में नहीं होगी लेकिन हमें यह देखना नहीं है कि कितनी बचत होगी बल्कि हमें तो देखना यह है कि उधर हमारी रुझान हुई कि हमें बचत करनी चाहिये। Charity begins at home----कोई भी अच्छा काम करना हो तो उसे पहले अपने यहां से शुरू करना चाहिये। इसलिये अपने अन्दर जो खराबी है पहले उसको दूर करना होगा। अगर नहीं करेंगे, फर्ज कीजिये कि हम सचिवालय में कमी करते, सर्विसेज में किफायत लाते और अपनी तरफ न देखते तो आप ही कहते कि 'फिजीशियन हील दाई सेल्फ़' पहले अपना तो इलाज करो, इसलिये पहले मंत्रियों की ओर से ही कदम उठाया गया और उसका असर हुआ और मैं समझता हूं आगे होगा। मैं आशा करता था कि कम से कम इस चीज का तो माननीय नेता विरोधी दल भी समर्थन करेंगे और सरकार को बधाई देंगे लेकिन उन्होंने कहा कि इसका नक्कारा पीटा गया। यह कोई माला जपना नहीं है, यह कोई भजन करना, माला लेकर बैठना नहीं है, किसी कोठरी में जिसका सम्बन्ध केवल आत्मा और खुदा से हो। लेकिन एक अच्छे कदम का असर समाज पर पड़ता है। किसी देश की और प्रदेश की जनता पर पड़ता है तो उसका यथोचित प्रचार करना समाज का धर्म हो जाता है उसको नगाड़ा पीटना नहीं कहा जा सकता। मैं आशा करता था कि सरकार के इस कदम का तो माननीय नेता विरोधी दल अवश्य ही समर्थन करेंगे। बहुत दिनों से हम देख रहे थे कि बचत का जहां तक सम्बन्ध है विरोधी दलों के नेताओं की ओर से यह तो कहा जा सकता था कि यह बचत और हो, परन्तु इस पर अवश्य बधाई देनी चाहिये थी। अब वह बचत की गई कि जिसको लगातार कहा जाता था, एस्टीमेट कमेटी में कहा जाता था, यह बड़ी-बड़ी कारें और यह बड़े बंगले क्यों रखे जा रहे हैं। उन्हें कम किया जाय। अब वह कदम उठाये गये हैं तो कहा जाता है कि नक्कारा पीटा जा रहा है।

दूसरा अध्यादेश जिसका सम्बन्ध बचत से है वह है कोर्ट फीस अध्यादेश और गन्ना उपकर अध्यादेश। आप को यह ज्ञात है, और सदन जानता है कि इन दोनों अध्यादेशों के लाने के लिये सरकार की मजबूरी थी। एक उच्च न्यायालय के फैसले के द्वारा और दूसरा बम्बई हाईकोर्ट के फैसले के द्वारा अवैध हो गया था।

एक सदस्य—वह तो सरकार की गलती से ही हुआ।

श्री जगदीश प्रसाद—गलतियां तो कानून बनाने में हुआ ही करती हैं। कोई भी सरकार कानून बनाये उसमें गलती रह सकती है।

श्री अधिष्ठाता—आप उधर ध्यान न दें, आप चेयर को एड्रेस करें।

श्री जगदीशप्रसाद—वह कानून सदन ने पास किये थे, सदन का फैसला था, ऐसी परिस्थिति में उनको लीगेलाइज करना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त ४ अध्यादेश और थे, एक पचायत राज के विषय में था, वह चुनाव हो रहे थे, आप ने विधेयक पास किया था और वह अधिनियम बन चुका था। जब सामने कठिनाई आती है तो संशोधन लाकर उन परिस्थिति और कठिनाइयों का निवारण करना पड़ता है। यह सब को मालूम है कि कुछ कारणों से जो दुखमय थे और नहीं टाले जा सके, कई मास तक सदन नहीं बैठ सका, ऐसी हालत में अगर अध्यादेश न लाया जाता तो और क्या होता।

इसके अलावा अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम और इवैकुई इंटरेस्ट (सेपरेशन) अनुपूरक अधिनियम और कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम के बारे में अध्यादेश है। मैं आप से कह रहा था कि केवल आर्डिनेंस का नाम लेने से ही आर्डिनेन्स नहीं हो जाता। देखना यह है कि समाज का हित किस चीज में है और किस कारण यह आर्डिनेन्स जारी करना पड़े। देखना है कि इससे प्रदेश का लाभ होगा या हानि होगी। इससे अन्याय या अधिकारों का हनन तो न होगा। दूसरे अभिभाषण में कुछ विधेयकों का जिक्र है। जहां तक इन बिलों का सम्बन्ध है मैं जहां तक देखता हूं इसमें ९ बिल आने वाले हैं, इनमें से ५ वह हैं कि जो सन् ६० में आ चुके हैं, उसके बाद ४ बिल और हैं जिनको लाना आवश्यक समझा गया। मैं इन बिलों के सम्बन्ध में इसी अवसर पर २ शब्द यदि कह दूं सरकार से तो और अच्छा होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय नहीं हैं लेकिन हमारा विचार उन तक पहुंचेगा ऐसी मैं आशा करता हूं। जितना लेजिस्लेशन हम करते हैं इस प्रजातंत्र में उस में एक बात मैं देखता हूं कि नये कानूनों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों का नियंत्रण बढ़ता चला जाता है। सरकारी कर्मचारियों के हाथ में अधिक अधिकार हर एक बिल के द्वारा आते चले जाते हैं यह प्रजातन्त्र का एक अवश्यम्भावी अंग है जिसको टाला नहीं जा सकता, यह दूसरे देशों में भी होता है। इसके दो ही इलाज हैं एक विकेन्द्रीकरण और दूसरा अच्छा संचालन। प्रजातंत्र में विकेन्द्रीकरण जितना होगा उतना ही लाभ होगा और सही मानों में जनता के अधिकार बढ़ेंगे और सत्ता उन के हाथ में जायगी वह हम कर भी रहे हैं। अब दिक्कत यह हो सकती है कि यह पहले के कानून हैं उन्हीं में संशोधन लाने हैं, एक ही दल की सरकार होने से मौलिक नीतियों में परिवर्तन नहीं हो सकता है तो कुछ उसके संचालन में हो सकता है। तो मैं यह भी कहूंगा कि इस बात को देखें कि इस इस्तेमाल को अच्छी तरह से किया जाय। यही नहीं दूसरी जगहों में भी यह समस्या है। अभी मैं पढ़ रहा था, इंगलैन्ड के बारे में, लिखा है :—

"A British Committee on this subject remarked, some ten years ago, that the life of every citizen is being directly and acutely affected by all grades of the civil service hierarchy, and this extension of the state's functions increases the need for maintaining the impartiality of the services, and it is essential that public confidence in the impartiality of the public service should be maintained even at a sacrifice".

अगर उनमें इम्पारशियेलिटी और इंटेग्रिटी नहीं आयेगी तो प्रजातंत्र अच्छी तरह से नहीं चलेगा। तो इस सम्बन्ध में मैंने यह आवश्यक समझा कि सरकार के समक्ष यह चीज रख दूं।

अधिष्ठाता महोदय, अभिभाषण में एक जिक्र उद्योग का है। मेरा समय समाप्त हो रहा है। उसमें मुझे एक ही बात कहनी है। जहां तक औद्योगीकरण का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट है कि उसके महत्व से इंकार नहीं किया जा सकता। मैं उन विचारों पर विश्वास करता हूं जो काटेज–इंडस्ट्रीज पर अवलम्बित हैं। मैं यह भी मानता हूं कि हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबसे बड़ी कमी जो रह गई वह यह रह गई कि हम एक बात को पूरा नहीं कर सके और वह यह कि जो रोजगार के सम्बन्ध में आंकड़े नियत किये थे उनको पूरा नहीं कर सके। उसके लिये छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। हमारे प्रदेश की जनसंख्या, जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा था, ७४ प्रतिशत किसान है। डेवलपमेन्ट के लिये यह

बिलकुल जरूरी है कि उस ७४ प्रतिशत को कम किया जाय । ऐसे उद्योग लाये जायं जिनसे ग्रामीण आबादी उद्योगों में लगे। गांव में ऐसे उद्योग हों जिनमें हमारे किसान दूसरे मुल्कों की तरह एक दो घंटा समय देकर कुछ उपार्जन कर सकें ।

(इस समय २ बजकर ५० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये ।)

एक जिक्र खंडों के वर्गीकरण का है । अनुभव के आधार पर हम इस चीज पर पहुंचे कि कार्य की प्रगति के अनुसार खन्डों का वर्गीकरण करें । मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं आपके द्वारा सरकार के समक्ष और ला दूं जिसपर कि आगे ध्यान रखा जायगा, ऐसी मेरी आशा है । यहां कल जो कुछ आश्वासन समिति के सम्बन्ध में कहा गया उससे हमें प्रोत्साहन मिला । अभी तक हमने देखा कि हमारी समितियों की रिपोर्ट पर कोई अधिक ध्यान नहीं दिया जाता । सदन को अच्छी तरह से अवगत नहीं कराया जाता कि उस पर क्या हुआ । एस्टीमेट कमेटी, इकानामी कमेटी और अन्य कमेटियों की रिपोर्ट पर सन्तोषजनक कार्यवाही नहीं हुई । मैं नई सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर ध्यान दिया जाय । एक जिक्र माननीय नवल किशोराजी ने किया आर्डर आफ प्रिसीडेंस का । यह प्रश्न हमारे सामने लगभग ८–१० वर्ष से चल रहा है । हमसे कहा भी गया कि हो जायगा मगर टाला गया । मैंने इसलिये दोबारा दोहराया कि उसपर थोड़ा जोर दिया जाय । मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि इस पर सोचे । कहीं की नजीर अपने सामने रखे, लेकिन यह मसला तय होना चाहिये ।

एक मिनट और लूंगा श्रीमन, अभी सदाचार का जिक्र किया गया । करेक्टर बिलकुल जरूरी चीज है । उससे सम्बन्ध रखता है भ्रष्टाचार । कल माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि क्या भ्रष्टाचार काफूर हो गया । मैं सोचता रहा कि इतने सुलझे हुये व्यक्ति ने, जिसको हम सब मानते हैं, कैसे यह कह दिया कि क्या भ्रष्टाचार काफूर हो गया ? मैं तो समझता नहीं कि समाज में कभी ऐसी परिस्थिति आयेगी । राजाराम के जमाने में भी नहीं काफूर हुआ । तो क्या कोई जादू की लकड़ी है कि आठ दिन में काफूर हो जायगा ? काफूर हो जाने का मतलब जहां तक मैं समझता हूं वह यह है कि भ्रष्टाचार बिलकुल मिट जाय और शीघ्र मिटे ऐसा नहीं हो सकता, यह तो हो सकता है कि अच्छे से अच्छे समाज में जो आज भ्रष्टाचार है, कल को हमारा स्तर ऊंचा उठ जाने से यह भ्रष्टाचार न रहे और दूसरे प्रकार का भ्रष्टाचार करने लगें । लेकिन भ्रष्टाचार बिलकुल समाप्त नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार समाज में जरूर रहेगा । फिर यह सोचें कि सरकार के बदलते ही भ्रष्टाचार काफूर हो गया यह मेरी समझ में नहीं आया ।

इन शब्दों के साथ मैं महामान्य राज्यपाल को उनके अभिभाषण के लिये धन्यवाद देता हूं ।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के उपरान्त जो आशायें उसके पूर्व थीं वे सब निराशाओं में परिवर्तित हुईं । और मैं एक कठिन परिस्थिति में पड़ गया हूं जब कि हमारे माननीय दोस्त अभी जो भाषण दे रहे थे उन्होंने कुछ शिकायत विरोधी दल के नेता की की कि आर्डिनेन्सेज का उन्होंने क्यों जिक्र कर दिया । मैं तो कहता हूं कि थोड़े दिनों में ७ आर्डिनेन्स जारी हुये हैं उसके बाद किसी सरकार के लिये यह कहना कि यह आवश्यक था और हम विवश थे कि आर्डिनेन्स लायें, यह कभी उनको उस जिम्मेदारी से दूर नहीं खसका सकता है । मैं तो कहता हूं कि नेता विरोधी दल बधाई के पात्र हैं क्योंकि जिस प्रकार से कल उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया था वह मैंने काफी अर्से से नहीं देखा था । यह हो सकता है कि मेरा मापदंड दूसरा हो, जिसके लिये माननीय यशपालसिंह जी कहते हैं कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

पान खाने वाला और सिगरेट पीने वाला चरित्र के बारे में कुछ नहीं कह सकता, तो मैं उनकी तरह दुग्ध पान नहीं करता हूं। आश्चर्य की बात है, मैं उन सरकार के पुजारियों से कुछ नहीं कहना चाहता जो आर्डिनेन्सेज में आमदनी और खर्च देख रहे हैं। बल्कि मेरे माननीय दोस्त श्री गोविन्द सहाय जो कि केवल उसूल की ही बात किया करते हैं, उसके नीचे किसी स्तर पर आना उनके लिये संभव नहीं है, वह जुडिशियरी को इस प्रदेश और देश में इस तरह से कर्ब कर देना चाहते हैं जिससे कि वह भी शासन के अधीन हो। जहां पर ऐसे सदस्य सोच सकते हों जो जुडिशियरी हमारे लिये गौरव की आज चीज है, भारतीय संविधान में हमने सेपरेशन आफ जुडिशियरी अपना मुख्य लक्ष्य रखा है, तो आज सरकार के पक्ष वाले यह कहें कि जुडिशियरी को इतना आगे नहीं बढ़ने देना चाहिये नहीं तो कहीं उससे भय पैदा न हो जाय। यह दुखद परिस्थिति है और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर विचार करे। जिस दिन जुडिशियरी निर्बल हो गई उस दिन भारतवर्ष की वही दशा होगी जो पाकिस्तान की हुई है या अन्य मुल्कों की हुई है। मेरी मजबूरी है कि गोविन्द सहाय जी यहां मौजूद नहीं हैं जिनसे मैं कुछ कह सकूं।

श्रीमन्, यह कहा जाता है कि मंत्रियों के वेतन में कुछ कमी करके इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार करने की चेष्टा है लिहाजा उनके वेतन में कुछ न्यूनता हुई। लेकिन वह भूल जाते हैं कि भारत आज उस समय का नहीं है जब कि लोग साधारण नागरिक को धोखा दे सकें। १०० रुपये या १२० रुपये की तनख्वाह में कमी से सरकार पर कोई असर नहीं होता है। माननीय सदस्य अगर यह चाहें कि इसके लिये मैं बधाई दूं तो मैं बधाई देने के लिये तैयार हूं। कमी हुई, लेकिन इसका आर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं है। बजट सेशन आयेगा और उस समय जब यह ज्ञात होगा कि माननीय मंत्रियों पर कितना व्यय हो रहा है तब मैं सदन के सामने अपना दृष्टिकोण रखूंगा। कमी की जा सकती है जहां पर फिजूलखर्ची हो अगर उसको रोका जाय, मंत्रियों की तनख्वाह से कमी नहीं होती। मंत्री लोग मोटर पर घूमें, बहुत से लोगों को इससे शिकायत हो सकती है, लेकिन माननीय राजनारयण जी को शिकायत का मौका कम होना चाहिये। वक्त बदल चुका है। बाहर निकलने के बाद मैं समझता हूं कि उनमें भी कुछ हृदय परिवर्तन होना चाहिये। मैं जेल यात्रा करने का आदी नहीं, न रहा हूं और न इन चीजों पर मैं सोचता हूं। लेकिन यह जरूर कहूंगा कि वे लोग इसको न भूलें कि अगर वास्तव में उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है तो यह देखना होगा कि सरकार की किस जगह फिजूल-खर्ची है उसे वहां रोका जाय। मगर माननीय गोविन्दसहाय जी कहते हैं कि सरकार का इसमें कुछ हाथ अधिक नहीं है, बल्कि समाज की त्रुटि है, मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। जिन लोगों का तीर्थ राज्य पीकिंग तथा मास्को है उनके यहां भी माननीय खुश्चेव ने यह स्वीकार किया है कि उनके यहां कृषि में भ्रष्टाचार था। मैं माल मंत्री जी से कुछ अर्ज करना चाहता था लेकिन वे चले जा रहे हैं।

माननीय गृह मंत्री विद्यमान हैं। उनका मेरा साथ पुराना रह चुका है। उनसे मैं यह जरूर कहूंगा कि २८ करोड़ सर्फ करने से और उत्तराखंड बनाने से प्रदेश की सुरक्षा के जो मानी हैं वे पूरे नहीं होते। उनकी तरफ भी उनको नजर रखना चाहिये जो हिन्दुस्तान को हमारी तरह नहीं देखते, बल्कि बहुत दूर की बातें वे सोचते रहते हैं और बहुत दूर से उनकी शिक्षा-दीक्षा तथा पथ-प्रदर्शन हुआ करता है। कोई भी राजनीतिक दल हो अगर वह भारतवर्ष को अपना देश नहीं समझ सकता तो उसको हक नहीं है कि वह इस देश में सम्मानित हो कर रहे। उसकी जगह दूसरी होनी चाहिये।

श्रीमन्, मुझे एक बात कहनी है। स्वायत्त शासन मंत्री विद्यमान नहीं हैं। यह इतिहास आप भी जानते हैं कि अन्तरिम जिला परिषद् कैसे बनीं। जिला परिषद् बनने वाली थी, अब नहीं बन रही है। केवल एक इरादा है बनाने का जो वह चाहते हैं सन् ६२ के पहले तय हो जाय। मैं यह कहता हूं कि जिन आर्डिनेन्सों पर हमारे दोस्तों को बड़ा गर्व है उस संबंध में मैं इतना बतला

दूं कि जो प्रधानों के अन्दर से अन्तरिम जिला परिषद् में भेजने के लिये आदेश भेजे गये हैं वह उन्हीं आर्डिनेन्सेज के जरिये से सर्वथा अवैध हैं । एक लफज में कह देता हूं---

"Provided further that a person shall cease to be a member of the Antarim Zila Parishad on his ceasing to hold the office of position on account of which he has become a member of the District Planning Committee and consequently of the Parishad".

उनका मतलब यह है कि अगर कोई प्रधान उस वक्त प्रधान था और उस हैसियत से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में गया और उसके फलस्वरूप अन्तरिम जिला परिषद् में आया और अगर वह प्रधान नहीं है तब तो वह चीज लागू होती है लेकिन अगर कोई तब भी प्रधान था और इस चुनाव में भी प्रधान हुआ तो क्या होगा ? इस पर बहस में यथा समय करूंगा, इस समय तो केवल उदाहरणार्थ उद्धृत कर दिया ।

एक जो सब से बड़ी चीज इस अभिभाषण में कही गई है वह है तृतीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में कि इस योजना में काफी रुपया खर्च होने वाला है और हमको करों के लिये भी तैयार रहना चाहिये । बदन पर तो कुछ रह नहीं गया है, त्याग की चरम सीमा पर हम पहुंच चुके हैं । अब तो अगर कफन के लिये भी टैक्स लगाना हो या किसी के घर बच्चा पैदा होने वाला हो तो उस पर टैक्स लगाना बाकी रह गया है, ऐसी आर्थिक स्थिति को हम पहुंच गये हैं । मैं अपने इधर और उधर के बैठने वाले दोस्तों से कहना चाहता हूं कि जमींदारी उन्मूलन के बाद बहुत सब्ज बाग दिखलाये गये थे लेकिन आज वह किसान उससे एक डबल भी कम लगान नहीं दे रहा है, जो वह जमींदारी उन्मूलन से पूर्व देता था । जो सुविधायें किसान को प्रदान की जाती हैं दुर्भाग्य से कुछ ही दिनों बाद वे लुप्त हो जाया करती हैं । मैं इस सरकार और उस सरकार में कोई फर्क नहीं समझता, एक नागनाथ दूसरे सांपनाथ । कोई पालिसी में फर्क नहीं, कोई नये प्रोग्राम की बात नहीं । हां, उनका घरेलू झगड़ा है, जिसके बारे में मुझे कुछ कहना शोभा नहीं देता । लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि दो पंचवर्षीय योजनाओं के उपरान्त भी हमारी पर-कैपिटा इन्कम में वृद्धि हुई है या नहीं, कृषि के क्षेत्र में प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ा है या नहीं । अगर इतना रुपया खर्च करके भी हम वहीं के वहीं हैं तो इस तृतीय पंच वर्षीय योजना पर कहां तक भरोसा किया जा सकता है और कहां तक लोग उसमें सक्रिय हो सकते हैं, यह एक साधारण बुद्धि की बात है ।

बेरोजगारी जो कि हमारे सामने है वह घट नहीं रही है बल्कि बढ़ रही है । हर योजना के उपरान्त बेकारी बढ़ती जा रही है । जवाब सरकार की तरफ से यह है कि जनसंख्या में जब वृद्धि होती है तो जो बढ़ोत्तरी होती है वह उसी में खप जाती है । मनु के समय से जब से सृष्टि बनी है यह सभी जानते हैं कि नर और नारी इस देश और अन्य देशों में पैदा हुआ करते हैं । परिवार नियोजन की योजना को वह आज समझे हैं । पहले वह समझते थे कि भारतवर्ष में मौजूद नहीं थी । दस साल बाद वह सो कर उठें तो इसमें किसी का क्या दोष है । इसी तरह से अगर वह सोते रहेंगे तो हिन्दुस्तान साफ हो जायगा । परिवार नियोजन की योजना इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में रखी गई है । यही नहीं श्रीमन्, पुजारी जी इस बात को कहा करते हैं कि हमको देखना यह है कि सोशलिस्टिक इकानोमी और कैपीटेलिस्टिक इकानोमी के सिलसिले में जो बहस की जाती है तो उसके स्थान से अलग होकर लोग उसके महत्व को ही भूल जाते हैं । आज क्या स्थिति है ? खाने के लिये रोटी नहीं है, पहनने के लिये वस्त्र नहीं है और रहने के लिये मकान नहीं है और हमें इस बात का भी पता नहीं है कि कब हम बाहर हैं और कब जेलखाने में होंगे । यह भी पता नहीं है कि कानून बनेगा तो विधेयक प्रस्तुत किया जायगा या आर्डीनेन्स के द्वारा कानून बना दिया जायगा । जब माननीय सदस्यों की यह भावना हो और मैं समझता हूं कि यह उन्नति का मापदंड हो सकता है । लेकिन आज तो यह सोचते हैं कि जुडीशियरी को खत्म किया न जाय, टैक्सेज बढ़ाये जांय और दिखाने के लिये तथा सुनाने के लिये मंत्रियों की तनख्वाहों में नाममात्र की कमी कर दी जाय । अगर यही सूरत रही तो यह प्रदेश कभी भी उन्नत नहीं हो सकता है और सरकार के प्रति जनता

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

की आस्था नहीं हो सकती है। आज एक खूबी जरूर हुई है कि १९६२ निकट है और इसका असर आज नहीं तो १९६२ में हल्ला-गुल्ला करने के बाद अवश्य पड़ेगा और उससे यह लोग लाभ उठा सकते हैं। यह बात जरूर उन्होंने दूर की सोची है इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। जो कुछ मुझे कहना था वह मैंने आपके सामने उपस्थित कर दिया।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल के संबोधन के संबंध में जो नवलकिशोर जी ने प्रस्ताव सदन के सामने रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में, भूतकाल में जो कार्य हुये हैं और भविष्य में जो होने हैं, उसकी एक रूपरेखा सदन में रखी है। प्रजातांत्रिक परिपाटी के अनुसार उनके संबोधन में इसके विश्लेषण होने की आवश्यकता थी, इसलिये उन्होंने उसका विश्लेषण किया है। विरोधी पक्ष की ओर से इस संबोधन के संबंध में बहुत सी आपत्तियां आई हैं। किसी संबोधन में यह संभव नहीं है कि विस्तारपूर्वक सब बातें कहीं जायं। थोड़ा सा निर्देशनमात्र संबोधन में हुआ करता है। इस संबोधन को ध्यान से देखा जाय तो जितना संकेत राज्यपाल जी ने अपने संबोधन में किया है उससे अधिक नहीं हो सकता था। राज्यपाल जी के इस संबोधन को अध्ययन करने के बाद यह बात स्पष्ट हो जाती है कि थोड़े शब्दों में उन्होंने बहुत-सी बातों का जिक्र कर दिया है। वह एक उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ थे, अच्छे कवियों में थे और उनकी गिनती हमारे देश के उच्च कोटि के विद्वानों में भी होती है। उन्होंने जिस विद्यालय में अध्ययन किया है उस विद्यालय की परम्परा कुछ उच्च कोटि की रही है जिसका वह प्रतिपादन अपने कार्यों से, बातों से और विचारों से किया करते हैं।

इस संबोधन के संबंध में विरोधी दल के नेता ने यह आपत्ति की विशेष रूप से कि कोई पालिसी का संकेत उन्होंने नहीं किया। मुझे आश्चर्य होता है कि जो सरकार यहां पर कार्य कर रही है, उसकी पालिसी एक मर्तबा नहीं, सैकड़ों मर्तबा इसी भवन में और इसके बाहर भी बतायी गई है। प्रत्येक सम्बोधन में राज्यपाल जी उस पालिसी को कहें, यह कोई मुनासिब बात नहीं। यह तो स्पष्ट है कि देश और प्रदेश में समाजवादी ढांचे की समाजवादी व्यवस्था लाना हमारी पालिसी है जो कि आज से कई वर्ष पहले से प्रतिपादित की गयी है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि विरोधी दलों ने राज्यपाल जी के संबोधन को इस सदन में बैठ कर सुनना भी उचित नहीं समझा। और उसी सम्बोधन के संबंध में यह कहें कि यह बात नहीं है, वह बात नहीं है, यह कहां तक उचित है? यदि वह आकर बैठे होते और उस सम्बोधन को सुने होते और तब अगर वह आ कर बातें कहते तो मुनासिब बात होती, लेकिन उसको सुने भी नहीं और उसके संबंध में उचित और अनुचित बातें भी यह कहें यह जरा समझने की बात होगी।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के लोग इस भवन में नहीं आये। ठीक है। उन्होंने जो उचित समझा, किया। लेकिन यह समझ में नहीं आया कि हमारे साथियों में से कुछ सज्जन नहीं आये यह क्या बात है? भाषण से उसका संबंध नहीं था। राज्यपाल महोदय किसी पक्ष विशेष के व्यक्ति नहीं हैं। पक्ष और विपक्ष से उनके भाषण का कोई संबंध नहीं होता है। वह यहां पर आकर पूरे भवन को संबोधित करते हैं। अगर कोई बात थी तो उनकी बात नहीं थी। यह दल के अन्दर की बात थी और अगर दल में उसके कुछ व्यक्तियों या कार्यों से असंतोष था तो अपने दल में बैठ कर उस संबंध में बात-चीत करते और उस पर निर्णय करते। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस सदन में वे हमारे साथी नहीं आये और स्पष्ट रूप से उसका ऐलान किया गया कि हम उसमें भाग नहीं लेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जिस रोज उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि माननीय गुप्त जी के विरोध में किसी को खड़ा नहीं करेंगे और जब हमने उनको अपने दल का नेता मान लिया तो यह बात नहीं होनी चाहिये। इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिये कि जब वह हमारे दल के नेता हैं और हमारे इस भवन के नेता हैं। उनके नेतृत्व में हमें कार्य करना है। व्यक्ति का कोई स्थान नहीं रहता है। आज व्यक्ति है, कल नहीं है। लेकिन हमारी संस्था है और

हमारा देश है जिसके लिये आज हम यहां आये हैं, वरना हमारा कोई स्थान नहीं है । ज्यादा यह भावना अपने हृदय में रखनी चाहिये । खैर, उसके ऊपर मुझे कुछ-कहना नहीं है ।

जिन अध्यादेशों का जिक्र माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में किया है वह आवश्यक थे । इस बात को मेरे और बहुत से साथियों ने कहा है और मुझे इस पर कुछ और ज्यादा नहीं कहना है । सिर्फ इतना ही मैं आज बताना चाहूंगा कि अभी थोड़े दिन हुए गांवों में पंचायतों का एलेक्शन हुआ । असेम्बली के भी चुनाव होते हैं । पार्लियामेंट के भी चुनाव होते हैं, लेकिन इस चुनाव में मैंने यह देखा कि जिस रोज वोटिंग होनी है उस दिन तक भी सूची में नाम बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक स्थान का मुझे यह पता लगा है । जहां मैं रहता हूं वहां से एक मील के अन्दर की ही बात है, जो लोग गांवों में घूमा करते हैं, जिनको कंजड़ कहते हैं, वह एक गांव में एक जमींदार साहब के बाग में टिके हुये थे और करीब पचास साठ या सत्तर व्यक्ति थे । एलेक्शन का वक्त था । उस बाग के मालिक चुनाव में खड़े हुए थे । उनका गड़बड़ हो रहा था, वह हारने वाले थे, उन्होंने क्या किया कि उन ७० व्यक्तियों को पुरुषों और स्त्रियों को ले कर के दरख्वास्त दिला दी और मंत्री ने उन कंजड़ों का नाम उस गांव के निवासियों के रूप में सूची में भर दिया । एलेक्शन हुआ और वह साहब जीत गए । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां-जहां ऐसी कार्यवाहियां हुई हैं उन कार्यवाहियों को देखने के लिये जरा सजग रहना चाहिये उन अधिकारियों को जो कि जिला स्तर के हैं । ऐसी त्रुटियां, ऐसी अन्याय की बातें हमारे इस प्रदेश में बहुत सी जगह हुई हैं और उनका निराकरण करना बहुत आवश्यक है ।

अभी थोड़े दिन पहले हमारे माननीय गृह मंत्री ने शुरू में एक बयान दिया था । उस बयान को पढ़ के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने यह बताया कि पुलिस विभाग में प्रदेश में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें अगर गड़बड़ियां हैं तो उन गड़बड़ियों की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर स्वीकार की और जिले में अगर कोई गड़बड़ी होती है, उसका सुधार नहीं होता है तो उस जिले का सबसे बड़ा अधिकारी उसके लिये जिम्मेदार है । यह बयान अखबारों में छपा था, शायद माननीय मंत्री महोदय भी इसको स्वीकार करेंगे । मैंने इसको पढ़ा था । मैं समझता हूं कि हमारे इस प्रदेश में पुलिस विभाग में बहुत कार्य करने की आवश्यकता है । मैं आपके द्वारा यह भी बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय से कि मीठी बातें करके उस विभाग में आप परिवर्तन नहीं ला सकते । जरा उसमें दृढ़ता होनी चाहिये और कुछ थोड़ी सी मजबूती के साथ उस विभाग को देखने की आवश्यकता है, तब उसमें कुछ परिवर्तन आप ला सकेंगे, वरना बड़ी मुश्किल हो जायगी । वह विभाग ऐसा है कि जिसके द्वारा हम जानता के संरक्षण की उम्मीद करते हैं । लेकिन उसके साथ-साथ हम उस विभाग को ऐसे अधिकार भी दिये हुए हैं कि जिससे उस विभाग के कर्मचारी हमारी जनता को त्रस्त और परेशान कर सकते हैं । इसलिये बहुत गम्भीरता से अध्ययन करने की तथा उसे समझने की आवश्यकता है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय नवलकिशोर जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, जो तरमीम श्री ऊदल ने पेश की है मैं उसकी ताईद करता हूं । यह भाग्य की विडम्बना है अथवा कांग्रेस हाई कमांड का कोप कि जो व्यक्ति जनता द्वारा दो बार परास्त हो चुका है वह आज हमारे प्रदेश का मुख्य मंत्री है । उनके मुकाबले में एक बार जिसका आदर जनता ने किया वह आज विरोधी दल के नेता हैं । आज एक गम्भीर संकट के बीच से हमारा प्रदेश गुजर रहा है । मेरा अपना खयाल है कि आजादी के बाद हमारे प्रदेश में इस प्रकार का सियासी संकट नहीं आया था । यदि आप पिछली घटनाओं का सिंहावलोकन करें तो उस गम्भीर संकट का कोई चित्र राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में दिखाई नहीं पड़ता । इस संकट से उभरने का कोई रास्ता, जिसके लिये कम से कम इस समय सब से अधिक आशा थी, दिखाई नहीं देता है । अगर वस्तुस्थिति को देखा जाय तो उस सम्बोधन के अन्दर आर्डिनेन्स की कहानी गाई गई है । लेकिन भाषण में जो चीज होनी चाहिये उसका हमको उसमें कोई संकेत नहीं मिलता । जिस संकट का जिक्र

[श्री झारखंडे राय]

में आपके सामने कर रहा था उसका सिंहावलोकन यदि आप करें तो आप देखेंगे कि किसी प्रकार से भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने अपने मुख्य मंत्री पद पर रहते हुये एक वक्तव्य दिया और उस वक्तव्य के द्वारा अपनी पार्टी के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की।

शासक पार्टी का झगड़ा पिछले कुछ अरसे से एक अन्तहीन कहानी बन चुका है। उस वक्त के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने में लम्बे अरसे तक एक हिचकिचाहट रही। कांग्रेस विधान मंडल पार्टी को स्वच्छन्द रूप से, स्वतन्त्ररूप से अपने नेता का चुनाव करने की कोई आजादी नहीं दी गई। ऊपर से किसी महान् व्यक्ति की इच्छा लाद दी गई। नये मुख्य मंत्री की नामजदगी विधान परिषद् से की गई। वहां भी उनका चुनाव नहीं किया गया बल्कि नामजदगी से उनको लाया गया, जैसे नया चुनाव करने का साहस ही न हो। पुराने मुख्य मंत्री का राजनीति से सन्यास की बात, त्याग पत्र की बात, पुनः शिक्षक के रूप में प्रवेश की बात अगर फिर यहीं पर डटे रहना और अखाड़ेबाजी करना, विधान मंडल का सत्र करीब करीब ४ महीने तक मुअत्तिल रहा। एक बार बुलाया गया तो उसको निरस्त कर दिया गया।

इन सब के मूल में सबसे बड़ी बात है कांग्रेस विधान मंडल पार्टी का एक पार्टी के रूप में न रह जाना। यहां की विधान मंडल कांग्रेस पार्टी दो विभागों में बट चुकी है। इसके दो टुकड़े हो चुके हैं। उनमें से किसी को भी सदन का बहुमत प्राप्त नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, कौन ऐसी विकट परिस्थिति पैदा हो गई जिससे सदन की बैठक बुलाकर निरस्त कर दी गई, उसकी बैठक चार महीने तक नहीं की गई? केवल अन्दरूनी पार्टी-संकट? अगर इतने ही संकट में हाथ पैर ढीले हो गये, बधिया बैठ गई और पैर के नीचे से जमीन खिसक गई तो सचमुच यदि बड़ा संकट पैदा हो जाय, बाहर या भीतर तो क्या इनके हाथ में यह प्रदेश सुरक्षित रह सकेगा? जब शासक पार्टी को सूट करे तो विधान मंडल की बैठक बुलायी जाय और जब सूट न करे तो न बुलाई जाय और उसको बन्द कर दिया जाय यह सारी बातें एक गम्भीर संकट की ओर संकेत करती हैं और वह संकट है प्रजातंत्र का। डेमोक्रेसी के लिये खतरा है। इस खतरे की ओर मैं आज पूरे प्रदेश को, इसकी महान् जनता को, इस सदन के माननीय सदस्यों को और जो हुकुमत में बैठे हुये हैं उनको सावधान करना चाहता हूं कि अभी समय है चेतने का। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों से जो संकट आया हुआ है उस संकट की हालत यह है कि अधिकारियों और कर्मचारियों में भी दो दल हो गये हैं—एक समर्थक है पुरानों का और एक समर्थक है नयों का। ऊपर से नीचे तक आप ढूंढ़ जाइये, दो दल दिखायी पड़ेंगे। एक बात और है। जैसा कि आप जानते हैं, दुर्भाग्य है कि विरोधी दल भी ५ टुकड़ों में बंटा हुआ है। उसका कोई एक टुकड़ा इस योग्य नहीं, किसी में इतनी शक्ति नहीं कि सरकार का स्थान अकेले ले सके। एक वैकुअम बनता जा रहा है हमारे प्रदेश में। कोई विकल्प नहीं दीखता। जनता अबोध खड़ी हो कर, किंकर्तव्यविमूढ़ हो कर सोच रही है कि नतीजा क्या होगा। इसका फल है कि प्रशासन बिलकुल ढीला हो चुका है, नौकरशाही का बोलबाला है ऊपर से नीचे तक और जिले-जिले में हर जिलाधीश छोटे छोटे हिटलर के रूप में काम चला रहा है। भ्रष्टाचार की गति, जिसकी बड़ी शिकायत इन्हीं लोगों ने की थी जो कि आज गद्दियों पर बैठे हैं, और गतिमान हो गया है और जनता के कष्टों में बढ़ती होती जा रही है?

ऐसे ही समय में कोई अयूब, कोई करअप्पा, कोई थिमैय्या का रास्ता प्रशस्त होता है। इस संकट की ओर ही मैं आपका, अपने सदन का और इसके बाहर महान् जनता है, ध्यान खींचना चाहता हूं। मेरी समझ में इस सरकार को रहने का कोई नैतिक आधार नहीं है। जिस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बहिष्कार की चर्चा यहां की गयी और काफी लांछन लगाया गया उन लोगों पर जिन्होंने बहिष्कार किया, तो मैं कहना चाहता हूं कि उस बहिष्कार करने वालों में दोनों तरफ के लोग थे। एक विशेषता थी जो संभवतः इस सदन के इतिहास में अब तक न हुई हो। मैं समझता हूं कि यह विरोध का उग्र रूप था और इसका अपनाया जाना

निहायत जरूरी था। जिस प्रकार पिछले दौर में घटनायें हुई हैं, जिस प्रकार उनमें राज्यपाल महोदय ने हस्तक्षेप किया है और जिस प्रकार मौजूदा शासन हमारे ऊपर लादा गया है, उसका विरोध इस से कम उग्र हो ही नहीं सकता। मैं समझता हूं कि उस दिन की अनुपस्थिति ने यह साफ कर दिया कि इस सरकार को इस सदन का बहुमत हासिल नहीं है इसे इस्तीफा देना चाहिये। यह नैतिकता का तकाजा है। वरना केवल उस हाई कमान्ड के जोर पर, उसके बल पर अगर ये हुकूमत चलाते रहे तो यह कब तक चलेगी, कहा नहीं जा सकता। वह तो चल नहीं सकी, पिछली सरकार भी जब ९८ ने अपना बयान दिया था। उस समय हमारी एक आवाज उठी थी कि आपको रहने का अधिकार नहीं है, और आज भी फिर वह आवाज उठी है, उठ रही है कि इनको भी रहने का अधिकार नहीं है। मैं चाहूंगा कि अगर ये स्वयं इस्तीफा न दें तो इनको राज्यपाल महोदय हटा दें, इसी में जनता का कल्याण है। मैं चाहूंगा कि इस संकट का मुकाबला हम करें, इस समय की चुनौती को हम स्वीकार करें और इसका एक ही उपाय है, इसे स्वीकार करने का कि प्रदेश की जितनी प्रगतिशील शक्तियां हैं, चाहे वह किसी दल में हों, इधर हों या उधर हों, उनका एक महान क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा बने और वही इस चुनौती को स्वीकार कर सकता है, वही इस संकट से हमें उबार सकता है जिसमें कि हम फंस गये हैं और जो अभी तक अभूतपूर्व सिद्ध हुआ है।

किफायतशआरी की बात इस सरकार के आने के बाद बराबर आती रही है और उसका जिक्र माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण में भी है। मैं तो आशा करता था कि माननीय चरणसिंह जी इस समय मंत्रि पद पर हैं और पहले भी काफी समय तक मंत्रि पद पर रहे हैं और वे वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, उनका यह कहना था कि इस प्रदेश के पूरे खर्चे में १५-२० करोड़ रुपये की बचत की जा सकती है, यही नहीं इधर शासक दल के प्रमुख व्यक्तियों ने भी यह कहा था कि १५-२० करोड़ रुपये की बचत होगी, अखबारों में भी उसकी चर्चा हुई, किन्तु इस ११ पृष्ठ के राज्यपाल महोदय के भाषण में एक शब्द ऐसा नहीं था जिसमें इस तरह की बचत की बातों की ओर कोई इशारा किया गया हो। इकोनामी के जो उदाहरण पेश किये गये हैं, जो अभी तक कमी की गई है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। अगर वे लोग अपने खर्चों में किसी भी प्रकार की कमी करते हैं तो यह अच्छी बात है और उसका हम आदर करते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उस १५-१६ करोड़ की बचत की जो बातें की जा रही थीं, वह बचत कहां गयी। उस विषय में एक शब्द भी नहीं कहा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, भूमि और कृषि सुधार के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। इस ओर भी आप देखें तो आपको मालूम होगा कि जिस प्रकार की स्कीम चल रही है उसको देखते हुए यह पता चलता है कि इस सम्बन्ध में पूरी स्कीम डिमिनिश कर रही है और अभी उसका पूरा अंत नहीं हुआ। भूमिसुधार जो प्रारम्भिक चीज है, जिसके ऊपर हमारा सारा विकास निर्भर है, आज १५ वर्ष की हुकूमत के बाद भी भूमिसुधार की वह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। चकबंदी अभी समाप्त नहीं हुई है और हद-बन्दी शुरू हो गयी है। आज प्रदेश के ५४ जिलों में अस्थिरता का वातावरण बना हुआ है। जिस व्यक्ति के पास थोड़ी सी जमीन भी है, वह भी अपनी जमीन को सुरक्षित नहीं समझ रहा है। उसको आज यह विश्वास नहीं रह गया है कि कल को वह जमीन उसके पास रहेगी भी या नहीं।

यह जो हद-बन्दी का कानून बना है, मैं चाहता हूं, माननीय चरणसिंह जी जो इसके एक्सपर्ट हैं, हम लोगों को बतायें कि उनके इस कानून से कितनी भूमि मिल सकेगी और कितनी बांटी जा सकेगी तथा उससे कितना लाभ हो सकेगा। इससे भी मेरा यह मत है कि इतनी ऊंची हद-बन्दी पर कोई कृषि उत्पादन बढ़ने की सम्भावना नहीं है।

सामुदायिक विकास योजनायें भी, जिनका कार्य मुख्यतः कृषि उत्पादन को बढ़ाना था, कृषि उत्पादन बढ़ाने में असफल ही रही हैं। हम जानना चाहते थे कि केवल इन सामुदायिक विकास योजनाओं के फलस्वरूप, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में नयी प्रक्रिया को अपनाने के फलस्व-

[श्री झारखंडे राय]

रूप, जो भी अब तक नये-नये तरीके अपनाये गये हैं, उससे कितना उत्पादन बढ़ा है ? फसल अच्छी हो गयी तो कह दिया गया कि यह हमारी नीति का परिणाम है, और फसल खराब हो गयी तो कुदरत का कसूर हो गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि एक साल में या १० साल में पूरे सूबे में, नये तरीकों के अपनाने के बाद, कितनी प्रगति हुई, कितना विकास हुआ ? आज कोई तथ्य हमारे सामने ऐसे नहीं हैं जिनसे हम यह जान सकें कि इन योजनाओं के फलस्वरूप हमारी इस क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है। हमको क्या लाभ हुआ है ?

उपाध्यक्ष महोदय, जब राज्यपाल महोदय का भाषण होता है, या बजट स्पीच होती है तो सारे प्रदेश की जनता को एक आशा लगी रहती है कि हमारे लिये इस वर्ष अवश्य कुछ सहूलियतें मिलने वाली हैं, वे आशा लगाये रहते हैं कि पता नहीं उनके लिये कौन सी राहत की चीजें आयेंगी। किन्तु जब इस प्रकार के भाषण में उनको कोई चीज नजर नहीं आती तो निराशा का वातावरण छा जाता है। एक विवशता महसूस होती है, अन्दर ही अन्दर कुढ़न होती है। जनता की यह मनः दशा खतरनाक होती है। हमारी प्रदेश की जनता को यह विश्वास था, मुझे खुद विश्वास था कि जब इस आदरणीय सदन ने दो साल पहले माननीय भीखालाल के प्रस्ताव को स्वीकार किया कि गन्ने का मूल्य पौने दो रुपया मन बढ़ा दिया जाय, यद्यपि चीनी की महंगाई को देखते हुए अब २ रुपया होना चाहिये—लेकिन पौने दो रुपया जो इस सदन ने स्वीकार किया था वह भी सरकार को मनवाने के लिये पूरा जोर देना ही चाहिये था। इस सरकार को भी चाहिये, क्योंकि आजकल लखनऊ और दिल्ली में दौड़ ज्यादा हो रही है। अधिक चांस मिल रहा है, कांग्रेस हाई कमांड से और दूसरे बड़े नेताओं से मिलने का। यह एक अच्छा मौका था। अगर इस समय वह बात कही जाती तो इस सदन का आदर भी होता और २० लाख गन्ने के काश्तकारों का भला होता, उनसे संबंधित १ करोड़ जनता का भला होता। लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं, कोई जिक्र नहीं।

पंचायत चुनाव में जो गुप्त मतदान द्वारा प्रधानों का चुनाव कराया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं। यह बात बहुत देर में मानी गयी। मैं पिछले ९ साल से यह बराबर आवाज उठाता रहा कि गुप्त मतदान द्वारा चुनाव कराया जाय। अन्त में वह राहे रास्त पर आये, लेकिन अभी आधा ही हुआ है। अभी केवल प्रधानों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है। यहां सदन में भी और बाहर भी, हर एक आदमी जिसका संबंध गांवों से है उनको अनुभव होगा कि केवल प्रधानों के चुनाव की गुप्त मतदान प्रणाली बन जाने पर गांव में तनातनी बहुत घटी। मैं मांग करूंगा, मैं चाहूंगा कि सरकार आने वाला, कम से कम चार वर्ष बाद जो चुनाव होगा उसमें मेम्बरों के लिये भी यह प्रणाली लागू करेगी ताकि गांव में बटवारे की कटुता को पैदा करने का जो वातावरण है वह समाप्त हो।

जिला परिषदों के चुनाव के बारे में भी मुझे विश्वास था कि इसमें जरूर कोई न कोई सुन्दर घोषणा होगी और अप्रैल के अन्त तक चुनाव कराया जायगा, क्योंकि यह सरकार उसी पार्टी की है और इसलिये वचन-बद्ध है, विरोधी पक्ष के नेताओं की मीटिंग में, वचन-बद्ध है पूरे आदरणीय सदन के सामने कि वह चुनाव करायेगी, लेकिन अब ऐसा लगता है—मैं तो चाहूंगा, मुख्य मंत्री यहां पर नहीं है, लेकिन चरणसिंह जी हैं—वह सब नोट कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इसकी स्पष्ट घोषणा होनी चाहिये जवाब देते समय कि जिला परिषद् का चुनाव कराया जायगा और जरूर कराया जायगा और जो वचन सरकार ने विरोधी पक्ष और सदन को दिया है वह पूरा किया जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बीच में हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ी बात रोडवेज कर्मचारियों के सम्बन्ध में हुई। पुराने परिवहन मंत्री, माननीय डाक्टर सीताराम जी, ने बराबर इस बात पर गर्व किया है कि हमारा विभाग और उससे संबंधित अधिकारी इस बात पर हमेशा गर्व करते हैं कि उनका विभाग सब से ज्यादा प्राफिट-गिविंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का और सचमुच

जनता को भी काफी संतोष हो चला था। भ्रष्टाचार नाम की जो चीज है, जो एक ब्रह्म के समान व्याप्त है पूरे समाज में, कर्मचारियों में, ऊपर से नीचे तक जो बढ़ता जा रहा है उसके लिये सब मानते थे कि काफ़ी हद तक अन्य विभागों के मुकाबले में इस विभाग में कम हुआ है। लेकिन उस विभाग के शान्त समुद्र में भी एक आदेश निकाल कर आग लगा दी गयी। हड़तालें हुईं, अनशन हुआ, विरोध प्रदर्शन किया गया, शिष्ट मंडल मिला उस समय के अधिकारियों और मंत्रियों से। जैसे कि शान्त समुद्र में आग लगा दी गयी। मैं चाहूंगा कि सरकार मुस्तैदी के साथ उस की जांच करे और उसमें जो कर्मचारियों के अधिकारों तथा सुविधाओं की कमी की गयी है उसे समाप्त करें। उनके जो पुराने अधिकार थे वह उन्हें फिर दे, ताकि वह विभाग जो जनता द्वारा प्रशंसित हो रहा था उसमें यह उपेक्षा न पैदा हो जो पैदा हो गयी है। उन कर्मचारियों में वह जोश, वह उत्साह वह लगन नहीं रही है उस आदेश के बाद। इसलिये मैं कहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे।

शिक्षा नीति के विषय में हमें आशा थी कि राज्यपाल के भाषण में कोई विशेष बात कही जायगी। अभी मिर्जापुर में सन्त विनोबा जी ने कहा कि आज की शिक्षा प्रणाली बिल्कुल निकम्मी है। सन्त विनोबा जी का यह सरकार बहुत आदर करती है और हम सब उनसे परिचित हैं। उन्होंने भी इस बात को कहा लेकिन शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन करने का संकेत हमें नहीं मिला। इस नयी सरकार के आने के बाद हम नयी बातों की आशा करते थे और यह आशा करते थे कि नयी नीतियों का संकेत इस राज्यपाल के भाषण में मिलेगा लेकिन वह नहीं मिला। जिस बात की चर्चा पहले हो चुकी है और जिसका वायदा पहले किया जा चुका है कि प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य की जायगी और आठवीं तक की शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क होने वाली थी वह भी नहीं हो सकी। मैं चाहूंगा कि इन बातों की ओर हमारे आज के जो कर्णधार हैं, जब तक वे रहें तब तक तो कम से कम खयाल करें वरना केवल नीतिविहीन संघर्ष अगर चलता रहेगा एक पार्टी के दो गुटों में तो उससे प्रदेश का कोई लाभ नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आखिरी बात मैं पुलिस विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय चरण सिंह के इस मंत्रिपद के सम्हालने के बाद सचमुच जैसा कि उनके बारे में एक विचार लोगों को रहता है, इस विभाग में एक कम्पन पैदा हुआ है, यह मैं मानता हूं। लोगों का खयाल यह है कि जिस विभाग को वह लेते हैं उसके साथ वह जरा सख्ती के साथ व्यवहार करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जिस विभाग को उन्होंने लिया है उसका जितना गहरा सम्बन्ध जनता के जन जीवन सेहै उतना और किसी विभाग से नहीं है, उसमें जनता को कोई परिवर्तन देखने को मिले यह सभी की भावना है। आज तक जनता को उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल सका है। मैं इस सम्बन्ध में एक बात की ओर विशेष चर्चा करना चाहूंगा जिस पर मंत्री जी ध्यान दें। अभी बहराइच की एक घटना की सूचना मुझे मिली है जिसे कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहराइच में माननीय मुख्य मंत्री जी गये थे। उनके सामने करीब ५०० किसानों ने अपने दुख की कहानी एक परिपत्र के रूप में दी। किसान सभा के अध्यक्ष महोदय ने उसको पेश किया था। उसके दंडस्वरूप कि उन्होंने कैसे इतनी मील से आकर यह दुस्साहस किया, वहां के किसान सभा के मन्त्री श्री बाबूलाल पांडेय को २८–२९ की रात में एक डकैती में, गलत चार्ज पर पकड़ा गया और उनका सारा सामान लूटा गया और जो सामान फूंक सकते थे वह फूंक दिया गया। उनको बुरी तरह पीटा गया और उनको जेल में बन्द कर दिया गया। वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी श्री रामहरष विद्रोही और लखनऊ में पढ़ने वाले बी० ए० के छात्र श्री ओंकार नाथ त्रिपाठी को भी फंसाने की कोशिश हो रही है और सम्भव है कि वारन्ट भी निकल चुके हों। मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी इस घटना की जांच करें और पुलिस विभाग को सम्हालें। हम अपेक्षा करते हैं कि यह नयी सरकार जनता के जीवन में जरूर कुछ आशा दे पाये।

श्री नारायणदास पासी (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल महोदय के लिये जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज का यह गांधी युग है और गांधी युग में हमने ही नहीं बल्कि सारे देश ने इस बात का व्रत लिया है कि हम गांधी जी के अधूरे काम को पूरा करेंगे। और वह अधूरा

[श्री नारायणदास वासी]

काम हमारा संविधान है जिसमें हमने प्रतिज्ञा की है कि इस देश की गरीबी को दूर करके अपने भारतवर्ष को धनधान्य से समृद्धशाली बनायेंगे और इस देश से जातिपांति, ऊंच नीच तथा वर्ण भेद को हटा कर, वर्गों को हटाकर, असमानता को दूर करके, विषमता को दूर करके, साम्प्रदायिकता को दूर करके एक ऐसे समाज की रचना करेंगे जिसमें सब नर-नारी समान हों। यही हमारा व्रत है। और यही नहीं इसके आगे भी हैं---वसुधैव कुटुम्बकम्। जब हम अपने यहां भारत में ऐसा कर लेंगे तो सारे विश्व में जितने भी मनुष्य हैं उनमें सब एक परिवार की तरह से रहेंगे। आगे हमारा लक्ष्य होगा---आत्मवत् सर्वभूतेषु। अब इसमें सोचने की बात यह है कि केन्द्रीय सरकार हो या प्रदेशीय सरकार हो, यह कहा जा सकता है कि हम उस व्रत को पालन करने में शनैः शनैः आगे बढ़ रहे हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी वे सारी बातें मौजूद हैं जो हमें उस व्रत की ओर चलने में अग्रसर करती हैं।

श्रीमन्, जहां तक मैंने स्वयं देखा व समझा है, लोगों से सुना है ,उत्तर प्रदेश की मिट्टी सारे विश्व में अनोखी मिट्टी है। ऐसी मिट्टी कहीं नहीं मिलती। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे महामानव पैदा हुए हैं जिनके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं। उसी मिट्टी में हमारे वीर जवाहरलाल पैदा हुए हैं, उसी में पंडित पंत पैदा हुए हैं और आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश की बागडोर, उसकी पतवार पंडित पंत कितनी कठिनाइयों को झेलते हुए, बीमारी की अवस्था में संभाले हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। पंडित नेहरू पर हम ही नहीं बल्कि सारा विश्व गर्व करता है। वे अहिंसा और सत्य को लेकर शांति के दूत आज बने हुए हैं। दुनियां के सारे राज्यों के प्रधान आज उनकी इस कार्य के लिये प्रशंसा करते हैं।

श्रीमन्, हमारे विरोधी पक्षकी ओर से यह कहा गया कि हमारे राज्य के मुख्य मंत्री अपने बचनों का पालन नहीं करते हैं। लेकिन हमारे देश और प्रदेश की यह तो संस्कृति रही है हमने सदैव से ही सत्य और अहिंसा का पालन किया है। जैसा कि निम्न पद जन साधारण तक में प्रचलित है कि---

भानु उयै उदयाचल ते फिर पीछे को पैर धरे कबहूं ना।
सूर सती रण पै चढ़ि के फिर आस करें घर की कबहूं ना।
हारिल त्याग दई धरणी बिन काटे फले कदली कबहूं ना।
याही प्रतीति असीलन की जो मुख तै कहै बदले कबहूं ना।।

श्रीमन्, आपने देखा कि हमारे मुख्य मंत्री जी जो डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी थे उनके लिये राज्यपाल महोदय ने किस प्रकार भावनायें व्यक्त की हैं। उनके चरित्र के बारे में, उनके धैर्य के बारे में, उनके सत्य और त्याग के बारे में हम यही कह सकते हैं कि उन्होंने प्रदेश की निःस्वार्थ जन सेवा में बड़ा भारी त्याग और तपस्या की। उनके व्यक्तित्व ने आदरणीय सदन का जो सम्मान बढ़ाया है, कठिन परीक्षाओं में वे जैसे खरे उतरे हैं उसके ऊपर यही कहा जा सकता है कि---

अहो धैर्यम्होसत्यमहोत्यागम, जनहितम्,
त्वया बाबू संपूर्णानंद सर्व लोको त्तरम्कृतम्।

अब हमारे जो नये मुख्य मन्त्री माननीय चन्द्रभानु जीगुप्तमहोदय हैं वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सदन अच्छी तरह से जानता है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं जिन्होंने अपने सारे जीवन को, सारे सुखों को, भौतिक और पारिवारिक सुखों को त्याग दिया तथा अपने शरीर को जन सेवा के लिये अर्पित कर दिया है और जिन्होंने उन छोटे छोटे लोगों की, गरीबों की सेवा की है जो समाज में उपेक्षित थे, जो ग़रीब तबके से थे। क्या कोई कह सकता है कि जिस वक्त वे मंत्रि पद पर नहीं रहे उस वक्त उन्होंने कोई वकालत की? उन्होंने कोई रोजगार किया? नहीं किया। उन्होंने जनता की सेवा की और कर रहे हैं हमने एक मत से उन्हें नेता बनाया है और ऐसे मुख्य मंत्री को पाकर के हमें गर्व है।

कहा जाता है कि उन्होंने कौंसिल में नामजदगी हासिल की, ताज्जुब है उन्होंने इस बात को बार बार स्पष्ट कर दिया है कि यह नामजदगी एक मामूली कानूनी दिक्कत दूर करने मात्र की है। बल्कि सही तो यह है कि विरोधी दल के नेता ने जिस वक्त कि रानीखेत से चुनाव लड़ने की बात की जा रही थी, जब कि वे चुनाव लड़ने के लिये तैयार थे तो विरोधी दल के नेता ने ही एलेक्शन कमीशन से कह कर उसे रुकवा दिया कि आजकल वहां बर्फ पड़ रही है इसलिये अभी चुनाव न कराया जाय तब वे क्यो लड़ेंगे लड़ ही नहीं सकते। जब कि हमारे मुख्य मंत्री बर्फ और पहाड़ से भी टक्कर लेने के लिये तैयार थे। वे अजेय हैं ?

श्रीमन्, कहा जाता है कि जो पांच मंत्री बनाये गये हैं वे पांडव हैं। श्रीमन्, हमें इस बात का गर्व है कि पंडित पन्त के मंत्रिमंडल में तथा श्री सम्पूर्णानन्द जी के मंत्रिमंडल में ये पांचों वरिष्ट मंत्री रह चुके हैं और अनुभवी हैं और अगर वे पांचों पांडव हैं तो मैं कह सकता हूं कि वे एक से एक वीर और बहादुर हैं। कहा गया कि कोई दृढ़ क्षत्रिय नहीं है, तो हमारे इस मंत्रि परिषद् में तीन क्षत्रिय हैं और तीन प्रधान सूबा कांग्रेस के रह चुके हैं। वे सभी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। हमारी बहन सुचेता कृपलानी को कौन नहीं जानता जो बापू के साथ नोआखाली तथा देश विदेश में घूमीं और आज हमें उनकी सेवा मिलने जा रही है जिस का हम स्वागत करते हैं हमारे फैजाबाद में उनके भाई धीरेन भाई सेवापुरी में काम करते हैं जिनका प्रसिद्ध रणीवा आश्रम है और उसका एक ब्रांच हमारे शहर में भी है। हमारा जो मंत्रिमंडल बना है वह ऐसा नहीं है कि हम अपने लक्ष्य की पूर्ति में आगे न बढ़ सकें। जो कांग्रेस में फूट देखते हैं कि दो दल एक दूसरे के विरुद्ध पग उठा चुके वह कुछ नहीं है बीचकी एकता की जड़ में मजबूत संयमित है जो नेता, सरकार व संस्था में उसकी दृढ़ आस्था है।

मैं आप को गरीबों की बात कहूं कि जहां हमारे प्रदेश की आबादी पहले ६ करोड़ ३२ लाख के करीब थी वह आज बढ़ कर करीब ७ करोड़ ४२ लाख के है, और आंकड़े सही हैं। इस प्रकार १ करोड़ १० लाख की आबादी हमारे प्रदेश में १० साल के अन्दर बढ़ी है। श्रीमन्, हमारा देश कृषि प्रधान है और हमारे प्रदेश में करीब ४-५ करोड़ आदमी ऐसे हैं जो कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं और हमारी मांग अपनी सरकार से यह थी सौभाग्य से ठाकुर हुकुमसिंह, माल मंत्री भी अपनी जगह पर नयी सरकार में मौजूद हैं और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि हम भूमि हद-बन्दी कानून का सीलिंग कम करना चाहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि गरीबों के हित के लिये जो सीलिंग हो वह १६ एकड़ की होनी चाहिये। और गरीबों के लिये जो आप कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज बनाना चाहते हैं तो मैं चौधरी चरणसिंह जी से अनुरोध करूंगा कि जो बड़े-बड़े सरकारी फार्म्स हैं और जो सम्पन्न लोगों के फार्म्स हैं वहां पर पहले सहकारी खेती शुरू करें।

श्रीमन्, उत्तराखंड में नैपाल तराई की ओर की बात आप जानते हैं कि नैपाल के अन्दर राज्य का परिवर्तन हो चुका है और गणतंत्र का विनाश हो चुका है और इसके लिये वहां की गणतांत्रिक शक्तियां संघर्ष करने वाली हैं। मैं यह भी जानता हूं कि नैपाल की तराई जो लखीमपुर खीरी से पूर्णिया तक है, वहां की हालत क्या है। वहां इतनी गरीबी है कि वहां के लोग मजबूरन जहरीला मिट्टी का तेल सहित गंदा पानी पीते हैं जिससे घेघा बाई, हाइड्रोसिल, फाइलेरिया आदि तमाम बीमारियों से पीड़ित रहते हैं और वहां कोई भी जाना नहीं चाहता है।

आप देख रहे हैं कि हमारी सीमा पर एक महान् राष्ट्र है जो भूटान, बर्मा, सिक्किम, नैपाल, पाकिस्तान आदि देशों से स्वार्थी कूटनीतिक सम्बन्ध रख कर हमारे देश को परेशान करना चाहता है। आज हमारी सीमा अरक्षित है, न कोई वहां किला है, न कोई कोट है। जहां यह सचिवालय और पवित्र विधान भवन बना है यहां गदर के समय में एक घासी राम का पुर्वा था और कन्हई माधोपुर निवासी फैजाबाद के थे और भुअन पासी जो मेरे पूर्वज थे यहीं पर वीरगति पाई थी और प्रसिद्ध हीरा पासी जो राणा बेनीमाधव सिंह के अंग रक्षक थे उनके पुत्र जमींदार गुलजार पासी जो मेरे नाना थे यहीं घायल हुये उन्हें भड़ौच में फांसी दी गयी थी जिनके साथ यहीं पर हजारों पासी लड़े थे नैपाल के राना जंगबहादुर सिंह ने तथा सिक्खों बिल्लोचियों के साथ अंग्रेजों से मिल गये थे। और विद्रोहियों पर हमला कर के लखनऊ को बरबाद किया था अंग्रेजों के मुकाबले में सन् १८५७ में लड़ाई की थी और उसमें हमारे पूर्वजों ने हजारों धनुर्धारी व सुरंग फेंकने वाले पासियों के

[श्री नारायणदास पासी]

साथ उस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से वीरगति पाई इसका इतिहास साक्षी है। यदि उस समय हम सफल हुये होते तो सौ वर्ष पहले ही हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज हालत यह है कि जब हमारी नेपाल की तराई से फौजें इधर को चलती हैं तो वे सीधे फैजाबाद कैन्ट पर ही आकर रुकती हैं, और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। अतः मैं आशा करता हूं कि इस ओर सुरक्षा के हेतु विशेषकर ध्यान दिया जायगा और उत्तराखंड की भांति योजना बना कर इस अंचल को दृढ़ किया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय राज्यपाल के सम्बोधन पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(इस समय ३ बजकर ५४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गोविन्दसिंह जी विष्ट द्वारा जो संशोधन रखा गया है उस का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मैं कल से बहुत सुन रहा हूं उस ओर से हमारे मित्र कह रहे हैं और गणतंत्र की परम्परा का बहुत उदाहरण दे रहे हैं। सत्य है कि गणतंत्र में स्वस्थ परम्परायें होनी चाहिये लेकिन जरा यह विचार किया जाय कि जनतंत्र का चालन करने का जिन पर आज बोझ पड़ा है उनकी परम्परा क्या है। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में कहा कि कुछ कठिनाइयों के कारण पहले सदन नहीं बुलाया जा सका और उस को प्रोरोग करना पड़ा था। कठिनाइयां थीं उनकी आन्तरिक और उनसे जनतंत्र की परम्परायें बदली जाने लगीं। जिस दल के हाथ में आज शासन सत्ता है उस में अपने आन्तरिक झगड़े हों और उसके कारण प्रदेश के सदनों के अधिवेशन स्थगित किये गये। इसका उदाहरण वह बतला दें कि संसार के किस प्रजातांत्रिक देश में इस तरह से आन्तरिक झगड़ों के कारण सदन स्थगित किये गये हैं? कहां ऐसी परम्परा डाली गयी है? इतना बड़ा डन्कर्क का युद्ध हुआ फ्रान्स में और सारी ब्रिट्रिस सेना वहां बुरी तरह से आहत हुई। एक जनतंत्र पर चलने वाले देश पर संकट आया परेशानी आई, एक क्राइसिस वहां पैदा हुयी और २ दिन के भीतर वहां का सारा मंत्रिमंडल और प्राइम मिनिस्टर बदल दिया गया, लेकिन वहां का हाउस आफ कामन्स प्रोरोग नहीं हुआ, स्थगित नहीं हुआ यहां की तरह, यहां कौन सा डन्कर्क का युद्ध छिड़ा था, उन के घर का झगड़ा था, यहां तो सामान्य रोजमर्रा की स्थिति थी लेकिन इस सदनों के प्रोरोग होने से जो समाज और राष्ट्र की हानि हुई इस की जिम्मेदारी किस पर है? वह उन पर है किसी दूसरे पर नहीं है। यह परम्परा निम्नकोटि की है। इस प्रकार की परम्परा से तो जनतंत्र की खाई ही खोदी जा सकती है उस को पनपाया नहीं जा सकता।

अब श्रीमन्, दूसरी परम्परा पर विचार किया जाय। किसी भी जनतंत्र देश में प्रधान मन्त्री या मुख्य मंत्री नामिनेट नहीं किया जाता। यहां इस सम्बन्ध में क्या दृश्य देखने को मिल रहा है? घोषणा होती है कि हम एलेक्शन लड़ेंगे और धीरे से बिल से निकल कर आगये और वहां से नामिनेट हो कर निकल आते हैं। दूसरे विचारणीय यह भी है कि अगर नामिनेशन होता भी है तो उसका भी कोई आधार होता है, उस के लिये किसी चीज में विशेष निपुणता होना अनिवार्य है, या किसी विशेष वर्ग का वह प्रतिपादन करता हो। वह आई० पी० सी० या परिवार नियोजन में निपुण हो सकते हैं लेकिन यह भी हो सकता है कि अगर फिसल पड़े तो परिवार नियोजन में सफल हो गये। अगर मेरे पिता और उनके पिता ने दुर्भाग्य से परिवार नियोजन किया होता तो न वह होते और न मैं होता। वह बतायें कि किस वर्ग का वह प्रतिपादन कर रहे हैं, वह कौन वर्ग है जिस का प्रतिपादन करने के लिये उन को नामिनेट किया गया है? किसी भी जनतंत्र देश में मुख्य मंत्री जिसको नामीनेट करने के लिये राज्यपाल को कहता है उसको राज्यपाल या हैड आफ दि स्टेट नामीनेट करता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि 'अंधा परसे और धाय-धाय अपने को रक्खे'। अंग्रेजी में कहें तो यह होगा "The Chief Minister represents no one except his own wish" यह जनतंत्र है? यह तो जनतंत्र का मखौल है। जैसे अयूब खां जनतंत्र का नाम लेते हैं वैसा ही है, या जैसी इंडोनेशिया में गाइडड डेमोक्रैसी चलती है। यह तो जनतंत्र की कमर तोड़ डाली।

जनतंत्र की सबसे बड़ी परम्परा यह है कि जिसके हाथ में शासन सूत्र है उसको रेस्पांसिव होना चाहिए पब्लिक ओपीनियन और हाउस ओपीनियन का। इंगलैंड का बड़ा सुन्दर उदाहरण है। मैं स्वेज डिबेट के ऊपर ईडन का उदाहरण दिये देता हूं। कंसरवेटिव पार्टी की जितनी मेजारिटी थी वह रही कामन्स में उस डिबेट के बाद, लेकिन ईडन ने क्यों इस्तीफा दे दिया? सारे लोगों ने कहा कि यह कार्य गलत हुआ? चैम्बरलेन ने, कंसरवेटिव्ज की मेजारिटी घटकर ८७ की रही तो इस्तीफा दे दिया। यहां राज्यपाल महोदय के संबोधन के समय आधे से कम लोग उपस्थित रहे और ये लोग आज भी कुर्सी पर बैठे हैं। इनको बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर जनतंत्र की दुहाई देते हैं तो इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अगर वास्तविक जनतंत्र चाहिए तो परम्परा का आदर्श आप रखें। हमने कोई जनतंत्र की परम्परा को हानि नहीं पहुंचाई। हमने प्रोटेस्ट किया और दुनिया को दिखा दिया कि आप बहुमत में नहीं हैं। आप नसीहत हमको देते हैं? उर्दू की कहावत है 'खुद मियां फजीहते, दीगरे नसीहते'।

श्रीमन्, मैं समझता था कि राज्यपाल महोदय का सम्बोधन पालिसी स्टेटमेंट होगा। कुछ जो बाहरी आपत्ति है उसके ऊपर और आन्तरिक आपत्ति है उसके ऊपर विचार होगा। परन्तु कोई विचार नहीं है। केवल एक कैटेलाग मात्र है आर्डीनेन्सेज का। जैसे किसी दुकानदार की दुकान में कोई चीज न हो, वह सिर्फ एक कैटेलाग रखे कि यह सामान, वह सामान।

मुझे दुःख है कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि मेरी बात उनके पास तक पहुंच जाय। जब वह मुख्य मंत्री हुए थे तो ८ या ९ दिसम्बर को मैंने पत्र लिखा था उन्हें कि आप सदन की बैठक फौरन बुलाएं क्योंकि बहुत-सी समस्याएं प्रान्त के अन्दर हैं। गन्ने की समस्या है, सुरक्षा की समस्या है, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। आप बैठक बुलाइए जिसमें इन पर विचार हो सके अन्यथा आपको मजबूर होकर आर्डीनेन्स लाने पड़ेंगे, और आप यह जानते हैं कि जनतंत्र में आर्डिनेन्स लाना उचित नहीं है। उन्होंने उत्तर दिया कि बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तो जब सारी जनतंत्र की परम्पराओं का नाश किया जा रहा है, आर्डीनेन्स के बल पर शासन चलाया जाता है, तो क्या आश्चर्य है कि एक दिन सारी विधान सभा समाप्त हो जाय, विधान समाप्त हो जाय और तानाशाही खड़ी हो जाय? आर्डीनेन्स के ऊपर जनतंत्र चलाना स्वस्थ परम्परा नहीं है। फिर इंगलैंड का उदाहरण दिये देता हूं। ब्रिटिश राष्ट्र के लिये जीवन-मरण का प्रश्न था डंकर्क के युद्ध के बाद, लेकिन डिफेन्स आफ दि रेल्म ऐक्ट आर्डिनेंस के रूप में नहीं लाया गया। उसको पार्लियामेंट में पास कराया गया। अगर उस वक्त वह आर्डीनेंस लाते तो एक हद तक समझा जा सकता है कि राष्ट्र के ऊपर संकट था, परन्तु आर्डीनेन्स नहीं लाये। यहां संकट कुछ नहीं और आर्डीनेंस के बाद आर्डीनेंस। जैसे छछूंदर का खानदान चलता है कि एक की पूछ पकड़े दूसरी भागी जा रही है। यह क्या है? यह इस प्रान्त का विनाश रचा जा रहा है। वास्तविक डेमोक्रेसी यह थी कि वास्तव में इनको इस्तीफा दे देना चाहिये और जनता के सामने एलेक्शन होता, उसको अपना मत प्रकट करने का मौका दिया जाता, चाहे कोई जीतता। लेकिन यहां जनता को अवसर देने का प्रयास नहीं है। यहां तो अन्त तक चिपके रहना चाहते हैं जब तक कि दम न निकले। यह डेमोक्रेसी का मखौल है।

आश्चर्य जनक बात है आर्डिनेंस के द्वारा यूनिवर्सिटीज में खिलवाड़ हो रहा है। यह लखनऊ यूनिवर्सिटी का दुर्भाग्य है। एक मंत्रिमंडल आया नियम उसके अनुकूल नहीं रहे फौरन नियम बदल दिये। दूसरा मंत्रिमंडल आया उसके अनुकूल जो चीज नहीं रही उसने उसको फौरन बदल दिया। क्या जल्दी थी? यूनिवर्सिटी कमीशन बैठा हुआ है। वाइस-चांसलर के चुनाव में गड़बड़ी है, व्यक्तियों में गड़बड़ी है, नियमों में गड़बड़ी है तो उस कमीशन को दीजिये वह रास्ता बतायेगा। आप कहते हैं नहीं हम नियुक्त करेंगे वाइस-चांसलर। कहते हैं यूनिवर्सिटी में गुटबाजी है। सत्य है, इसी कारण हमारी यूनिवर्सिटीज का स्तर गिरता जा रहा है। लेकिन क्या विश्वास है कि आप भी जिस आदमी को नियुक्त करेंगे वह आपकी गुटबाजी पर आधारित नहीं होगा? क्या विश्वास है वाइस

[राजा याददेन्द्रदत्त दुबे]

चांसलर आपके पोलिटिकल दावपेंचों का खिलौना नहीं बनेगा ? मैं नाम नहीं लेना चाहता। लखनऊ यूनिवर्सिटी का उदाहरण मौजूद है, विद्वान् भले ही हो, लेकिन जिसने शिक्षा शास्त्र से भेंट नहीं की वह वाइस-चांसलर नियुक्त हो गया। तो यह श्रीमन्, पोलिटिकल पैटरोनेज का जो रूप लिया जा रहा है यह दुर्भाग्य की बात है। और इसके पीछे राज्यपाल का जो नान पोलिटिकल स्थान होना चाहिये था उसको घसीटकर राजनीति के अखाड़े में लाया जा रहा है यह भी अनुचित है।

श्रीमन्, आप देख रहे हैं कि इस सूबे के अन्दर पंचमांगियों की ऐक्टीविटीज बढ़ती जा रही है। मुझे कुछ अपनी बात नहीं कहनी है, प्रधान मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा है, आप आज्ञा दें तो मैं उसको उद्धृत किये देता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की सरहद में आकर इस सूबे में काम कर रहे हैं। मऊ कांग्रेस के भाषणों का उदाहरण उद्धृत किया। माननीय गृह मंत्री जानते हैं। क्या कदम उठाये गये रोकने के ? अभी कल ही यहां प्रश्न हुए कि चीनी इस पार हमारी सरहद में आते हैं और वहां उनका स्वागत किया जाता है। विदेशी और फिर आक्रमणकारी का स्वागत करते हो जो आज नहीं कल अवश्य आक्रमणकारी होगा। एक बार हिन्दी चीनी भाई भाई के नारे में फंस कर अपने देश का काफी क्षेत्र खो बैठे। मैं एक मिनट के लिये मान लूंगा कि इसको रोकने की कार्यवहियां गोपनीय हो सकती हैं। लेकिन जो प्रचार चल रहा है, जो भाषण हो रहे हैं उनको रोकने के लिये आपने क्या कदम उठाये ? आपका सूचना विभाग कहां गायब है। सूचना विभाग की केवल एक करतूत दिखा सकता हूं। सूचना विभाग के एक अधिकारी का पत्र आया, मैं उनका नाम नहीं लेता, फतेहपुर के वह हैं। उनका यह लेटर दिखाने लायक है। उनके लैटर हेड पर पहले अपना नाम लिखा हुआ है भूतपूर्व मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी, देहरादून, सूचना अधिकारी। यह क्या है ? मंत्री कांग्रेस कमेटी पहले, सरकारी सूचना अधिकारी बाद में है। यह कौन सी भावना है ? यह पार्टी प्रायरेटी है, पार्टी का ढोल पीटा जाता है। देश की रक्षा के लिये सूचना अधिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम कि सरहद पर क्या क्या हो रहा है, कोई काम नहीं करते। मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि इस प्रकार के प्रचार को रोकने के लिये इनके सूचना अधिकारी अग्रसर नहीं हैं, ऐक्टिव नहीं है।

इसका दूसरा भीषण स्वरूप है किसी भी गणतंत्र के अन्दर यह आवश्यक होता है कि सर्विसेज को पालिटिक्स से अलग रखना चाहिये। लेकिन इस राज्य के अन्दर और मंत्रिमंडल के अन्दर मैं इस बात का मानने वाला नहीं हूं कि कांग्रेस के अन्दर कई गुट्ट हो जायं चाहे एक का मंत्रिमंडल हो या दूसरे का तो कोई नई चीज हो जायगी। कोई अन्तर नहीं होगा क्योंकि इस सरकार के अन्दर एक ही बात है पार्टी और सरकारी अधिकारी के मानी एक और सरकारी अधिकारी पार्टी का सारा कार्य करे, कोई दूसरा कार्य नहीं। गुट्टबाजी के ऊपर सरकार बनती है तो इकानामी का नारा लगता है। मैं मानता हूं कि इकानामी होनी चाहिये लेकिन इकानामी के अर्थ क्या हैं। इकानामी के अर्थ यह होने चाहिये कि एफिशियेंसी सफर नहीं करना चाहिये। आज आपने इस सूबे के कुछ ऐसे अधिकारियों को मैं नाम नहीं लेता—जिनमें कुछ इतने अच्छे अधिकारी थे, जिनका अच्छे कार्य में दखल था क्योंकि आपकी गुट्टबाजी में शामिल नहीं हुए, आपने उन्हें निकाल बाहर किया। इससे क्या एफिशियेंसी रह जायगी ? अधिकारी जितने हैं वे डिमारेलाइज्ड हो जायंगे। वे कभी भी सरकार को स्पष्ट राय नहीं दे सकते क्योंकि हर एक को प्रोमोशन की इच्छा रहेगी। एक ओर आप उनसे गुट्टबाजी पर काम कराना चाहते हैं और दूसरी ओर अपेक्षा करें कि हमको स्वतंत्र राय दो तो कैसे संभव यह है—कोदों बो कर गेहूं नहीं काटा जा सकता।

जहां तक इकानामी का प्रश्न है कभी कभी ऐसा लगता है कि खर्चा अधिक हो गया, लेकिन अल्टीमेटली लाभ ज्यादा होता है। इन सारी दृष्टि से इकानामी की ओर विचार नहीं किया

गया। इकानामी की ओर विचार होता है लेकिन कृत्य दूसरा होता है। मैं जौनपुर का उदाहरण देता हूं। पोलिटिकल पावर का कैसा दुरुपयोग किया गया। वहां एक मकान है। जिन सज्जन के बारे में मैं कह रहा हूं मुझे दुख है कि वे यहां हैं नहीं, मंत्रिमंडल में हैं। उनका मकान जौनपुर में है। कुछ दिन पूर्व वह मकान फिशरीज विभाग को ४० रुपये माहवार पर दिया गया था। कुछ दिन बाद अपने स्थान का उपयोग करके फिशरीज विभाग को हटा दिया। रेंट कंट्रोल में वह मकान है और सुना यह जाता है कि आज एंटी मलेरिया विभाग को वह १४० रुपये माहवार पर दिया गया। यह क्या है? यह तो, श्रीमन्, वही हुआ मोहरों की लूट और कोयले की रक्षा की जा रही है इकानोमी के नाम पर। इस बात की जांच हो। मैं जानता हूं कि माननीय चरणसिंह बहुत ही कर्त्तव्यशील, कर्मठ तथा ईमानदार है। वे इसकी जांच करायेंगे। जो मैंने सुना है वह मैं कह रहा हूं।

जौनपुर का दूसरा उदाहरण दूं। "आज" अखबार में २७-१२-६० को पृष्ठ १, कालम ८ पर छपा था। उसका आशय कह देता हूं। वह मंत्री महोदय जौनपुर गये। माला पहने थे। स्वागत हुआ। स्टेशन पर रिसीव करने वाले सरकारी अधिकारी भी थे। पुलिस की जीप पर बैठ कर डी० एस० पी० के साथ जुलूस निकाला गया। नारे तकबीर लगे और भिन्न-भिन्न प्रकार के नारे लगे। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकारी जुलूस था या पार्टी का जुलूस था और सरकारी जीप का उपयोग क्यों किया गया?

कहा जाता है कि अफसर भ्रष्टाचारी हैं। मैं मानता हूं कि हैं और उनको रोका जाय लेकिन पहले हम अपना भ्रष्टाचार भी तो रोकें। हम सरकारी गाड़ी को अपने काम में न लायें तब अफसर को कह सकते हैं कि तुम क्यों गाड़ी का दुरुपयोग करते हो। हमारा भ्रष्टाचार न रुके तो उनसे कैसे कह सकते हैं। भले ही नौकरी के कारण उनका मुंह बन्द है लेकिन क्लबों में बैठ कर वह ऐसा कहते हैं तो जायज है। मैं चाहूंगा कि माननीय चरणसिंह इस बात पर ध्यान दें। डेमोक्रैसी का शासन फ्री और साफ होना चाहिये तभी हम दूसरों पर लगाम लगा सकते हैं। हम तो थर्ड क्लास में चलें और फर्स्ट क्लास का किराया लें और फिर यह कहें कि हमारे यहां भ्रष्टाचार न हो और हम उनसे उपेक्षा करें कि वह ईमानदार हों तो कभी नहीं हो सकता। मालिक भ्रष्टाचारी होगा तो नौकर जरूर होगा। मैं कुछ ब्यूरोक्रेसी के डिफेन्स में नहीं कह रहा हूं लेकिन जो आज वास्तविकता है वह कह रहा हूं और बड़े दुखी हृदय से कह रहा हूं।

भ्रष्टाचार रोकने के बारे में बहुत बार कहा गया, लेकिन भ्रष्टाचार रुका नहीं, वह बढ़ता ही गया। पुलिस के भ्रष्टाचार की ओर मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं। जौनपुर में अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई। एक मल्लाह को बुला कर दो आदमी उसकी नाव पर सवेरे बैठे। रात में नाव लौट कर आयी पानी में बहती हुई। मल्लाह नहीं लौट कर आया। सुबह रिपोर्ट हुई कि वह आदमी नहीं मिला। पुलिस ने ढूंढ़ शुरू की और बाद में फाइनल रिपोर्ट लगानी चाहिये। जब उसका हल्ला मचा और मैंने स्वयं एस० पी० को कहा तो उन्होंने जरा कोतवाल को गरम किया। तब जो दो आदमी गये थे उनको उन्होंने पकड़ा। एक आदमी ने कबूल लिया कि चलो मैं बताता हूं कि लाश कहां है। नदी में एक बारादरी है शहर से चार फर्लांग की दूरी पर। ठीक उस बारादरी के नीचे लाश निकली, लेकिन रिपोर्ट यह की गयी कि वह आदमी डूब कर मर गया और फाइनल रिपोर्ट लगा कर मामला खत्म कर दिया गया।

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—यह कब की बात है?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—मुश्किल से साल भर हुआ।

श्री चरणसिंह—बड़ी पुरानी बातें याद आ रही हैं आपको।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—मेरी बात जरा सुन लीजिये। चौधरी साहब की एक आदत है कि जब गड़बड़ी होती है तो पहल ही हल्ला कर देते हैं कि कुछ नहीं, कुछ नहीं।

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

वही एस० पी० महोदय आज एटा में विराजमान हैं। मैंने माननीय गृह मंत्री जी को एक पत्र भी लिखा है और सिविल सर्जन की इंजरी रिपोर्ट भी मौजूद है। मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर वे ध्यान दें और इन्क्वायरी करायें।

श्री चरणसिंह--वह तो आर्डर हो भी चुका आपके आने से पहले।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--इसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं। पंचायत एलेक्शन जिसका ये बड़ा हल्ला मचाते हैं उसका एक उदाहरण मैं देता हूं कि ढाई वर्ष का बच्चा भी वोटर है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि मां की गोद में वह आया पोलिंग बूथ पर वोट देने के लिये। इसके अलावा सेक्शन ३७९ का इतना भीषण दुरुपयोग जौनपुर में सरपंचों द्वारा हुआ है कि उसका दूसरा कोई सानी आपको नहीं मिल सकता। झूठे मुकदमे बनाये गये हैं। नामिनेशन आज होने वाला है। मैं गया सरपंच के पास, उसे दो, चार सौ रुपये दिये, उसने मुकदमा भी बना लिया, सम्मन भी जारी कर दिये, मुहर भी लगा दी और फैसला भी हो गया। मैं आर्डर की कापी ले कर चला आया और प्रेसाइडिंग आफिसर के सामने रख दिया और नामिनेशन पेपर कैन्सिल हो गया। ३०० बीघे का एक काश्तकार है। उसको एलक्शन में नहीं खड़ा होने देना चाहते थे क्योंकि बड़ा प्रभावशाली आदमी है, जनता उसको बहुत मानती है। ५ रुपये के दही की चोरी का इल्जाम उस तीन सौ बीघे के काश्तकार पर लगाया गया।

इसके अलावा जो बिड़ला ब्रदर्श को बिजली दी जा रही है उसके ऊपर मैं फिर कहूंगा कि भिलाई का जो राजकीय उद्योग हैं वहां १७७ रुपये पर किलोवाट बिजली दी जा रही है.....

श्री चरणसिंह--मालूम होता है कि बड़ी लम्बी, ५-६ महीने की नींद आप सो गये।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--अगर रेट बढ़ गया है तो आप बताइये, मैं मिनिस्टर तो नहीं हूं जो मुझे मालूम हो। खैर, आपने रेट बढ़ाया है तो मैं बड़ा आभारी हूं, लेकिन अगर पुराने रेट पर दी गयी है तो यह बड़े दुःख की बात है।

अब एक सवाल यह आता है कि देश का उद्योग बढ़े कैसे? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से बढ़े या स्माल स्केल इंस्ट्रीज से। यह सत्य है कि मशीन के इस युग में केवल काटेज इंडस्ट्री नहीं चल सकती लेकिन इस देश का उत्थान केवल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से भी एकदम नहीं हो सकता। हमें तो जापान की नीति अपनानी पड़ेगी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को बेस करना पड़ेगा पावर दे कर cottage Industries को और प्रोडक्शन को डिसेंट्रेलाइज करना पड़ेगा। इसका श्रीमन्, सम्बोधन में कहीं भी जिक्र नहीं है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं माननीय राज्यपाल महोदय के एड्रैस से पढ़ कर सदन को सुना दूं। वह इस प्रकार है कि--

"Developing small scale Industries as ancilliaries to heavy industries".

अब श्रीमन्, "एनसिलियरीज" का क्या अर्थ है, टैक्नीकल अर्थ में पूछ रहा हूं। इसका अर्थ यह होगा, श्रीमन्, छोटी-छोटी इंडस्ट्री वाले इन बड़ी-बड़ी पूजीपतियों के दास बन जायंगे और जब यह चाहेंगे तब उनका गला घोंट देंगे। वह उनको डिक्टेट करेंगे। इससे क्या हमारे देश का, प्रदेश का निर्माण होगा, इससे क्या सूबे का उदय होगा, इससे क्या सूबे की गरीबी घटेगी, इससे क्या सूबे का प्रोडक्शन बढ़ेगा, कभी नहीं होगा। चाहिये तो यह था कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन छोटी इंडस्ट्रीज के ऊपर बेस होता।

हमारे मित्र गोविन्दसहाय जी ने कह दिया कि सोशेलिस्टिक स्टेट में जुडीशियरी का दृष्टिकोण बदलना चाहिये और यहां तक उन्होंने कहा कि जुडीशियरी समझती है कि वह एक्जीक्यूटिव के ऊपर एक अंकुश है। तो क्या वे Judiciary को executive का दास बनाना चाहते है यदि हां, तो यह तो Totalitarian विचार से अगर वैसी जुडीशियरी बना दी

जायगी तो क्या वह अपना ट्रायल किसी प्यूपिल कोर्ट में कराने के लिये तैयार होंगे। यह तो उनका टोटेटिलेरियन की ओर दृष्टिकोण जाता है। श्रीमन्, राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के संबंध में जो प्रस्ताव नवलकिशोर जी ने रखा है, उसका मुझे विरोध करना पड़ा है और गोविन्दसिंह जी ने जो संशोधन रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने महामान्य राज्यपाल महोदय के सम्भाषण पर दोनों ओर के माननीय सदस्यों के भाषण सुने। मुझे प्रसन्नता है कि आज सदन में कुछ जीवन दिखाई देता है। इसके लिये मैं मंत्रिमंडल को बधाई देता हूं। जिस प्रकार पतझड़ में बसन्त बसाया जाता है उसी तरह से नये मंत्रि-मंडल ने विरोधी दलों में चेतना और जाग्रति का प्रादुर्भाव किया है।

श्रीमन्, मुझे इस बात का दुख है और महान् दुख है कि कांग्रेस पार्टी के आपस के झगड़े के कारण कुछ सदस्यों द्वारा महामान्य राज्यपाल के सम्भाषण का बायकाट किया गया है। उनके द्वारा जो सदन में आदर्शों का ढोल बजाया करते थे, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का नारा लगाया करते थे, वह लोग जो हमारी परम्पराओं की बात किया करते थे, हमारे शासन में जनतंत्र की परम्पराओं की बात किया करते थे, आज उन्होंने अपनी परम्पराओं के ऊपर जो उनका खोखला विश्वास था उसका परिचय देकर इस जम्हूरियत को, डैमोक्रेसी को लाचार किया है। इसका मुझे खेद है।

इसी के साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने जो सदन में भाषण दिया है, उसके संबंध में मैं चाहता हूं कि वह धैर्यपूर्वक उत्तर सुनने की कृपा करें। उन का कहना यदि सही है कि मंत्रियों की वान्टेड की तख्ती यदि सदन की दीवारों पर है तो मुझे खेद है कि उन्होंने उसकी दूसरी पंक्ति को नहीं पढ़ा है। इसके साथ-साथ यह भी है कि विरोधी दलों के नेताओं में ड्रास्टिक रिट्रेंचमेंट होने वाला है।

मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ जैसे कि माननीय सदस्य अपना दिमाग खो कर इस दन में बैठे हों। कहा गया है कि सरकार ने किसानों का लगान दुगना कर दिया। मैं मानता हूं। सोचने की बात है। आज जमीन की पैदाबार की कीमत चौगुनी हो गयी है, और जमीन का लगान दुगना हो गया तो समझने की बात है कि कौन बड़ा है। अगर यह सही है तो मैं कहता हूं कि जो हिसाब जानते हैं, जोड़ घटाना जानते हैं, वह क्या इस बात को सोच नहीं सकते कि अगर बढ़ाया भी गया है तो बिलकुल जायज बढ़ाया गया है। हमें ओवर आल पिक्चर देखनी चाहिए। अगर गुलामी में रह कर किसी को अच्छा खाना और कपड़ा मिलता है तो उस पर लानत है। गरीबी में, फकीरी में रह कर, रूखी रोटी खा कर, स्वतंत्रता की जिन्दगी बिताना उससे कहीं बेहतर है। हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। अगर हमको कपड़ा और खाने को नहीं मिले तब भी हम बहुत अच्छे स्टेटस के लोग गिने जा सकते हैं। लेकिन गुलाम चाहे वह कितने ही धनी क्यों न हों हमेशा उनका स्टेटस बहुत छोटा हुआ करता है।

इसके बाद मैं यह बताना चाहता हूं कि यह कहा जाता है कि सरकार के अन्दर बड़ी-बड़ी कमियां और खामियां हैं। मैं भी कबूल करता हूं। मुल्क की व्यवस्था के लिए सरकार को बिठाया जाता है, लेकिन सरकार की देखभाल करने के लिए विरोधी दल को इस सदन में बिठाया जाता है। अगर यह सरकार ठीक नहीं चलती है, इस सरकार के अन्दर कमियां हैं तो मैं बताता हूं यह विरोधी दल के विजिलेशन की कमी है, विरोधी दल के अन्दर वह ताकत नहीं है कि इस सरकार को ठीक चला सकें। सरकार को सम्हालने के लिए विरोधी दल हुआ करते हैं। मैं कहना चाहता हूं आपने अपनी कमजोरी का परिचय देकर अपनी नाकाबिलियत का परिचय इस सदन को दिया है। अगर विरोधी ताकतवर होते तो यह सरकार कभी ऐसी गलती नहीं कर सकती जिसका कि सदन में जिक्र किया गया।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

यहां कहा गया कि यूनिवर्सिटीज की व्यवस्था खराब हुई । मैं जानता हूं उसमें कौन शामिल थे उस व्यवस्था को खराब करने में। ईमानदारी से मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं, यह मेरा अधिकार है । क्या जो कानून कल जायज बताया गया उसको आज नाजायज कहने को आप तैयार हैं ? मुझे खेद है अंग्रेजों के जमाने में भी सन् ३० में जब आजादी की लड़ाई की लहर देश के कोने-कोने में फैली हुई थी, चारों तरफ हल चल मची हुई थी, उस जमाने में भी एक भी पुलिस का कांस्टेबिल हमारी यूनिवर्सिटीज के प्रेमिसेज में दाखिल नहीं हुआ। क्या हमारी सरकार यहां इसलिये बैठी हुई है कि यूनिवर्सिटीज के अन्दर पुलिस का कब्जा हो। यह आपकी विजिलेंस है ? हमारी शान के खिलाफ, हमारी स्वतंत्रता के खिलाफ, हमारी आजादी के खिलाफ, हमारी एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो यह काम किया गया, वह हमारी विरोधी दल की कमजोरी का परिचय देने वाला है । मुझे इसका बड़ा खेद है, जहां आपको जागरूक रहना चाहिये था वहां जागरूकता कत्तई इस सदन में नहीं दिखाई गई । प्रजातंत्र में सरकार को सही रास्ते पर चलाने का काम हमेशा विरोधी दल किया करता है, जो कि आप नहीं कर पाये ।

अभी एक मेरे मित्र ने बताया कि प्रजातंत्र को तो खत्म कर दिया गया और उसकी परम्परा को खत्म कर दिया गया क्योंकि माननीय चन्द्रभानु गुप्त को चीफ मिनस्टर बनाया गया । मैं उनको बताना चाहता हूं, अगर उन्होंने भारतवर्ष के संविधान को पढ़ा है, अगर उन्होंने उसकी उस दफा को पढ़ा है जिसमें कि कोई भी वोटर इस देश का, छः महीने तक प्रधान मंत्री या चीफ मिनिस्टर हो सकता है तो मैं कहता हूं कि वह कैसे कहते हैं कि परम्पराओं को खत्म कर दिया गया, कैसे कहते हैं कि कानून को खत्म कर दिया गया । कौन सी वह बुद्धि है जिस बुद्धि से वह यह कहते हैं कि वह चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकते । बिना एम० एल० ए० या एम० एल० सी० के यदि वह ६ महीने तक चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं तो अगर नामिनेट भी हो गये तो उससे पोजीशन वीक कैसे होती है ?

मैंने माननीय त्रिलोकीसिंह जी के स्टेटमेंट को पत्रों में पढ़ा है । जब वह चीफ मिनिस्टर छः महीने तक रह सकते हैं तो चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी भी करेंगे । मैं बताना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी दो प्रकार की है, एक तो सदन में है और एक इस सदन के बाहर है । क्या कानून में कहीं यह लिखा है कि चीफ मिनिस्टर छः महीने तक रहेगा, लेकिन वह कोई काम नहीं करेगा, मक्खी मारेगा ? मैं यह पूछना चाहता हूं वह क्या करेगा ? क्या चीफ मिनिस्टर अपनी ड्यूटी नहीं करेगा ? अगर कानन में उस पर कोई प्रतिबन्ध होता तो एक प्राविजो होता कि प्रोवाइडेड ही शैल नाट एग्जीक्यूट हिज ड्यूटीज इन दि हाउस । (Provided he shall not execute his duties in the house) । वह सदन में अपनी ड्यूटी नहीं करेगा । लेकिन चूंकि कानून इस पर साइलेंट है इसके माने हैं कि चीफ मिनिस्टर अपनी पूरी पूरी ड्यूटीज को अन्जाम दे सकता है सदन में और उसके बाहर भी और अगर उसमें कोई प्रतिबन्ध होता तो उनकी पावर को रिस्ट्रिक्ट किया जाता, ड्यूटीज को रिस्ट्रिक्ट किया जाता तो वह बात थी कि वह अपनी ड्यूटीज को नहीं कर सकता था । उनके लिये ६ महीने तक कानून में व्यवस्था रखी गई है । कोई यह नहीं कह सकता है कि जो मैंने इन्टरप्रिटेशन किया है वह गलत है । अगर कोई कहता है कि सही नहीं है तो वह कानून के दायरे में जाये और कानून की किताबों को देखे । जब तक पावर के लिये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब तक पावर लिमिट नहीं है तो इसके माने हैं कि चीफ मिनिस्टर अपने कर्त्तव्यों का पूरी तरह से हाउस के अन्दर और बाहर पालन कर सकता है ।

इसके अलावा मैं यह बतलाना चाहता हूं कि मुझे बड़ी खुशी है कि जो भाई कल तक सोये हुये थे आज उनके अन्दर जागृति आ गई । यह प्रेरणा उनको नये मंत्रिमंडल के आने के बाद मिली है । इससे हमारे देश का भला होगा और इससे हमारे देश को फायदा पहुंचेगा । इसके अलावा मैं माननीय त्रिलोकीसिंह जी से यह कहना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर बेरोजगारी काफी बड़े स्केल पर है । मैं निवेदन करूंगा कि मैंने पहले भी इस बात का विरोध किया था कि ५५ साल से ५८ साल कर देना एक बुद्धिमत्ता की बात नहीं है । जिस किसी व्यक्ति के दिमाग

में यह खयाल आया उसने नहीं समझा कि इस देश के अन्दर हजारों नौजवान यूनिवर्सिटी और कालेजों से निकलकर जिन्दगी के लिये तड़पते हैं। वह दया के लिये दरवाजे दरवाजे खटकाते हैं। क्या आप इन नौजवानों को भीखमंगा बना कर, नौजवानों को गलियों गलियों घुमाकर देश का भला कर सकते हैं ? जब इस प्रकार से देश के अन्दर परिस्थिति है तो इस अवधि को बढ़ाने से देश का लाभ होने वाला नहीं है । यदि इसको सही दिमाग से सोचा जाय तो मालूम होगा कि यह मुल्क के साथ न्याय नहीं किया गया। मैं यह कहता हूं कि इससे देश की हानि हुई है । हमारी भावी सन्तान के साथ, जो देश का भार आगे सम्भालने वाली है, इन्साफ नहीं किया गया है। हमने उनके साथ खिलवाड़ किया है । इसलिये इस सदन को रिटायरमेंट की उम्र ५८ वर्ष से ५५ वर्ष तुरन्त कर देना चाहिये । यही सदन से मेरी दरख्वास्त है ।

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसे समय पर अवसर मिला कि मृदंग के सामने नक्कारे की आवाज कोई सुनेगा नहीं । मैं उतने जोर शोर के साथ अपनी बात सदन के सामने नहीं रख सकूंगा ।

श्री अध्यक्ष---अब सदन शान्त हो गया है । तब शान्त नहीं था ।

श्री रघुवीर सिंह---मैं, विरोधी दल के नेता ने जो संशोधन पेश किया है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, महा महिम राज्यपाल के भाषण को मैंने ध्यान पूर्वक पढ़ा । उसमें सब से पहले तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात आई । उन्होंने तीसरी पंचवर्षीय योजना के विषय में अपने भाषण के दूसरे सफे पर यह लिखा है कि "आयोजना आयोग ने राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये कुल चार सौ सत्तानवे करोड़ रुपये की अधिकतम धनराशि निर्धारित करने की सिफारिश की है।" जब उनका पहला सम्बोधन २५ जुलाई को हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि " वर्ष १९५९ के प्रारम्भ में तृतीय पंचवर्षीय योजना तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया था । अनेक कार्यकारी वर्ग संगठित किये गये थे जिनमें प्राविधिक व्यक्ति, विशेषज्ञ, विधान मंडल के सदस्य तथा सरकार के अधिकारी सम्मिलित थे । इन वर्गों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों पर विचार किया गया है और इस राज्य के लिये ६०० करोड़ रुपये से अधिक लागत की धनराशि तृतीय पंचवर्षीय योजना का अस्थायी प्रालेख तैयार किया जा रहा है"। मैं जानना चाहता हूं इन दोनों भाषणों में १०० करोड़ से भी अधिक का अन्तर क्यों है ?

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में सबसे पहले मुझे यह स्पष्ट करना है कि उधर बैठने वाले बहुत से माननीय सदस्यों ने कल से ऐसा चर्चा किया है कि महामहिम राज्यपाल के भाषण पर यह शोभनीय नहीं है कि हम टीका करें या आलोचना करें। कुछ मित्रों ने कहा कि यह अनुचित है कि हम इस विषय पर कुछ कहें । मैं सबसे पहले इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल का भाषण उनकी अपनी सरकार की नीतियों का एक मार्गदर्शन होता है और उस नीति की हमें आलोचना करने का अधिकार है । इसलिये मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि यह राज्यपाल का भाषण कोई धर्म शास्त्र की पुस्तक है कि जिसकी धाराओं के अन्तर्गत भले ही हमें कितना ही कष्ट क्यों न सहना पड़े, कितनी ही हानि क्यों न उठानी पड़े, लेकिन हम आंख नहीं उठा सकते। यह कोई आयते हदीस भी नहीं है कि जो लिखा है वह मानना पड़ेगा। यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस नीति में हमें जो कमी दिखाई देती है उसे कहने का हमें हक है और उसे हम कहेंगे ।

जैसा कि अभी हमारे माननीय मित्र ने कहा कि विरोधी दल इसलिये होता है कि अगर सरकार किसी गलत रास्ते पर जाती है तो उसको ठीक करे, मैं उनसे सहमत हूं। उनका कहना ठीक है । लेकिन मेरे मित्र ने कभी यह नहीं सोचा कि जब कभी विरोधी दल की तरफ से कोई सुझाव या कोई मार्ग सरकार को दिया गया तो उसको आज तक कभी माना भी गया ?

कुछ सदस्य---माना गया, माना गया ।

श्री रघुवीरसिंह--मैं आपकी बात को शान्ति से सुनता रहा, आप भी ठंडे दिल से सुनिये ।

अब मैं आपके द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की तरफ माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । तृतीय पंचवर्षीय योजना का बहुत दिनों से ढिंढोरा था, तरह-तरह के प्रचार थे । आप ने श्रीमन्, स्वयं देखा होगा कि बड़े-बड़े पोस्टरों पर यह लिखा हुआ देखा गया कि गांव-गांव में बिजली, खेत-खेत में पानी । मैंने तो यह बसों के पीछे लिखा भी देखा । इतनी बड़ी और व्यापक बात कहना, जिसे मैं समझता हूं कि यह सरकार अगले बीस सालों में भी नहीं कर सकती, कहां तक उचित है । ऐसा कह कर सरकार केवल जनता को ही धोखा नहीं देती बल्कि वह अपने लिये भी एक अविश्वास पैदा कर लेती है । इसे सरकार नहीं कर सकती और ऐसा प्रचार करके यह सरकार अपने को धोखा दे रही है न कि जनता को । जो माननीय सदस्य हमें सबक पढ़ाते हैं कि हम महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण की आलोचना करते हैं मैं उन पर आरोप लगाना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से इस प्रकार का संबोधन तैयार करना कि पहले में ६०० करोड़ और दूसरे में ४९७ करोड़ रुपया अंकित कराया गया और जिसे राज्यपाल महोदय के द्वारा यहां पढ़वाया गया, इस से राज्यपाल महोदय की प्रतिष्ठा एवं गौरव को ठेस पहुंची है । मैं यह आरोप उन पर लगाना चाहता हूं । मैं साथ ही यह आरोप भी लगाना चाहता हूं कि पहले राज्यपाल के सम्बोधन में यह अंकित है जो उन्होंने अपने मुखारविन्द से कहा था कि अब की बार तृतीय पंचवर्षीय योजना गांव ब्लाक तथा जिलों के स्तर पर विचारणीय हो कर ऊपर आयेगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया । अपने यहां की अंतरिम जिला परिषद् की मीटिंग में मैं मौजूद था, उसमें जिन बातों का चर्चा हुआ और जो निर्विरोध निश्चय किये गये उनका कोई प्रारूप उसमें नहीं है ।

अपनी बात मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि १४ जनवरी को हमारी क्षेत्रीय कमेटी की आगरे में मीटिंग हुई। उसमें मैं गया। सूचना से यह पता चला कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया जायगा और उस पर विचार बिनमय होना है। मैं यह समझ रहा था कि उसके विषय में कुछ सुझाव देने का अवसर मिलेगा। लेकिन वहां जाकर देखा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप फाइनेलाईज हो चुका था, अफसरान से यह पता चला कि एटा जिले में केवल १४ मील सड़क और एक नदी का पुल पूरी योजना में बनेगा और कुछ नहीं । सारा स्वप्न समाप्त हो गया । यह जो प्लान था कि खेत खेत में पानी, गांव-गांव में बिजली, उसकी कोई बात वहां नहीं दिखाई दी ।

मैं आपके द्वारा सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना को अगर अन्तिम रूप दे दिया गया हो तो उस पर फिर से विचार किया जाय और जिले के स्तर पर पैसे को बांटा जाय। अन्यथा मैं यह निःसंकोच कह सकता हूं कि बहुत से जिले ऐसे होंगे कि जिनको यह तृतीय पंचवर्षीय योजना स्वर्ग बना देगी और हमारे ऐसे जिलों को कुछ नहीं मिलेगा। पहले तो हमारे यहां के एक डिप्टी मिनिस्टर थे भी वह जप लिये गये, किन्तु अब तो कोई भी नहीं है जो वहां के विकास की कोई रूप रेखा दे सके।

इसके अलावा मैं आपकी आज्ञा से एक और बात की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में प्रारम्भिक शिक्षा की ओर कुछ नहीं कहा गया है । यह बड़ी ही लज्जा की बात है कि अभी तक हमारी सरकार प्रारम्भिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने में भी सफल नहीं हो सकी है । हमारे जिले में लगभग ५० प्रतिशत प्रारम्भिक स्कूल ऐसे हैं जो बिलकुल ध्वस्त पड़े हुये हैं, जहां की इमारतें बिलकुल टूटी पड़ी हैं, बच्चों के बैठने का कोई इन्तजाम नहीं है । तो फिर पढ़ाई ही कैसे हो सकती है । आज यूनिवर्सिटी तो बनाई जाती है, उसको तो खड़ा कर दिया जाता है, किन्तु इन प्रारम्भिक स्कूलों के लिये इमारत बनाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । यदि धनाभाव है तो आज जो यूनिवर्सिटी बनाई जाती है अगर उसके स्थान पर उसी रकम को छोटे-छोटे स्कूलों की इमारतें बनाने में लगाया जाय

तो दर्जनों स्कूल बन सकते हैं और उससे लाभ हो सकता है । जो लोग सरकार के निकट सम्पर्क में रहते हैं उनके अनुरोध पर आज यूनिवर्सिटी तो बना दी जाती है किन्तु ग्रामीण जनता और पिछड़ी हुई जनता के उत्थान के लिये कुछ नहीं किया जाता ।

इसके अलावा मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस अभिभाषण में पिछड़ी एवं हरिजन जनता के लिये कुछ नहीं कहा गया है । पिछड़े वर्ग कमीशन की रिपोर्ट में जो सिफारिशें थीं उनको भी लागू कराने के लिये उसमें कहीं कोई संकेतमात्र नहीं है । जब तक पिछले वर्ग कमीशन की रिपोर्ट को लागू न किया जायगा, लोक सेवा आयोग तथा अन्य चुनाव बोर्डों में उनके अनुपात के अनुसार उनका प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा, जब तक सरकारी नौकरियों में उनकी संख्या के अनुसार उनको संरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह पिछड़ा वर्ग एवं हरिजन वर्ग कभी अग्रसर नहीं होगा और जब तक पिछड़ा वर्ग और हरिजन वर्ग अग्रसर नहीं होगा उस समय तक हम अपने प्रदेश की और देश की भी कोई उन्नति नहीं कर सकते । किताबों में हम भले ही उन्नतिशील बना लें जो चाहें लिख दें । जब तक इस ८५ फीसदी जनता का उत्थान नहीं होगा, तब तक प्रदेश का भी उत्थान नहीं कहा जा सकता। हां, १५ प्रतिशत का उत्थान कहा जा सकता है।

श्रीमन, प्रथम सोपान में विकास खंडों के लिये सरकार की ओर से यह आदेश जारी किये गये थे कि जब तक विकास खंड ५ हजार रुपया जनता से चन्दे के रूप में इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक वहां पर कोई जीप नहीं भेजी जायगी और न वहां अस्पताल स्थापित किया जायगा। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और यदि ५ हजार रुपया इकट्ठा नहीं कर सकता तो वहां पर अस्पताल वगैरह नहीं बन सकता । इस तरह से उनका आर्थिक विकास हो ही नहीं सकता । इससे यह स्वाभाविक बात है कि जो क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है वह तरक्की नहीं कर सकता ।

इसके अलावा कृषि के संबंध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं । यह सर्वमान्य बात है कि हमारा देश और प्रदेश कृषि प्रधान देश है और यहां की लगभग ७५ फीसदी जनता कृषि पर ही निर्भर है । कृषि सुधार के लिये न तो इसी भाषण में कुछ कहा गया है और न इसके पूर्व ही कभी किसी अभिभाषण आदि के समय कुछ कहा जाता रहा है। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये कुछ लागत लगाने की जरूरत होती है । इस सरकार ने कभी इस बात को नहीं सोचा कि किसान उसमें लागत कहां से लगायेगा । इस सरकार ने कभी यह नहीं सोचा कि किसान की कितनी लागत लगती है, कितना परिश्रम करता है, उसके अनुपात में उसे अन्न का क्या दाम मिलता है ? यह तो दुनियां चिल्लाती है कि अन्न तेज हो गया है, इसको सस्ता करो, लेकिन यह कोई नहीं देखता.....

(लाल बत्ती बुझने पर)

दो मिनट चाहता था ?

श्री अध्यक्ष—दो मिनट ज्यादा हो गये, अब समाप्त करें।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय गवर्नर महोदय ने जो हमारे सदन के सामने अपना अभिभाषण पेश किया है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं । मैं अपने राज्यपाल महोदय की उन भावनाओं से बहुत ही सहमत हूं जिनसे उन्होंने हमारे नये चीफ मिनिस्टर माननीय चन्द्रभानु गुप्त के गुणों की प्रशंसा की है । इसमें दो राय नहीं कि इसमें जो विशेषण उन्होंने उनके लिये प्रयोग किये वह बहुत ही उचित हैं और हमें विश्वास है कि माननीय चन्द्रभानु गुप्त के नेतृत्व में जिस नयी सरकार ने पदार्पण किया है वह अवश्य ही बहुत परिश्रम, योग्यता और जन-सेवा के साथ तथ कर्मठता के साथ जनता की सेवा करेगी । हमने और प्रदेश ने देखा कि ज्यों ही हमारी इस नयी सरकार

[श्री रामेश्वरप्रसाद]

ने शपथ ली, उसके तुरन्त ही बाद उन्होंने अपनी उन नीतियों का संचालन जनता के सामने करना शुरू किया जिससे जनता में काफी उत्साह पैदा हुआ है। तुरन्त ही अपने पर जो माननीय मंत्रियों ने यह नियंत्रण रखा कि अपने खर्चे में कमी और अपने बड़े बंगलों का त्याग, छोटी मोटरों का इस्तेमाल ये सब ऐसी बातें हैं जो भले ही देखने में छोटी लगती हों, लेकिन आदर्श की दृष्टि से यह बहुत ही ऊंची कीमतों से आंकी जा सकती हैं और आंकी जायंगी। इसलिये आज प्रदेश की प्रत्येक जनता का यह विश्वास सरकार में हो चुका है कि अवश्य ही इन नयी नीतियों के आधार पर इस प्रदेश का उत्तरोत्तर निर्माण इन मंत्रियों के हाथों से होगा।

मैं अभी, अध्यक्ष महोदय, अपने राजा साहब की कुछ बातें सुन रहा था। उन्होंने अपने भाषण में बड़े जोरदार शब्दों में यह आलोचना की है कि.....

श्री अध्यक्ष--राजा साहब कई हैं। वह एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं।

श्री रामेश्वरप्रसाद--मेरा तात्पर्य जनसंघ के लीडर से है, वह समझ गये--श्री दुबे जी। वह कह रहे थे कि यह सरकार जो नयी आयी है वह आर्डिनेंसेज के जरिये से अपना राज्य चलाना चाहती है और जनतंत्र का गला घोटना चाहती है, बल्कि उन्होंने जोर दिया कि जनतंत्र का गला घोटा गया इन आर्डिनेन्सेज से। मैं राजा साहब से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि सरकार केन सेस के लिये आर्डिनेंस लाई।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--आपने मेरा भाषण ही नहीं समझा।

श्री रामेश्वरप्रसाद--मैंने खूब समझा अध्यक्ष महोदय, केन सेस के ५० करोड़ रुपये को सुप्रीम कोर्ट ने इनवेलिड कर दिया कि यह कर का रुपया इस सरकार को वसूल करने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सेशन असेम्बली का हो नहीं रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया। अगर आर्डिनेन्स न लागू करें तो ५० करोड़ रुपया जो जनहित के लिये इकट्ठा किया जाने वाला है बड़े-बड़े पूंजीपतियों से किसानों के हित के लिये वह सड़क पर चला जाय, यूजलेस हो जाय और जनता के खजाने में न जाय। तो यह तो जनता के हित के लिये आर्डिनेन्स निकला। उस रुपये की वसूली के लिये जो प्राविजन किया गया, यह क्या जनता का गला घोटना है या उसके हित के लिये सड़क बनाने के लिये, अस्पताल बनाने के लिये लेना है, यह राजा साहब खुद फैसला करें।

दूसरे, पंचायतों के चुनाव होने थे, सेशन नहीं था और पंचायत कानून में चुनावों में कुछ कमियां ऐसी रह गयी थीं जिनका प्राविजन करना जरूरी था। और यह आर्डिनेन्स लागू न किया जाता कि जो प्रधान है गांव का उसका चुनाव बाई बैलेट होगा, तो मैं नहीं समझता कि यह कहां तक उचित होता। फिर राजा साहब यहां आकर यही शिकायत करते कि अगर हम नहीं थे लेकिन गवर्नर साहब को तो हमने विधान में अधिकार दे दिया था कि एक आर्डिनेन्स लागू कर दें और सीक्रेट बैलेट से चुनाव हो जाता और हमारी बार-बार की शिकायत भी दूर हो जाती। तो यह कहां पर जनता का गला काटता है, यह आर्डिनेन्स तो जनता की भलाई के लिये ही लागू किया गया। इसका जवाब वह स्वयं सोचें।

अध्यक्ष महोदय, इस असेम्बली ने अधिकार दिया था कि ३१ दिसम्बर, १९६० तक अंतरिम जिला परिषदें रहेंगी। और ३१ दिसम्बर तक सेशन नहीं था इसलिये अगर आर्डिनेन्स लागू न किया जाता तो आज अन्तरिम जिला परिषदों की क्या रूप रेखा होती, इसका जवाब वह स्वयं दें।

आप कह रहे हैं कि सेशन क्यों नहीं बुलाया गया। जब आपने विधान के अन्दर गवर्नर महोदय को यह अधिकार द दिया कि सेशन को बुलावें या सेशन को रोकें तो फिर हमको यह कहने का क्या अधिकार है कि क्यों नहीं था। उन्होंने हम लोगों को समन किया था लेकिन बाद में

कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गईं, एक गवर्नमेन्ट जा रही थी, दूसरी आ रही थी और उसकी पूरी शेप नहीं बन पाई थी, तो उस दशा में मैं नहीं समझता कि सेशन बुलाना कहां तक मुनासिब होता। ऐसी आबोहवा में जबकि किसी पार्टी में क्राइसिस पैदा हो गई हो, मैं समझता हूं सेशन बुलाना आग में घी डालने का काम करता। इसलिये अगर उन्होंने सेशन नहीं बुलाया तो क्या नुकसान हो गया। पहले १२ दिसम्बर को बुलाया गया था अगर उसके एक डेढ़ महीने बाद ही बुलाया गया तो उससे क्या आफत आ गई जिसके लिये इतना क्रिटिसिज्म होता है कि क्यों नहीं बुलाया गया। चूंकि परिस्थिति अनुकूल नहीं थी इसलिये नहीं बुलाया गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--आप लोग खामोशी के साथ सुनें। जब आप लोग उनके ऊपर हमला कर रहे थे उस समय तो वह बोले नहीं और सुनते ही रहे और अब तो वह केवल आपके आक्रमण पर आर्गूमेन्ट ही दे रहे हैं इसलिये आपको शांत होकर सुनना चाहिये।

श्री उग्रसेन--मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्य हिन्दी के शब्दों का ही प्रयोग करें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष--एक आध शब्द तो अंग्रेजी में कह ही सकते हैं। राजा साहब ने पूरे सेन्टेन्सेज अंग्रेजी में कहे थे, उस समय आपने कुछ नहीं कहा। सेशन शब्द तो आप सभी लोग इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने अगर 'थर्टी फर्स्ट' कह भी दिया तो कौन-सी बड़ी बात हो गई।

श्री रामेश्वरप्रसाद--अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं। मैं विरोधी साथियों के समक्ष नतमस्तक होकर कहना चाहता हूं जिनका कि आलोचना करने का एक दृष्टि-कोण ही बन गया है और जिनको कोई चीज दिखाई ही नहीं देती। हमारे माननीय चरणसिंह जी ने जब मिनिस्ट्री संभाली तो उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन में अब जुर्मों की छिपावट नहीं होगी। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि वह बिना ताला लगाये निडर होकर प्रदेश में अपना जीवन निर्वाह करें। मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना कोई आसान काम नहीं है। फैसला करें विरोधी दल के लोग कि अगर कोई जिम्मेदार आदमी मिनिस्टर की हैसियत से यह दावा करता है, चाहे वह इसकी आज मखौल उड़ायें लेकिन मैं उनको बताता हूं कि समय आयेगा और अब जनता देखेगी कि उनका वायदा पूरा हुआ है, उसको सुख और सुविधा प्राप्त हुई है, तो वह उनका (विरोधियों का) साथ छोड़ देगी। जनता आपको छोड़ कर मंत्र मुग्ध होकर मंत्री जी की प्रशंसा करेगी। क्या यह नीतियों में परिवर्तन की बात नहीं है ?

इसके साथ ही साथ पंचायतों के चुनाव हुये। माननीय दुबे जी ने किसी गांव सभा का जिक्र किया कि वहां किसी बड़े आदमी का पर्चा इनवेलिड करा दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं सभापति पद के लिये हजारों आदमियों ने पर्चे दाखिल किये और चुनाव हुये तो यह जो बात हुई उसका उस सारे चुनाव में क्या अनुपात आता है। हजारों ऐसे मामले हैं जिनमें निष्पक्षता से चुनाव हुये। अगर उनकी बात सही भी मान ली जाय कि गलत बात बना कर उनका पर्चा खारिज करा दिया गया तो उससे यह रूलिंग किस प्रकार से बनाई जा सकती है कि सारी पंचायतों के चुनाव इसी प्रकार से हुये। अध्यक्ष महोदय, इस विभाग ने जितना भी कार्य किया है उसे आप स्वयं भी जानते हैं। हजारों लाखों आदमी कैंडीडेट की हैसियत से खड़े होते हैं, करोड़ों मतदाता होते हैं। क्या वह काम आसान था ? क्या उस सब काम का मैनेजमेंट आसान था ? बहुत से चुनाव शांति और ठीक ढंग से भी तो हुये ? अगर आप उनकी तारीफ कर देते तो मैं समझता कि आपने जो जजमेंट दिया वह ठीक दिया और फिर अगर कोई गरीब अछूत या कोई बिना पढ़ा आदमी पंचायत के चुनाव में इस प्रकार से न आ पाता तब तो कुछ बात भी थी और शिकायत की जा सकती थी लेकिन एक बड़ा आदमी यदि उसमें नहीं आया तो वह अपने रुपये के बल पर एम० एल० ए० भी होकर आ सकता है।

[श्री रामश्वरप्रसाद]

हमारे कुछ माननीय साथियों और विशेषकर माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने यह कहा कि गवर्नर महोदय ने अपने ऐड्रेस में कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने दृष्टिकोण से देखा, वे मुझसे अधिक योग्य हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनका आदर करता हूं। मैंने अपनी छोटी बुद्धि से उसको देखा। उसमें थोड़े से पेज अवश्य हैं लेकिन उसमें वे चीजें हैं जिनमें सारे स्टेट की पालिसी आ जाती है। थोड़े से चेप्टर्स में गवर्नर महोदय ने पूरा रस भर दिया है। उन्होंने जो यह अभिभाषण सदन के सामने दिया है वह ऐसे समय में दिया है जबकि हम थर्ड प्लान में कदम रखने वाले हैं जो जून के माह से शुरू होने वाली है। अगर उन्होंने थर्ड प्लान का जिक्र कर दिया तो थर्ड प्लान के बारे में जो भी गवर्नमेन्ट की पालिसी है वह सारी उसमें आ गयी। समझदार आदमी को इशारा काफी होता है।

कुछ साथियों ने कहा कि एजूकेशन के मामले में बड़ा घपला है, गरीबों के बारे में राज्यपाल महोदय ने कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि गवर्नर महोदय ने कहा है कि इस सरकार के द्वारा ऐसे कानून आने वाले हैं जिनके द्वारा एम्प्लायर और एम्प्लाई के झगड़े तय होंगे, गरीब आदमियों को उन कानूनों के द्वारा राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो गंदी बस्तियां हैं उनको साफ किया जायगा। साफ सुथरे घर बनाने की योजना बनायी जायगी। ये सब बातें समाजवाद को और गरीबों को सहारा देने वाली नहीं हैं तो क्या हैं। अगर इनको आलोचना की दृष्टि से देखा जाय तो उससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। साथ ही साथ मुझे यह भी कहना है——मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष——आपका समय समाप्त हो गया।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
८ फरवरी, १९६१।

नत्थियां

(देखिये तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६४ पर)

हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्प्लाइज यूनियन की मांगें एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण

मांगें	परिषद् द्वारा जो कार्यवाही की गई
१--यूनियन के दो सदस्य सर्वश्री भृगुनाथ सिंह एवं मनोहरलाल को जो नौकरी से निकाल दिये गये वापस लिया जाय ।	१--इन कर्मचारियों पर लगाये गये आरोपों पर पूरी जांच करने के बाद इन्हें नौकरी से निकाला गया और इन्हें नौकरी पर रखना सम्भव नहीं है ।
२--आजमगढ़ में बिजली की लाइन से दुर्घटना की जांच की जाय और दोषी अधिकारी को दंड दिया जाय ।	२--आजमगढ़ में कोई बिजली की लाइन से दुर्घटना नहीं हुई ।
३--कमरे में बन्द करके गलत बयान पर हस्ताक्षर कराने के कारण अधिशासी अभियंता । श्री अजहर हुसेन कुरेसी । के साथ कार्यवाही की जाय ।	३--ऐसी कोई घटना नहीं हुई ।
४--क्वार्टरों के बटवारे सम्बन्धी धांधली जो बलिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, बस्ती, बहराइच एवं गोरखपुर में हो रही है उसे रोका जाय ।	४--ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली ।
५--आजमगढ़ में छटनी किये गये लोगों को रक्खा जाय न कि नई नियुक्तियां की जायं ।	५--जब तक छटनी किये गये कर्मचारियों को जो पुनः नियुक्ति के योग्य हैं, नहीं रख लिया जाता है, कोई नई नियुक्तयां नहीं की जातीं ।
६--यूनियन के कर्मचारियों की बेइज्जती के विषय में आवश्यक कार्यवाही हो । मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ व्यवहार एवं बातचीत मानवता के रूप में हो ।	६--यूनियन कार्यकर्ताओं के साथ किसी प्रकार के अनुचित व्यवहार एवं अभद्रता की शिकायत नहीं मिली ।
७--कामता प्रसाद लाइनमैन गोरखपुर डिवीजन, जयनारायन सिंह, बलिया के हकों का शोषण बन्द हो ।	७--जांच करने पर पता चला कि इन कर्मचारियों के साथ कोई हकतल्फी नहीं हुई ।
८--यूनियन के कार्यकर्ताओं का स्थानान्तरण नाजायज रूप से किया गया है, उन्हें उनके पूर्ववत स्थान पर वापस किया जाय जैसे रामनारायण मिश्र, इमाम अली, शंकर सरन सिन्हा, रामनाथ ठपूराम, महमूदुल हसन, मुहम्मद अकरम, चन्द्रदेव आदि ।	८--ये स्थानान्तरण इन्हें परेशान करने की वजह से नहीं वरन् कार्य के हित में किये गये ।

मांगे	परिषद् द्वारा जो कार्यवाही की गई
९—गोरखपुर, डिवीजन के कर्मचारियों को ६ व ८ फरवरी १९६० का, जो मुख्य अभियंता । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा तय था, मजदूरों का पैसा जो हड़ताल में भाग लेंगे अविलम्ब दिया जायगा, परन्तु अभी तक नहीं मिला, शीघ्र दिया जाय ।	९—मुख्य अभियन्ता ने आदेश दे दिया है कि संबंधित कर्मचारियों की दो दिन की गैर हाजिरी को छुट्टी में परिणत करके उनको छुट्टी का वेतन दे दिया जाय ।
१०—मुख्य अभियंता के आश्वासन के बाद भी मऊ के पम्प अटेन्डेन्टों का केस तय नहीं हुआ, उसे तय किया जाय ।	१०—मामले का निर्णय हो गया है और उन्हें सूचित कर दिया गया है । मऊ के कनडन्सर पम्प अटेन्डेंटों की मांग यह थी कि उन्हें रु० ४०.१.१० वेतनक्रम के बजाय ५०.४.९० का वेतनक्रम दिया जाय यह मांग स्वीकार करना सम्भव नहीं था ।
११—स्थायी नियुक्ति के मामले में सर्वश्री रामनरेश, गया प्रसाद, इनामुलहक लाइन मैन फुन्नन खां वासुदेव लाइनमैन घुरपतरी गोरखपुर, हुसैनी जमादार, बहराइच के हकों को अभी तक नहीं दिया गया, अविलम्ब किया जाय ।	११—रामनरेश लाइनमैन एवं हुसैनी जमादार की नियुक्ति उनकी वार्षिक रिपोर्ट खराब होने के कारण नहीं की जा सकी, शेष मामलों में जांच जारी है और आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।
१२—राष्ट्रीय क्षति की तरफ बार-बार ध्यान दिलाया जाता है परन्तु ध्यान न देकर मनमानी की जा रही है । काफी केस दिये जा चुके हैं और दिये जावेंगे । इसके लिये एक जांच कमेटी बनाई जाय जिसमें यूनियन का भी प्रतिनिधि रखा जाय ।	१२—राज्य विद्युत् परिषद् को किसी प्रकार की क्षति न हो इसका पूर्ण ध्यान रक्खा जाता है और मामलों पर तुरन्त आवश्यक कार्यवाही होती है शासन द्वारा भ्रष्टाचार समितियां जिलास्तर पर बनाई गई हैं इसलिये और कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं है ।
१३—यूनियन का कार्य करने के कारण काफी लोगों का रेकार्ड खराब किया गया है उसे अविलम्ब ठीक किया जाय । इसके लिये एक जांच कमेटी बनाई जाय जिसमें यूनियन का भी प्रतिनिधि हो ।	१३—यह आरोप निराधार है ।
१४—खलीलाबाद स्टाफ की राष्ट्रीय क्षति बचाने के कारण जो वार्निंग दी गई है वह अविलम्ब वापस ली जाय ।	१४—यह आरोप निराधार है ।
१५—आदरणीय, राज्यपाल ने विशेष महंगाई जो कर्मचारियों को दिया है वह वर्कचार्ज के कर्मचारियों को भी उसी समय से दिया जाय ।	१५—प्रदेशीय सरकार ने कर्मचार्ज्ड स्टाफ का महंगाई भत्ता बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं नहीं किया है ।

मांगे	परिषद् द्वारा जो कार्यवाही की गई
१६—निम्न श्रेणियों की परीक्षाओं में यूनियन के प्रतिनिधि रक्खे जायं जैसे बरेली सर्किल के प्रतिनिधि रक्खे जायं जैसे बरेली सर्कल बोर्ड नं० २ ने रक्खा है ।	१६—यूनियन की यह मांग युक्ति संगत नहीं है । बरेली में भी कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की गई है ।
१७—राजबली सिंह, बलिया, शमीन अहमद, लाइनमैन, आजमगढ़, किशोरी गोरखपुर, बुद्धूराम आजमगढ़, की वार्षिक बढ़ोत्तरी नाजायज ढंग से रोकी गई है उसे शीघ्र दिया जाय ।	१७—किशोरी लाल गोरखपुर की बढ़ोत्तरी उनका काम ठीक न होने के कारण रोकी गई है । बुद्धूराम आजमगढ़ की कोई भी बढ़ोत्तरी नहीं रोकी गई है । राजबलीसिंह और शमीम अहमद का केस विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८३ पर)

विवरण	वर्ष	अनुदान	व्यय	धनराशि जो खर्च न की जा सकी
(अ) मोटर सड़क	१९५७–५८	२,८८,६६,२००	२,८५,३७,७००	३,२८,५००
	१९५८–५९	२,९२,६०,०००	२,५४,२०,६००	३८,३९,४००
	१९५९–६०	२,९६,७२,४००	२,९२,५४,९००	४,१७,५००
योग ..	..	८,७७,९८,६००	८,३२,१३,२००	४५,८५,४००
(ब) पुल ..	१९५७–५८	१,१२,०७,८००	९५,४०,५००	१६,६७,३००
	१९५८–५९	९२,३१,२००	८४,३६,३००	७,९४,९००
	१९५९–६०	१,०४,७३,८००	८४,६०,९००	२०,१२,९००
योग ..	..	३,०९,१२,८००	२,६४,३७,७००	४४,७५,१००
(अ) तथा (ब) का योग		११,८७,११,४००	१०,९६,५०,९००	९०,६०,५००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८७ पर)

तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत पक्की सड़को ((NEW CONSTRUCTION) की जिलेवार सूची

जिला	सड़कों का नाम	लम्बाई मील	
१	२	३	
आजमगढ़ ..	१—घोसी मुहम्मदाबाद	१३	०
बदायूं ..	२—दातागंज उसहैट	१९	०
बहराइच ..	३—बहराइच ककरडिहा ..	२०	०
	४—नानपारा इमामगंज	६	०
	५—भींगा लछमनपुर	९	०
बलिया ..	६—रेवती वेंलिया लालगंज ..	१०	०
	७—रसरा कासिमाबाद	६	०
बांदा ..	८—बबेरू कमासिन पिलानी	१३	०
	९—जसपुरा सुमेरपुर ..	१०	०
	१०—बाबेरू ओसी	१०	०
बरेली ..	११—आवला सिरौली	८	०
बस्ती ..	१२—छौवनी कलवारी	२२	०
	१३—हरैया बभनैन सड़क के ५ वें मील से पारसपुर रामपुर सड़क तक।	१०	०
बुलन्दशहर ..	१४—जहांगीराबाद अहर	११	४
	१५—सिकन्दराबाद झाझर	१४	०
एटा ..	१६—कासगंज अमनपुर	९	०
फर्रुखाबाद ..	१७—समसाबाद मुहम्दाबाद ..	१०	१
फतेहपुर ..	१८—गाजीपुर ओगासी घाट	८	०
गढ़वाल ..	१९—पौड़ी थलियासैन	२०	०
गोन्डा ..	२०—तुलसीपुर नैपाल बोर्डर ..	१	०
	२१—मनकापुर शाहदुल्लानगर ..	९	०
गोरखपुर ..	२२—फरेन्दा महराजगंज	१९	०
	२३—बांसगांव रूद्रपुर	८	०
हमीरपुर ..	२४—जैतपुर अजनेर नौगांव	१२	०
	२५—मौदहा जलालपुर	२१	०
हरदोई ..	२६—इटोली गोपामऊ	१०	०
जालौन ..	२७—कौंच नदीगांव	२	०
	२८—बांगरा रामपुरा जगम्मनपुर ..	६	०
	२९—बांगरा गोपालपुरा	६	०
झांसी ..	३०—मऊ गौराथ भाया भावाकर ..	२४	०
मेरठ ..	३१—परिक्षत गढ़ आसफाबाद ..	७	०
	३२—मेरठ परीक्षतगढ़	०	४
	३३—परीक्षतगढ़ भावाना ..	१	०
	*३४—बरौत बुधाना	१६	०
	३५—टांडा-रमोला	१२	०

जिला	सड़कों के नाम	लम्बाई मील
१	२	३
मिरजापुर ..	३६—हाथीनाला दूधी	९ ०
	३७—घोरावल राबर्टसगंज	१८ ०
मुरादाबाद ..	३८—हसनपुर रेहरा	१० ०
मुजफ्फरनगर ..	३९—खानपुर गोबर्धनपुर	७ ०
	४०—लालूखेरी सिसौली बुधाना ..	१४ ०
पीलीभीत ..	४१—विसालपुर पूरनपुर देवरियाकालान तक	१० ०
	४२—बीसालपुर में बाइपास ..	१ ०
रायबरेली ..	४३—जगतपुर उंचाहार	७ ४
रामपुर ..	४४—विलासपुर मिल खन ..	१० ०
सहारनपुर ..	४५—टिटरोन जलालाबाद ..	२ ४
शाहजहांपुर ..	४६—पयावां पुरनपुर	१२ ०
सुल्तानपुर ..	४७—मझवारा हलियापुर	१४ ०
उन्नाव ..	४८—बांगरमऊ जगतनगर ..	५ ०
	४९—चकवासी गंगाघाट	१० ०
	५०—हसनगंज रसूलाबाद ..	७ ०
आगरा ..	५१—आगरा जगमेर-तांतपुर के मील ३ पर बाई पास ।	० ७
फैजाबाद ..	५२—रिनेवा आश्रम सड़क ..	० ५

श्रमदान द्वारा बनी तथा सरकारी अन्य विभाग की सड़कें

श्रमदान मार्ग		मील
गढ़वाल ..	विरोनीखाल हठियाखाल	८
मिर्जापुर ..	अदलट काकूबारी	७
अन्य सरकारी विभाग की सड़कें		
नैनीताल	रूद्रपुर नगला मार्ग	१२,१/२ मील

(Sd.) (ILLEGIBLE),
Executive Engineer,
(PLANNING),
CHIEF ENGINEER'S OFFICE,
U.P., P.W.D.,
Lucknow.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८८ पर)

११९—इस कार्य का ठेका पहले श्री बलदेव राज चड्ढा ठेकेदार को दिनांक २६–७–५७ को दिया गया, बाद में दूसरे ठेकेदार श्री फैयाज अहमद खां को दिनांक २३–५–५८ को दिया गया। अन्य सूचना निम्नलिखित है :—

नाम ठेकेदार	मंजूरी की तिथि	निर्धारण की तिथि	कार्य पूरा करने की तिथियां
श्री बलदेव राज चड्ढा ..	२६–७–५७	२६–१२–५७	२६–७–५७ से २५–३–५८ तक
श्री फैयाज अहमद खां ..	२३–५–५८	..	२३–५–५८ से २२–१–५९ तक

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८९ पर)

क्रमांक	नाम पाठशाला		१९५७–५८	१९५८–५९	१९५९–६०	विवरण
			रु०	रु०	रु०	
१	मिजादपुर	बालक	६४५.००	१३५४.००	११४०.००	
२	हथौड़ा	”	१५६०.००	१९५२.००	१८७८.००	
३	लोहबा	”	१०२०.००	१९४४.००	१०१२.००	
४	सोनियापार	”	१४१६.००	१७२७.००	१७७५.००	
५	दुखुशी	”	१०६८.००	१३६५.००	११३६.००	
६	अन्यायीपुर	”	६४८.००	६८१.००	४४३.७४	न० पै०
७	गोपालपुर	”	११५५.७८	१२७०.००	९३२.१०	” ”
८	दहेन्दु	”	७९२.००	११३३.००	११६४.००	
९	बसनियां	”	७६८.००	१३१८.००	१०३५.००	
१०	शाहपुर लठिया	”	..	४००.००	४००.००	अनावर्त्तीय
११	सोफीपुर	”	..	..	४००.००	”
१२	महरूमपर कठघरा	”	..	..	४००.००	”
१३	गम्भीरपुर	”	..	४००.००	४००.००	”
१४	महसनपुर	”	..	४००.००	४००.००	”
१५	जकरौली	”	..	४००.००	४००.००	”
१६	उच्चेरी	बालिका विद्यालय	१००२.००	९५१.००	८२०.००	
१७	शिवदासपुर	”	७३२.००	८६४.००	८७६.००	
१८	रमरेपुर	”	७३२.००	८६४.००	८७६.००	
१९	करीमुद्दीनपुर	”	७२०.००	८५२.००	८६४.००	
२०	बभनौली	”	८५२.००	१५७५.००	१७६१.००	
२१	पचरूखवा	”	४००.००	४००.००	४००.००	अनावर्त्तीय

हरिजन पुस्तकालयों के सम्बन्ध में सूचना

१	शादियाबाद	..	३४२.००	४५६.००	४५६.००	
२	सलारपुर		३४८.००	३४८.००	३४८.००	
३	बैजनाथ चौक गाजीपुर		३०६.००	५१०.००	२०४.००	
४	अन्धऊ		२००.००	२००.००	२००.००	अनावर्त्तीय
५	करीमुद्दीनपुर		२००.००	२००.००	२००.००	

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २४० एल० ए०—१९६१—८४५।